





वार्षिक प्रतिवेदन ANNUAL REPORT 2021-22



(निर्यात निरीक्षण अभिकरणों सहित) (Including its Export Inspection Agencies) दिल्ली □ मुंबई □ कोलकाता □ कोच्ची □ चेन्नई







2021-2022 वार्षिक प्रतिवेदन निर्यात निरीक्षण परिषद (निर्यात निरीक्षण अभिकरणों सहित) दिल्ली/मुंबई/कोलकाता/चेन्नई/कोच्ची (हिन्दी)

अनुक्रमणिका

विवरण		पृष्ठ संख्या
निदेशक की	कलम से	 5–6
अध्याय 1	अवलोकन	7—13
अध्याय 2	गतिविधियों एवं उपलब्धियों की एक झलक	15—22
अध्याय 3	निरीक्षण एवं प्रमाणन सेवाएँ	23-26
अध्याय 4	मूलस्थान प्रमाण पत्र	27-31
अध्याय 5	अन्य प्रमुख गतिविधियां	33-50
अध्याय 6	राजभाषा हिन्दी का प्रगतिशील प्रयोग	51
अध्याय ७	कम्प्यूटरीकरण एवं आधुनिकीकरण	43
अध्याय 8	जनशक्ति वृद्धि	55-72
अध्याय ९	निर्यात निरीक्षण अभिकरणों का नेटवर्क	73-77

निदेशक की कलम से

दुनिया भर में भारत से सुरक्षित खाद्य उत्पादों के निर्यात के लिए निनिप की प्रतिबद्धता को पुनः स्थापित करने तथा निर्यात निरीक्षण परिषद (निनिप) के वर्ष 2021—22 की वार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत करने में मुझे बहुत खुशी हो रही है। दुनिया, धीरे—धीरे कोरोना वायरस रोग (कोविड—19) महामारी के समय हुए सम्पूर्ण नुकसान से उभर रही है। इस रोग ने दुनिया भर में सार्वजनिक स्वास्थ्य एवं खाद्य प्रणालियों के लिए एक असाधारण चुनौती दी।



महामारी के कारण उत्पन्न आर्थिक एवं सामाजिक व्यवधान विनाशकारी था।दुनिया की

वैश्विक आबादी के बड़े हिस्से की आजीविका में लाखों उद्यमों को एक अस्तित्वगत खतरे तथा व्यवधान का सामना करना पड़ा।महामारी ने पूरी खाद्य प्रणाली को प्रभावित किया है।सीमा बंद व्यापार प्रतिबंध एवं प्रतिरोध के उपायों ने किसानों को आदानों को खरीदने, अपनी उपज बेचने सिहत बाजारों तक की पहुंच को रोक दिया तथा कृषि श्रमिकों को फसलों की कटाई से रोकने से घरेलू एवं अंतर्राष्ट्रीय खाद्य आपूर्ति श्रृंखलाओं को बाधित करने एवं स्वस्थ, सुरक्षित एवं विविध खाद्यों तक की पहुंच को कम किया।

महामारी के इस किटन समय में, निनिप ने एक बार फिर से भारत से गुणवत्तापूर्ण उत्पाद के निर्यात को बिना किसी बाधा के सुनिश्चित करने की अपनी क्षमता का प्रदर्शन किया, जिससे केवल भारत के निर्यात विरादरी के बीच में ही नहीं, बिल्क दुनिया भर में सर्वश्रेष्ठ व्यापार सूत्रधार एवं सेवा प्रदाताओं में से एक के रूप में इसकी विश्वसनीयता स्थापित की। माननीय प्रधानमंत्री के ''संकट को अवसर में बदलने'' के विचार के अनुरूप, भारत के लिए सुचारू निर्यात सुनिश्चित करने के लिए कोविड—19 महामारी के दौरान निनिप/निनिअ द्वारा कई सुधार किए गए। निर्यातकों को प्रमाणपत्र के लिए अपना अनुरोध ऑनलाइन जमा करने के लिए प्रोत्साहित किया गया। निर्यातकों को घर पर रहने तथा निर्बाध सेवाओं का लाभ उठाने की अनुमित देने के लिए जारी किए गए प्रमाण पत्र की स्कैन प्रतियां ई—मेल के माध्यम से प्रदान की गईं। अंतरराष्ट्रीय कूरियर सेवाओं के अभाव में, निनिप ने आयातक देशों से स्वास्थ्य प्रमाणपत्रों की सॉफ्ट कॉपी स्वीकार करने तथा हार्ड कॉपी पर जोर न देने का अनुरोध किया। ऑनलाइन परेषणों की निकासी सुविधा के लिए मूलस्थान प्रमाण पत्र ऑनलाइन जारी किए गए थे। निनिप/निनअ ने निर्यात व्यापार को सुविधाजनक बनाने के लिए वेबिनार एवं वर्चुअल बैठकों के माध्यम से हितधारकों को प्रवृत्त कराया।यह केवल निनिप एवं उसके कर्मचारियों के 'राष्ट्र पहले आता है' दृष्टिकोण के कारण ही संभव हो सका है।

वर्ष 2021—22 में महामारी के कारण घरेलू एवं अंतर्राष्ट्रीय यात्राओं पर प्रतिबंध भी देखा गया। हालांकि, यह निनिप को क्षमता निर्माण एवं कर्मचारियों के कौशल के उन्नयन से नहीं रोक सका। कोविड उपयुक्त व्यवहार का पालन करते हुए, वर्चुअल प्लेटफॉर्म पर विभिन्न प्रकार के प्रशिक्षण कार्यक्रम एवं आउटरीच कार्यक्रम आयोजित किए गए। इन प्रशिक्षणों एवं आउटरीच कार्यक्रमों ने निनिप को खाद्य एवं खाद्य प्रौद्योगिकी की विश्वव्यापी प्रगति के संदर्भ में बराबरी पर लाने में मदद की है।

मुझे यह बताते हुए भी बहुत खुशी हो रही है कि 2021—22 में, भारत ने अब तक का सबसे अधिक 400 बिलियन डॉलर का व्यापारिक निर्यात हासिल किया, जबिक 2021—22 के लिए समुद्री और प्लांटेशन उत्पादों सिहत भारत के कृषि उत्पादों के निर्यात ने 50 बिलियन डॉलर का रिकॉर्ड बनाया। भारतीय निर्यात बिरादरी, किसानों और निर्माताओं ने भारत की आत्मनिर्भर यात्रा में इस मील के पत्थर को हासिल करने में भारत की मदद करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई!

निनिप अपने निनिअ एवं क्षेत्रीय संगठनों के साथ, भारत भर में सभी संबंधित हितधारकों को आउटरीच प्रशिक्षण कार्यक्रमों

तथा गुणवत्ता जागरूकता पहल के माध्यम से केवल निर्यात उत्पादों की गुणवत्ता प्रमाणित करके ही नहीं बिल्क निर्यातकों के बीच स्वामित्व मूल्यों को विकसित करके भी पूरे भारत में सभी संबंधित हितधारकों को विश्व स्तरीय सेवाएं प्रदान करना जारी रखती है।इसी कारण से यह बिल्कुल स्पष्ट है कि निर्यात के लिए निनिप के प्रमाणन को यूरोपीय संघ, संयुक्त राज्य अमेरिका, कस्टम यूनियन, चीन, दक्षिण अफ्रीका, सऊदी अरब, भूटान, तुर्की, कोरिया, जापान, श्रीलंका, आदि सहित कई व्यापारिक भागीदारों द्वारा मान्यता दी जा रही है।

जैसे ही हम 2022—23 में प्रवेश करते हैं,मैं गुणवत्ता एवं सुरक्षित उत्पाद प्रदान करने के लिए सबसे पसंदीदा एवं भरोसेमंद भागीदार के रूप में निनिप को वैश्विक प्रतिमान मान्यता प्रदान करने में एक और सभी द्वारा किए गए प्रयासों को रिकॉर्ड करने का अवसर लेना चाहता हूं। मैं निनिप परिवार, व्यापारिक भागीदारों, राष्ट्रीय/अंतर्राष्ट्रीय हितधारकों, निर्यात बिरादरी के सदस्यों एवं अन्य लोगों के प्रति भी आभार व्यक्त करना चाहता हूं, जिन्होंने वैश्विक महामारी के इस कठिन समय में अपना समर्थन दिया। हम निर्यात व्यापार में किसी भी चुनौती को दूर करने के लिए सभी से अधिक सहयोग एवं अधिक मजबूत प्रयासों की आशा करते हैं।

आप सभी को शुभकामनाएं!! स्वस्थ एवं सुरक्षित रहें !!

जय हिन्द

दिवाकर नाथ मिश्रा संयुक्त सचिव एवं निदेशक, निनिप अवलोकत

भारत सरकार द्वारा निर्यात (गुणवत्ता नियंत्रण और निरीक्षण) अधिनियम, 1963 की धारा 3 के तहत निर्यात निरीक्षण परिषद (निनिप) की स्थापना गुणवत्ता नियंत्रण एवं लदान पूर्व निरीक्षण के माध्यम से भारत के निर्यात व्यापार के सुदृढ विकास सुनिश्चित करने तथा उससे जुड़े मामलों के लिए की गई थी। निनिप, निर्यात से पहले गुणवत्ता नियंत्रण और / या निरीक्षण के अधीन अधिसूचित उत्पादों की गुणवत्ता के मानकों को स्थापित करने तथा उत्पादों पर लागू होने वाले गुणवत्ता नियंत्रण एवं / या निरीक्षण के प्रकार को निर्दिष्ट करने के लिए उत्पादों की अधिसूचना के लिए केंद्र सरकार का एक सलाहकार निकाय है।

निनिप भारत का आधिकारिक निर्यात प्रमाणन निकाय होने के साथ-साथ अधिसूचित उत्पादों के सक्षम प्राधिकारी है। निनिप की प्रमुख भूमिका आयातक देशों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए निर्यात के लिए निर्धारित उत्पादों की गुणवत्ता एवं सुरक्षा सुनिश्चित करनी है। यह आश्वासन अपने क्षेत्रीय अभिकरणों के माध्यम से परेषण–वार निरीक्षण (सीडब्ल्युआई) प्रणाली एवं / या खाद्य सुरक्षा प्रबंधन प्रणाली आधारित प्रमाणन (एफएसएमएससी) के माध्यम से प्रदान किया जाता है। अधिनियम की धारा 7 के तहत स्थापित निर्यात निरीक्षण अभिकरण (निनिअ) मुंबई, कोलकाता, कोच्ची, चेन्नई और दिल्ली में स्थित हैं, जिनके साथ पूरे भारत में आईएसओ 17025 के अनुसार, परीक्षण एवं अशांकन प्रयोगशालाओं के राष्ट्रीय प्रत्यायन बोर्ड (एनएबीएल) द्वारा मान्यता प्राप्त अत्याधुनिक प्रयोगशालाओं सहित 24 उप- कार्यालयों का नेटवर्क है।

निनिप, विभिन्न खाद्य उत्पादों अर्थात, मत्स्य एवं मात्स्यिकी उत्पाद, दुग्ध एवं दुग्ध उत्पाद, शहद, अंडा एवं अंडा उत्पाद, प्रशीतित / शीतित मांस एवं मांस उत्पाद, ताजा कुक्कुट एवं कुक्कुट मांस उत्पाद, एनिमल केसिंग, क्चली हुई हिडडियाँ, ओरसीन एवं जिलेटिन, पोषण भोज्य एवं पूर्व मिश्रण, मूंगफली एवं मृंगफली उत्पाद (ईयू और मलेशिया) तथा बासमती चावल (ईयू) के लिए अनिवार्य प्रमाणन प्रदान करती है। अन्य खाद्य पदार्थ जिन्हें अधिनियम के तहत अधिसूचित नहीं किया गया है, उन्हें भी स्वैच्छिक आधार पर प्रमाणित किया जा रहा है। निर्यात प्रमाणीकरण निनिअ के माध्यम से किया जाता है और यह जीएचपी / जीएमपी / एचएसीसीपी सहित एक प्रणाली दृष्टिकोण पर आधारित है और साथ ही आयातक देशों की विशिष्ट आवश्यकताओं पर आधारित है। आयातक देश की आवश्यकताओं के अनुसार खाद्य उत्पादों के निरीक्षण, परीक्षण एवं प्रमाणन के क्षेत्र में पचास से अधिक वर्षों के अनुभव के साथ, निनिप को वैश्विक स्तर पर मान्यता प्राप्त है।

खाद्य सुरक्षा नियमों और प्रमाणन की बदलती गतिशीलता के इस युग में, निनिप ने दुनिया भर के व्यापारिक भागीदारों के बीच विश्वास पैदा करने के लिए अपनी भूमिका और कार्यों को बदल दिया है। बढ़ती खाद्य सुरक्षा के वास्ते और तकनीकी उन्नयन के साथ आयातक देशों की बदलती आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए निर्यातक बिरादरी सहित हितधारकों को शामिल करने में निनिप का योगदान रहा है।

विश्व व्यापार संगठन (डब्ल्यूटीओ) समझौतों के बाद बढ़ते अंतरराष्ट्रीय उपभोक्ताओं एवं बढती मांगों के साथ खाद्य का वैश्विक व्यापार काफी बढ रहा है। वैश्विक खाद्य व्यापार में गैर-प्रशुल्क उपायों से उत्पन्न इन चुनौतियों को दूर करने के लिए स्वच्छता एवं फाइटोसैनिटरी (एसपीएस) चुनौतियों के बारे में जागरूकता पैदा करने एवं तंत्र विकसित करने की आवश्यकता है। निनिप तुल्यता एवं मान्यता के सभी संभावित अवसरों के दोहन करने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। आयात करने वाले देशों के प्रतिनिधिमंडल आधिकारिक नियंत्रण एवं जोखिम प्रबंधन तंत्र का मूल्यांकन करते हैं।

निनिप हमेशा राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मानक निर्धारण प्रक्रिया में सक्रिय रूप से शामिल है तथा यह स्निश्चित करने के लिए प्रतिक्रिया प्रदान करती है कि निर्यातकों के हित भली भाँति सुरक्षित हैं। निनिप ने गुणवत्ता प्रबंधन प्रणाली को अपनाया है तथा अपने उद्देश्यों की प्राप्ति सुनिश्चित करने के लिए आईएसओ 9001:2015 प्रमाणित है।

नागरिक चार्टर दृष्टिकोण

 अंतरराष्ट्रीय मानदंडों को पूरा करने के लिए गुणवत्ता एवं सुरक्षा को प्रमाणित करने के लिए एक विश्वसनीय एवं कुशल निरीक्षण एवं प्रमाणन प्रणाली के माध्यम से भारतीय निर्यात के लिए दुनिया भर में पहुँच को स्विधाजनक बनाना तथा भारत के प्रमुख संगठन के रूप में वैश्विक पहचान अर्जित करनाः

मिशन

- विश्व व्यापार संगठन की आवश्यकताओं के अनुरूप प्रमाणन प्राधिकरण के लिए अंतर्राष्ट्रीय मानकों के आधार पर देश के भीतर एक निर्यात निरीक्षण एवं प्रमाणन कार्ययोजना बनानाः
- भारतीय उत्पादों की गुणवत्ता एवं सुरक्षा के बारे में आयातकों के साथ-साथ भारत के व्यापारिक भागीदारों के नियामक प्राधिकरणों में विश्वास पैदा करना:
- अत्याधुनिक परीक्षण सुविधाएं प्रदान करना;
- तुल्यता समझौतों के माध्यम से भारत के व्यापारिक भागीदारों से निनिप की निर्यात प्रमाणन प्रणाली के लिए मान्यता प्राप्त करना; अंतर्राष्ट्रीय मंच में भाग लेना तथा भारतीय हितों की रक्षा करना:

अंतरराष्ट्रीय आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए प्रशिक्षण के माध्यम से जनशक्ति की क्षमता बढाना तथा नवीनतम तकनीकी प्रगति के साथ तालमेल रखनाः


अहमियत

 हम जनता के साथ अपने व्यवहार में सत्यनिष्ठा, विवेकपूर्णता, पारदर्शिता, जवाबदेही, शिष्टाचार एवं समझ के साथ कार्य करने के लिए प्रतिबद्ध हैं।

शक्ति

- दुनिया के सभी हिस्सों में निर्यात किए जाने वाले उत्पादों के गुणवत्ता नियंत्रण, लदान पूर्व निरीक्षण एवं मॉनिटरिंग में पांच दशकों से अधिक का अनुभव;
- निरीक्षण, परीक्षण एवं प्रमाणन कर्तव्यों का पालन करने के लिए सक्षम, कुशल, योग्य एवं प्रशिक्षित जनशक्ति;
- अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुपालन में अधिसूचित उत्पादों के परीक्षण एवं गुणवत्ता आश्वासन के लिए निनिप नेटवर्क में परिव्याप्त आईएसओ 17025 के अनुसार अत्याधुनिक एनएबीएल मान्यता प्राप्त प्रयोगशालाएं;
- पूरे भारत में अधिकार क्षेत्र के साथ, युक्तिपूर्वक रूप से सभी प्रमुख बंदरगाहों, महत्वपूर्ण औद्योगिक एवं उत्पादन केंद्रों पर स्थित निर्यात निरीक्षण अभिकरणों (निनिअ) का एक मजबूत नेटवर्क;
- करार ज्ञापनों, समकक्ष समझौतों आदि के माध्यम से वैश्विक मान्यता के साथ भारत के हितों एवं आधिकारिक निर्यात प्रमाणन निकाय के किसी भी टकराव के बिना निर्यात (गुणवत्ता नियंत्रण एवं निरीक्षण) अधिनियम, 1963 के तहत सांविधिक शक्तियों द्वारा समर्थित एक संगठन

संगठन चार्ट



टिप्पणीः

- नीले रंग से दर्शाए गए उप–कार्यालयों में प्रयोगशाला की सुविधा है और ग्रे में बिना प्रयोगशाला की सुविधा है।
- निनिअ के डेस्क कार्यालय अंडमान और निकोबार और लक्षद्वीप द्वीप समूह के केंद्र शासित प्रदेशों में हैं।

निनिप की प्रमुख गतिविधियाः

- आयातक देशों के मानकों के अनुसार निर्यात के लिए उत्पादों की सुरक्षा एवं गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए खाद्य सुरक्षा प्रबंधन प्रणाली पर आधारित प्रसंस्करण प्रतिष्ठानों का अनुमोदन;
- निर्धारित विनिर्देशों के अनुसार निर्यात उत्पादों की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए परेषण-वार निरीक्षण (सीडब्ल्यूआई) के आधार पर लदान पूर्व निरीक्षण एवं प्रमाणनः
- विभिन्न अधिमान्य प्रशुल्क योजनाओं के तहत निर्यात उत्पादों के लिए मूलस्थान प्रमाण पत्र जारी करना;
- विभिन्न निर्यात प्रमाणन योजनाओं के तहत विभिन्न प्रकार के प्रमाण पत्र, अर्थात् स्वास्थ्य प्रमाण पत्र,

प्रामाणिकता प्रमाण पत्र, गैर-जीएमओ प्रमाण पत्र, आदि जारी करना:

- निरीक्षण अभिकरणों और प्रयोगशालाओं की मान्यता;
- आयातक देशों की आवश्यकताओं के अनुसार अवशेष मॉनिटरिंग योजनाएं;
- खाद्य उत्पादों के आयात परेषण से लिए गए नमूनों की प्रयोगशाला परीक्षण सेवाओं तथा परीक्षण के लिए एफएसएसएआई के साथ सहयोग;
- गुणवत्ता एवं खाद्य सुरक्षा प्रबंधन प्रणाली के क्षेत्रों में उद्योग एवं अन्य हितधारकों का प्रशिक्षण तथा क्षमता निर्माण-
- 🔍 विश्व व्यापार संगठन के सदस्य देशों द्वारा टीबीटी अधिसूचना का मॉनिटरिंग एवं भारत के व्यापार पर उनका प्रभाव।

परिषद सदस्य

केंद्र सरकार ने अधिसूचना एस.ओ.3379 (ई) — दिनांक 29.9.2020 के अनुसार, निर्यात निरीक्षण परिषद का पुनर्गठन किया, जैसा कि नीचे बताया गया है:

क्र.स.	नाम	पदनाम
(1)	(2)	(3)
1	श्री एस. किशोर, आईएएस (डब्ल्यूबी:1989), अपर सचिव, वाणिज्य विभाग, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय, नई दिल्ली	अध्यक्ष
2	निदेशक, निरीक्षण और गुणवत्ता नियंत्रण, निर्यात निरीक्षण परिषद, नई दिल्ली	सदस्य सचिव
3	महानिदेशक, भारतीय मानक ब्यूरो, नई दिल्ली	सदस्य पदेन
4	कृषि विपणन सलाहकार, भारत सरकार, नई दिल्ली	सदस्य पदेन
5	वाणिज्यिक आसूचना और सांख्यिकी महानिदेशक, कोलकाता	सदस्य पदेन
	अन्य सदस्य	
6	निदेशक (निर्यात निरीक्षण) वाणिज्य विभाग, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली	सदस्य
7	संयुक्त सचिव, मत्स्य विभाग, मत्स्य, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली	सदस्य
8	अध्यक्ष, कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण, नई दिल्ली	सदस्य
9	अध्यक्ष, समुद्री उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण, कोच्चि	सदस्य
10	अध्यक्ष, मसाला बोर्ड, कोच्चि	सदस्य
11	संयुक्त सचिव, मांस और मांस उत्पाद, खाद्य प्रसंस्करण मंत्रालय	सदस्य
12	संयुक्त सचिव, पौध संरक्षण, कृषि सहकारिता और किसान कल्याण विभाग, कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार	सदस्य
13	मुख्य कार्यकारी अधिकारी, राष्ट्रीय परीक्षण और अंशशोधन प्रयोगशाला प्रत्यायन बोर्ड, एनएबीएल हाउस, प्लॉट 45, गुरूग्राम, हरियाणा	सदस्य
14	सलाहकार (मानदंड), भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण, एफडीए भवन, कोटला रोडबाल भवन के पास, नई दिल्ली—110002	सदस्य
15	निदेशक, राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान, करनाल	सदस्य
16	अध्यक्ष, अखिल भारतीय चावल निर्यातक संघ, नई दिल्ली	सदस्य
17	कुलपति, राष्ट्रीय खाद्य प्रोद्योगिकी उद्यमिता एवं प्रबंधन संस्थान, प्लॉट 97, सेक्टर 56, कुंडली, सोनीपत, हरियाणा	सदस्य
18	मैसर्स मिनरल लैब सर्विसेस प्राईवेट लिमिटेड, ४ फ्लोर, कर्मा पेस एवेन्यू, एफ.एल. गोमस रोड, वास्को डी गामा—गोवा ४०३८०२ के नामित सदस्य	सदस्य
19	मैसर्स मित्रा लिमिटेड, होल्डिंग नं. 22 / 107, वार्ड नंबर 9, पी.ओ. खानकांचक, पहली मंजिल, इंडिया होटल के बगल में, हल्दिया— जिला, पूर्बा मेदिनीपुर, पश्चिम बंगाल—721602 के नामित सदस्य	सदस्य
20	मैसर्स थैरेपेटिक्स कैमिकल रिसर्च कॉरपोरेशन, डी सं. 25—12—39, द्वितीय तल, गोदावरी स्ट्रीट, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के सामने, टाउन ब्रांच, विशाखापत्तनम—530001 के नामित सदस्य	सदस्य

अधिसूचित उत्पादों की सूची

भारत से व्यापार की सुरक्षा के लिए आवश्यकताओं के आधार पर निर्यात के लिए उनके मानकों के साथ-साथ उत्पादों को अधिसूचित करने के लिए, निर्यात (गुणवत्ता नियंत्रण एवं निरीक्षण) अधिनियम, 1963 परिषद की सलाह पर केंद्र सरकार को अधिकार देता है। अधिनियम के तहत अधिसूचित विभिन्न उत्पादों को नीचे तालिका (क) में दर्शाया गया है;

तालिका (क)ः निर्यात (गुणवत्ता नियंत्रण एवं निरीक्षण) अधिनियम, 1963 के तहत अधिसूचित

अधिसूचित उत्पाद	राजपत्रित आदेश)/अधिसूचनाएं)/आदेश)
पशु केसिंग	आदेश एस.ओ. 2947 दिनांक 03.11.1997 और अधिसूचना एस.ओ. 2948 दिनांक 03.11.1997 बाद में संशोधित अधिसूचना एस.ओ.1315 (ई) दिनांक 08. 6.2012 अधिसूचना एस.ओ. 6332 (ई) दिनांक 28.11.2018
बासमती चावल	आदेश एस.ओ. 67 (ई) दिनांक 23.01.2003 और अधिसूचना एस.ओ. 68(ई) दिनांक 23.01.2003 और बाद के संशोधन अधिसूचना एस.ओ. 1139 दिनांक 15.5.2004, अधिसूचना एस.ओ. 716 दिनांक 05.3.2005 और अधिसूचना एस.ओ. 791 (ई) दिनांक 24.5.2006 एस.ओ. 136 (ई) दिनांक 13.01.2016 अधिसूचना एस.ओ. एस.ओ. 6337 (ई) दिनांक 28.11.2018
काली मिर्च	आदेश एस.ओ. 245 दिनांक 07.3.1988 और अधिसूचना एस.ओ. 1311 दिनांक 22.4.1991 अधिसूचना एस.ओ. 6333 (ई) दिनांक 28.11.2018
संदलित हड्डी, ओसीन एवं जिलेटिन	आदेश एस.ओ. 725 (ई) दिनांक 03.4.2012 और अधिसूचना एस.ओ. 726 (ई) दिनांक 03.4. 2012.
अंडा एवं अंडा उत्पाद	आदेश तथा अधिसूचना एस.ओ. 4368 (ई) और एस.ओ.4369 दोनों दिनांक 15.06.2021
पोषण भोज्य एवं पूर्व मिश्रण	आदेश एस.ओ.3523(ई) एवं अधिसूचना एस.ओ. 3524 दोनों दिनांक 28.11. 2013। अधिसूचना एस.ओ. 6339(ई) दिनांक 28.11.2018
मत्स्य एवं मात्स्यिकी उत्पाद	आदेश 729 (ई) दिनांक 21.8.1995 बाद में संशोधन आदेश एस.ओ. 792 (ई) दिनांक 17.8.2001, आदेश एस.ओ. 722 (ई) दिनांक 10.7.2002, आदेश एस.ओ. 464 (ई) दिनांक 24.4.2003, आदेश एस.ओ. 1227 (ई) दिनांक 23.10. 2003 और बाद में आदेश एस.ओ. 1227 (ई) दिनांक 31.7.2006 द्वारा संशोधन (ओं) के और मुख्य अधिसूचना एस.ओ. 730 (ई) दिनांक 21.8.1995 और बाद में अधिसूचना एस.ओ.415 (ई) दिनांक 11.4.2002, अधिसूचना एस.ओ. 1029 (ई) दिनांक 24.9.2002, अधिसूचना एस.ओ. 1034 (ई) दिनांक 9.9.2003 और अधिसूचना एस. ओ.717 दिनांक 25.2.2005, अधिसूचना एस.ओ. 612 दिनांक 15.02.2007, अधिसूचना एस.ओ. 1519 (ई) दिनांक 16.6.2008, अधिसूचना एस.ओ. 2714 (ई) दिनांक 28.10,2009, अधिसूचना एस.ओ.143 (ई) दिनांक 21.01.2011 और अधिसूचना एस.ओ. 497 (ई) दिनांक 10.3.2011 अधिसूचना का.आ. 6341 (ई) दिनांक 28.11.2018

	,		
ताजा कुक्कुट मांस एवं कुक्कुट मांस	आदेश एस.ओ. 1377 (ई) दिनांक 30.12.2002 और अधिसूचना एस.ओ. 1378 (ई)		
उत्पाद	दिनांक 30.12.2002 और बाद में अधिसूचना एस.ओ. 719 दिनांक 25.02.2005 और		
	अधिसूचना एस.ओ.1517 दिनांक 16.6.2008 के अनुसार संशोधन		
फल एवं सब्जी उत्पाद	आदेश एस.ओ.3352(ई) और एस.ओ.3353(ई) दोनों दिनांक 28.10.2016		
	अधिसूचना का.आ. 6338(ई) दिनांक 28.11.2018		
शहद	आदेश सं.एस.ओ. २७६ (ई) दिनांक ०४.०३.२००२ और अधिसूचना एस.ओ. २७७ (ई)		
	दिनांक 04.03.2002 और बाद में अधिसूचना एस.ओ. 1444 दिनांक 19.12.2003,		
	अधिसूचना एस.ओ. 1245 दिनांक 14.05.2004 और अधिसूचना एस.ओ. 1581		
	दिनांक 16.06.2008 द्वारा संशोधन अधिसूचना एस.ओ. 6336 (ई) दिनांक 28.11.		
	2018		
दुग्ध एवं दुग्ध उत्पाद	आदेश एस.ओ. ४०३१(ई) और अधिसूचना एस.ओ. ४०३२(ई) दोनों दिनांक ०९		
	नवंबर, २०२०		
मूंगफली एवं मूंगफली उत्पाद	वाणिज्य विभाग का पत्र दिनांक 16 मई 2013		
कच्चा मांस (शीतित/प्रशीतित)	आदेश एस.ओ. 203 दिनांक 15.01.1993 और अधिसूचना एस.ओ. 204 दिनांक		
	15.01.1993 और बाद में अधिसूचना एस.ओ .205 दिनांक 25.01.1993,		
	अधिसूचना एस ओ.1989 दिनांक 03.9.1993 और एस ओ 2221 दिनांक 04.10.		
	1993 द्वारा संशोधन अधिसूचना एस.ओ. 6335 (ई) दिनांक 28.11.2018		
गैर बासमती चावल	डीजीएफटी अधिसूचना संख्या २९ / २०१५—२०२० दिनांक ०४.११.२०१९		

विभिन्न देशों के साथ निनिप प्रमाणन के करार / मान्यताएं

निनिप, इसकी स्थापना के बाद से आयातक देशों की आवश्यकताओं के अनुपालन को सुनिश्चित करके अपने गुणवत्ता नियंत्रण एवं निरीक्षण गतिविधियों के माध्यम से व्यापार को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। निनिप की गुणवत्ता आश्वासन गतिविधियाँ भारतीय निर्यात के लिए दुनिया भर में पहुंच को सुविधाजनक बनाने एवं भारतीय उत्पादों की गुणवत्ता एवं सुरक्षा के बारे में आयातकों के साथ-साथ आयातक देशों के प्राधिकारियों में विश्वास जगाने में मदद करती हैं। राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय आवश्यकताओं के अनुरूप, निनिप प्रमुख व्यापारिक भागीदारों के साथ करार ज्ञापन (एमओयू)/ आपसी मान्यता करार (एमआरए) / समत्र्त्यता करार / मान्यताएं / सहयोग व्यवस्थाएं प्राप्त करने का प्रयास जारी रखती है। ये व्यवस्थाएं आयातक देशों के नियामक अधिकारियों द्वारा निनिप के प्रमाणन प्रणाली की स्वीकृति की सुविधा प्रदान करती है और एकाधिक बॉर्डर निरीक्षण से बचने में सुविधा प्रदान करती हैं।

मौजूदा समतुल्यता करारों / मान्यताओं / प्रमुख व्यापारिक भागीदारों के साथ सहयोग का विवरण सूचीबद्ध है

तालिका (ख)ः तुल्यता करार/मान्यताएं/सहयोग व्यवस्थाएं

देश	अन्तर्निहित उत्पाद	करार/मान्यता का वर्ष
यूएसए	काली मिर्च	1988—2016
(यूएसएफडीए)	गोपनीयता प्रतिबद्धता	

यूरोपीय आयोग	मत्स्य एवं मात्स्यिकी उत्पाद, बासमती चावल, पशु केसिंग, शहद, संदलित हिडडियां, ओसीन एवं जिलेटिन, अंडा एवं अंडा उत्पाद, मूंगफली एवं मूंगफली उत्पाद, पोषण भोज्य एवं पूर्व मिश्रण, मसाले (कैप्सिकम एवं करी पत्ते सभी रूपों में)	1997 से आगे
कोरिया	प्रशीतित समुद्री उत्पाद, प्रसंस्कृत मसाले के सामान, प्रसंस्कृत नट्स, चाय, शहद, जैम, संरक्षित सामान, सॉस, चीनी सिरप, खाद्य तेल और वसा	2004
तुर्की	खाद्य उत्पाद, खाद्य पैकेजिंग सामग्री एवं स्टेनलेस स्टील के बर्तन	2004
श्रीलंका	श्रीलंका की आयात निरीक्षण योजना के तहत 85 उत्पाद अर्थात् दुग्ध उत्पाद, खाद्य तेल, पैकेज्ड पानी, संरक्षित खाद्य, प्रसाधन, साइकिल टायर एवं ट्यूब, स्टील सेक्शन एवं तार, बिजली के सामान, पीवीसी केबल, कॉर्ड आदि	2005
सिंगापुर	खाद्य एवं कृषि (अंडा एवं अंडा उत्पाद, दुग्ध उत्पाद, पीने का पानी), इलेक्ट्रिक एवं इलेक्ट्रॉनिक उत्पाद, दूरसंचार उपकरण, ड्रग्स एवं फार्मास्यूटिकल्स	2005
जापान	कुक्कुट एवं समुद्री उत्पाद	2005
रूसी संघ कस्टम	मत्स्य एवं मात्स्यिकी उत्पाद, दुग्ध उत्पाद	2009
यूनियन		2016
सऊदी अरब	मत्स्य एवं मात्स्यिकी उत्पाद	2009
चीन	मत्स्य एवं मात्स्यिकी उत्पाद फीड एवं फीड सामग्री रेपसीड मील मत्स्य खाद्य एवं मत्स्य तेल	2012 2013 2015 2018 2019
भूटान	खाद्य और कृषि उपज	2013
नीदरलैंड	सामान्य खाद्य सुरक्षा	2019

निनिप ने अंतर्राष्ट्रीय आवश्यकताओं की तुलना में खाद्य वस्तुओं के निर्यात के लिए बढ़े हुए अवसर प्रदान करने के मूल उद्देश्य के साथ व्यापार करने में आसानी और डिजिटल भारत पर भारत सरकार द्वारा की गई पहल को पूरा करने के लिए विशिष्ट उद्देश्य के साथ अपने संसाधनों एवं सेवा की गुणवत्ता को बदल दिया है। निनिप अन्य हितधारकों, जैसे प्रचार बोर्ड, निर्यातकों, आयात करने वाले

देशों के प्राधिकरणों, उद्योग संघों, बुनियादी ढांचे के निर्माण में वाणिज्य मंडलों, कौशल उन्नयन, तकनीकी क्षमता एवं विश्लेषणात्मक क्षमता के साथ सक्रिय रूप से सहयोग कर रही है। निनिप विभिन्न देशों द्वारा लगाए गए एसपीएस उपायों से संबंधित किसी भी भविष्य की चुनौतियों का सामना करने के लिए अपनी स्वयं की दक्षताओं को विकसित करने में सक्रिय रूप से प्रयास कर रही है।

गतिविधियों और उपलब्धियों की एक झलक

भारत सरकार के सलाहकार निकाय, निर्यात निरीक्षण परिषद (निनिप) ने सफलतापूर्वक राष्ट्र को पांच दशकों से अधिक की सेवा प्रदान की है। सशक्त नेतृत्व का साझा प्रयास. प्रतिबद्ध एवं प्रेरित कर्मचारी गण तथा सभी संबंधित हितधारकों का समर्थन प्रमुख उपलब्धियां हैं।

2.1 अंतर्राष्ट्रीय सहयोग

भारत से यूरोपीय संघ को समग्र उत्पादों का निर्यातः

निनिप ने यूरोपीय संघ के साथ डेयरी और पोल्ट्री मांस युक्त मिश्रित उत्पादों के निर्यात का मामला उठाया है और अंतिम रूप में ईसी ने निर्णय 2011/163/ईयू के निर्णय परिषद के निर्देश 93/23/ईसी के अनुच्छेद 29 के अनुसार तीसरे देशों द्वारा प्रस्तुत योजनाओं के अनुमोदन में संशोधन करते हुए दिनांक 17.05.2021 के निर्णय (ईयू) 2021 / 880 को लागू करने के निर्णय के बारे में सूचित किया है। जैसा कि निनिप ने केवल सदस्य राज्यों या तीसरी दुनिया के देशों से उत्पन्न होने वाले डेयरी उत्पादों का उपयोग करने की गारंटी प्रदान की है. जो संघ को ऐसे उत्पादों को निर्यात करने के लिए अनुमोदित हैं, जिन्हें यूरोपीय संघ को निर्यात किए जाने वाले मिश्रित उत्पादों में शामिल किया जाएगा।तदनुसार, भारत को अनुबंध के तहत डेयरी उत्पादों और पोल्ट्री उत्पादों के लिए एक फूट नोट के साथ अद्यतन किया जाता है ''अनुच्छेद 2 के अनुसार, केवल यूरोपीय संघ को निर्यात किए जाने वाले मिश्रित उत्पादों की तैयारी के लिए उपयोग किए जाने के उद्देश्य से, तीसरे देश केवल कच्चे माल का उपयोग कर रहे हैं या तो सदस्य राज्यों से या तीसरे द्निया के उन देशों से जो संघ द्वारा कच्चे माल के आयात के लिए अनुमोदित है

2.2 क्षमता निर्माण


मानव संसाधन निनिप के लिए सबसे बड़ी ताकतों में से एक है। सभी संबंधित हितधारकों के कौशल तथा ज्ञान को विकसित करने के लिए सुनियोजित आवधिक क्षमता निर्माण पहल हैं। निनिप / निनिअ अधिकारियों को राष्ट्रीय तथा अंतरराष्ट्रीय स्तर पर प्रशिक्षण / कार्यशालाओं एवं संगोष्ठियों के लिए प्रतिनियुक्त किया जाता है। अधिकारियों एवं कर्मचारियों को चल रहे घटनाक्रम से परिचित कराने के लिए विभिन्न योजनाओं के तहत निनिप / निनिअ द्वारा पुनश्चर्या कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। इसके अलावा, अन्य हितधारकों द्वारा समन्वित विभिन्न कार्यक्रमों में निनिप / निनिअ अधिकारियों को विशेषज्ञ व्यक्तियों के रूप में प्रतिनियुक्त किया जाता है।

अंतरराष्ट्रीय प्राधिकरणों की आवश्यकताओं के अनुपालन को प्राप्त करने के लिए, निनिप समय–समय पर कई पहल करती है ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि इसके हितधारकों एवं निर्यातक बिरादरी नियामक आवश्यकताओं के बारे में उपयुक्त रूप से अवगत हैं। भारत भर में विभिन्न आउटरीच कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं।

(क) निनिप ने ब्रिटिश मानक संस्थान के साथ संयुक्त कार्यशालाओं का आयोजन किया

निनिप ने ब्रिटिश स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूशन (बीएसआई) के सहयोग से 21.03.2022 और 28.03.2022 को निनिप और निनिअ के अधिकारियों के लिए व्यवसाय करने में आसानी पर परियोजना के तहत ''पशू उत्पत्ति और पौधों की उत्पत्ति उत्पादों के लिए निरीक्षण कौशल पर क्षमता निर्माण" पर दो (02) प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए। यूके-इंडिया "ईज ऑफ डूइंग बिजनेस प्रोग्राम (ईओडीबी)'' यूके के समृद्धि कोष द्वारा समर्थित है, जिसे यूके के विदेश, राष्ट्रमंडल और विकास कार्यालय (एफसीडीओ) द्वारा प्रबंधित किया जाता है। प्रशिक्षण सत्र में 100 से अधिक प्रतिभागियों ने भाग लिया। इस कार्यक्रम का उद्देश्य भारत की सीमाओं पर व्यापारिक माहौल में सुधार करना और भारतीय केंद्रीय और राज्य व्यापार संबंधी नियामक निकायों के भीतर

सुधार हासिल करना है, जो सर्वोत्तम अंतरराष्ट्रीय व्यवसायों को आकर्षित करता हैं; और यूके के ढांचे से एक अधिक सुसंगत मानक प्रणाली रूपरेखा है; इस पहल के तहत, बीएसआई निनिप के साथ निकट सहयोग में जोखिम आधारित निरीक्षण प्रणाली और निरीक्षण कौशल क्षमता निर्माण पर एक मार्गदर्शन दस्तावेज विकसित करेगा।






पशु मूल और पौधों की मूल के उत्पादों के लिए निरीक्षण कौशल पर क्षमता निर्माण पर ईआईसी-बीएसआई प्रशिक्षण

(ख) एफएओ जैव सुरक्षा परियोजना के तहत अंतर्राष्ट्रीय प्रयोगशाला प्रशिक्षण

श्रीलंका में ''आनुवंशिक रूप से उपांतरित जीवों (जीएमओ) / जीवंत उपांतरित जीवों (एलएमओ) का पता लगाने" पर ''एफएओ जैव सुरक्षा परियोजना के तहत अंतर्राष्ट्रीय प्रयोगशाला प्रशिक्षण'' के तहत ईआईसी, खाद्य और कृषि संगठन, पर्यावरण मंत्रालय, श्रीलंका सरकार, बायोटेक कंसोर्टियम इंडिया लिमिटेड (बीसीआईएल), जीईएफ, द्वारा संयुक्त रूप से 04-08 अक्टूबर, 2021 के दौरान वर्च्अल मोड के माध्यम से प्रशिक्षण आयोजित किया गया था। पांच दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम के दौरान निनिप और निनिअ के अधिकारियों ने विभिन्न हितधारकों को प्रशिक्षण दिया। कार्यक्रम के प्रतिभागियों में श्रीलंका सरकार द्वारा तीन प्रयोगशालाओं से नामित प्रतिनिधि शामिल हैं यानी, कृषि जैव प्रौद्योगिकी केंद्र, पेराडेनिया विश्वविद्यालय: राष्ट्रीय संयंत्र संगरोध सेवा (एनपीक्यूएस), कट्नायके और औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, कोलंबो और श्रीलंकाई मान्यता बोर्ड। खाद्य वस्तुओं में जीएमओ / एलएमओ का पता लगाने में आधुनिक उपकरणों और तकनीकों को शामिल करने पर जोर देते हुए निनिअ अधिकारियों द्वारा विभिन्न तकनीकी सत्र आयोजित किए गए थे।



एफएओ जैव सुरक्षा परियोजना के तहत अंतर्राष्ट्रीय प्रयोगशाला प्रशिक्षण

(ग) वाणिज्य उत्सव का समारोह

निर्यात निरीक्षण परिषद् द्वारा "वाणिज्य उत्सव" 23 से 25 सितंबर, 2021 तक मनाया गया, जिसका विषय वाणिज्य उत्सवः आजादी का अमृत महोत्सव, भारत @75 था! यह कार्यक्रम भारत की आजादी के 75 गौरवशाली वर्षों के अवसर को मनाने के लिए आजादी का अमृत महोत्सव के तहत वाणिज्य विभाग द्वारा मनाए गए वाणिज्य सप्ताह (२०.०९.२०२१ से २६.०९.२०२१ तक सप्ताह)

के एक भाग के रूप में आयोजित किया गया था। इन तीन दिनों के दौरान, निर्यात निरीक्षण परिषद द्वारा 'अखिल भारतीय आधार' पर निर्यातकों के लिए वेबिनार की एक श्रृंखला आयोजित की गई, जिसमें भारत को एक उभरती हुई आर्थिक शक्ति के रूप में प्रदर्शित किया गया। निर्यात निरीक्षण परिषद् द्वारा आयोजित पांच वेबिनार में निर्यातकों और हितधारकों की भारी भागीदारी देखी गई और 23-25 सितंबर 2021 तक लगभग 3.000 प्रतिभागियों ने भाग लिया।



23—25 सितंबर, 2021 के दौरान ''वणिज्य उत्सव'' समारोह के दौरान आयोजित वेबिनार के स्क्रीनशॉट

(घ) फिट इंडिया फ्रीडम रन 2.0-आजादी का अमृत महोत्सव

"फिट इंडिया फ्रीडम रन 2.0 —आजादी का अमृत महोत्सव" के अनुरूप, पूरे सितंबर में निर्यात निरीक्षण परिषद् और निर्यात निरीक्षण अभिकरणों द्वारा फिटनेस रन आयोजित किए गए थे। युवा मामलों और खेल मंत्रालय के तहत खेल विभाग ने 75 वे स्वतंत्रता दिवस-''आजादी

का अमृत महोत्सव" के उपलक्ष्य में फिट इंडिया फ्रीडम रन 2.0 की योजना बनाई है। फिटनेस और स्वास्थ्य को बढ़ावा देने के लिए राष्ट्रव्यापी अभियान 13 अगस्त से 2 अक्टूबर 2021 तक लगातार ''फिजिकल / वर्च्अल रन'' की अवधारणा पर होगा। इस अभियान के माध्यम से नागरिकों को प्रतिदिन कम से कम 30 मिनट की शारीरिक गतिविधि को अपने जीवन में शामिल करने का संकल्प लेने का आह्वान किया गया।





फिट इंडिया फ्रीडम रन 2.0 – आजादी का अमृत महोत्सव।

(ड़) माननीय प्रधानमंत्री की भारतीय मिशनों के प्रमुखों और व्यापार और वाणिज्य क्षेत्र के हितधारकों के साथ बैठक।

माननीय पीएम श्री नरेंद्र मोदी जी ने 06.08.2021 को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से विदेशों में भारतीय मिशनों के प्रमुखों और व्यापार और वाणिज्य क्षेत्र के हितधारकों के साथ बातचीत की। निर्यात निरीक्षण परिषद और सभी

निर्यात निरीक्षण अभिकरण के अधिकारियों ने इस कार्यक्रम में भाग लिया। (माननीय पीएम ने अपने संबोधन में शहद निर्यात (परमाणु चुंबकीय अनुनाद) के लिए शुरू किए गए परीक्षण का भी उद्धरण दिया।) इस बैठक के माध्यम से माननीय पीएम ने ''लोकल गो ग्लोबल-मेक इन इंडिया फॉर द वर्ल्ड"; का नारा दिया, जो व्यापारिक निर्यात में भारत की अप्रयुक्त क्षमता का एहसास करने में मदद करेगा।



माननीय प्रधानमंत्री की वर्चुअल बातचीत के दौरान निनिप की भागीदारी

2.3 कोडेक्स गतिविधियां:

निनिप ने खाद्य सुरक्षा एवं गुणवत्ता आवश्यकताओं में वैश्विक परिवर्तनों को समझने तथा अपने जनादेश से संबंधित मुद्दों को प्रभावी ढंग से संबोधित करने के अपने प्रयास के एक भाग के रूप में, वर्ष 2021-22 के दौरान निम्नलिखित कोडेक्स बैठकों / गतिविधियों में भाग लिया है;

- मसालों और पाक संबंधी जड़ी बूटियों पर कोडेक्स समिति का 5वां सत्र (सीसीएससीएच5), वस्तुतः 20-22, 26-27 और 29 अप्रैल 2021 को आयोजित किया गया।
- खाद्य पदार्थों में दूषित पदार्थों पर कोडेक्स समिति (सीसीसीएफ14) का 14वां सत्र वस्तुतः 3-7 मई 2021 के दौरान 13 मई 2021 को रिपोर्ट अंगीकरण के साथ आयोजित किया गया।
- खाद्य आयात और निर्यात निरीक्षण और प्रमाणन प्रणाली (सीसीएफआईसीएस25) पर कोडेक्स समिति का 25 वां सत्र, वस्तुतः, 31 मई – 04 जून 2021 के दौरान 8 जून 2021 को रिपोर्ट अपनाने के साथ आयोजित किया गया।
- खाद्य पदार्थों में पश् चिकित्सा दवाओं के अवशेष (सीसीआरवीडीएफ25) पर कोडेक्स समिति का 25वां सत्र वस्तुतः, 20 जुलाई 2021 को रिपोर्ट अंगीकरण के साथ 12-16 जुलाई 2021 के दौरान आयोजित किया गया।
- कीटनाशक अवशेषों पर कोडेक्स समिति (सीसीपीआर52) का 52वां सत्र वस्तुतः 26-31 जुलाई 2021 के दौरान 3 अगस्त 2021 को रिपोर्ट अपनाने के साथ आयोजित किया गया।
- संयुक्त भूटान–भारत–नेपाल परियोजना सिटीएफ2 के तहत 31 अगस्त 2021 को एफएसएसएआई द्वारा ''कोडेक्स गतिविधियाँ और मानक निर्धारण प्रक्रिया'' पर राष्ट्रीय कार्यशाला आयोजित की गयी ।
- मछली और मत्स्य उत्पादों पर कोडेक्स समिति (सीसीएफएफपी35) का 35वां सत्र वस्तुतः 20 सितंबर से 25 अक्टूबर 2021 के दौरान आयोजित किया गया।

- खाद्य लेबलिंग पर कोडेक्स समिति (सीसीएफएल४६) का ४६वां सत्र वस्तुतः २७ सितंबर – ०१ अक्टूबर २०२१ के दौरान 7 अक्टूबर 2021 को रिपोर्ट अपनाने के साथ आयोजित किया गया।
- 🕒 तदर्थ कोडेक्स इंटरगवर्नमेंटल टास्क फोर्स ऑन एंटीमाइक्रोबियल रेजिस्टेंस (टीएफएएमआर08) का 8वां सत्र, वस्तुतः, 13 अक्टूबर 2021 को रिपोर्ट अपनाने के साथ 4-9 अक्टूबर 2021 के दौरान आयोजित किया गया ।
- कोडेक्स एलिमेंटेरियस कमीशन (सीएसी४४) का ४४वां सत्र वस्तृतः 8–13 नवंबर, 15 नवंबर 2021 के दौरान 17-18 नवंबर 2021 को रिपोर्ट अपनाने के साथ आयोजित किया गया।
- खाद्य स्वच्छता पर कोडेक्स समिति (सीसीएफएच52) का 52वां सत्र वस्तुतः 28 फरवरी से 4 मार्च 2022 के दौरान 9 मार्च 2022 को रिपोर्ट अंगीकरण के साथ आयोजित किया गया।

उपरोक्त के अलावा, निनिप / निनिअ के अधिकारियों ने विभिन्न कोडेक्स समितियों से संबंधित 20 से अधिक इलेक्ट्रॉनिक कार्य समूहों (ईडब्ल्यूजीएस) और कोडेक्स समन्वय समूह (सीसीजी) की बैठकों में भाग लिया।

अन्य कार्यक्रम एवं कार्यकलाप 2.4

वर्ष 2021-22 निनिप के लिए एक महत्वपूर्ण वर्ष था जिसमें कई राष्ट्रीय कार्यक्रम आयोजित किए गए थे। सभी कार्यक्रम पूरी भावना से तथा सभी कर्मचारियों की पूर्ण भागीदारी से आयोजित किए गए। कार्यक्रमों एवं गतिविधियों का आयोजन कोविड मानदंडों के पालन के साथ किया गया। निनिप / निनिअ ने वर्ष के दौरान कई महत्वपूर्ण कार्यकलापों का आयोजन किया, जिसका संक्षिप्त विवरण नीचे दिया गया है:

तालिका (ग)ः राष्ट्रीय कार्यक्रम 2021–22

		2021-22 में आयोजित	राष्ट्रीय कार्यक्रम
क्र. सं.	कार्यकलाप	कार्यकलाप का विवरण	छायाचित्र
1	अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस	21 जून 2021 को निनेप/ निनिअ में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया गया। योग सत्र आयोजित किए गए, जिसमें स्वास्थ्य, खुशी तथा सद्भाव के लिए योग के महत्व एवं लाभों पर बातचीत की गई। सत्र के दौरान सभी अधिकारियों व कर्मचारियों ने योग किया।	
2	हिंदी पखवाड़ा	निनिप और निनिअ में 14 से 28 सितंबर, 2021 तक ''हिंदी दिवस / पखवाड़ा'' मनाया गया। हिंदी कार्यशालाओं के लिए बाहरी विषेशज्ञों को आमंत्रित किया गया था। वाद—विवाद प्रतियोगिता, हिंदी टिप्पणी और निबंध प्रतियोगिता जैसी विभिन्न हिंदी प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया।	In Management of English and Angelish and An
3	सतर्कता जागरूकता सप्ताह	26 अक्टूबर से 01 नवंबर, 2021के दौरान निनिप/ निनिअ में सतर्कता जागरूकता सप्ताह मनाया गया।	Fig. 1 find rich or 19 of the
4	राष्ट्रीय एकता दिवस	31 अक्टूबर 2021 को ''राष्ट्रीय एकता दिवस / नेशनल यूनिटी डे'' आयोजन के दौरान निनिअ में एक शपथ ली गई।	

		स्वच्छता सप्ताह मनाया गया। सभी कर्मचारियों द्वारा स्वच्छता की शपथ ली गई। कार्यालय परिसर और कार्यस्थानों पर सफाई गतिविधियाँ आयोजित की गईं। स्वच्छता ऑडिट किया गया। प्रसंस्करण प्रतिष्ठानों को सफाई जागरूकता प्रदान की गई। सभी निनिअ में निबंध लेखन प्रतियोगिताएं आयोजित की गईं, जिसके बाद समापन बैठक और प्रतियोगिता विजेताओं के लिए पुरस्कार वितरण किया गया। सप्ताह के दौरान स्वच्छता प्रतिज्ञा, बैनरों का प्रदर्शन, जागरूकता के लिए आउटरीच लीफलेट, कार्यालय परिसर की सफाई, स्वच्छता जागरूकता पर हितधारकों के साथ विचार—विमर्श जैसी गतिविधियों का आयोजन किया गया।	DOWN RECTION ARRAY CAMANA CREEK 19 FATE 2.01 Profest 2.01 Prof
6	सांप्रदायिक सद्भाव सप्ताह और झंडा दिवस	19—25 नवंबर 2021 तक निनिप / निनिअ में सांप्रदायिक सद्भाव सप्ताह आयोजित किया गया।	
7		भारत के संविधान की प्रस्तावना का वाचन; निनिअ—कोच्ची के अधिकारियों को प्रस्तावना पठन प्रमाणपत्र	

निरीक्षण एवं प्रमाणन सेवाएं

निनिप मुख्य रूप से अपने अधिदेश के तहत उत्पादों के संबंध में निरीक्षण एवं प्रमाणीकरण के लिए दो प्रकार के दृष्टिकोणों का पालन करती है अर्थात सिस्टम आधारित निरीक्षण एवं परेषण-वार निरीक्षण, जो नीचे विस्तृत हैं; -

खाद्य सुरक्षा प्रबंधन प्रणाली आधारित क) प्रमाणन (एफएसएमएससी)

एचएसीसीपी / जीएमपी / जीएचपी पर आधारित खाद्य सुरक्षा प्रबंधन प्रणालियों के अनुरूप प्रसंस्करण प्रतिष्ठानों को खाद्य सुरक्षा प्रबंधन प्रणाली आधारित प्रमाणन के तहत अनुमोदित किया जाता है। इसके अलावा, उन्हें आयातक देशों द्वारा निर्दिष्ट प्राथमिक उत्पादन नियंत्रण एवं तैयार उत्पाद आवश्यकताओं को पूरा करने की भी आवश्यकता होती है। वर्तमान में, कई खाद्य उत्पादों में ऐसी प्रणालियों को बढावा एवं कार्यान्वित किया जा रहा है। मत्स्य एवं मात्स्यिकी उत्पादों, कुक्कुट मांस एवं कुक्कुट मांस उत्पादों, अंडा एवं अंडा उत्पादों, संदलित हड़ी, ओसीन एवं जिलेटिन के मामले में, भारत सरकार ने यह अनिवार्य कर दिया है कि इन उत्पादों का निर्यात केवल इस प्रणाली के तहत अनुमोदित प्रतिष्ठानों से ही किया जा सकता है। अन्य खाद्य उत्पादों, जैसे काली मिर्च, बासमती चावल, शहद आदि में भी आयातक देश की आवश्यकताओं के आधार पर इस प्रणाली को अपनाया जा रहा है।

एफएसएमएससी आधारित प्रमाणीकरण में, प्रसंस्करणकर्ता की

प्राथमिक जिम्मेदारी यह सुनिश्चित करना है कि निर्यात के लिए निर्धारित उत्पाद उत्पादन के सभी चरणों में संभाला / संसाधित किया जाता है. उचित स्वच्छ परिस्थितियों में भंडारित एवं परिवहित किया जाता है ताकि नियमों के तहत निर्धारित खाद्य सुरक्षा आवश्यकताओं को पूरा किया जा सके तथा उत्पाद आदेश में वर्णित विनिर्देशों के अनुरूप हो। इस जिम्मेदारी को पूरा करने के लिए, प्रतिष्ठानों को स्वयं जाँच प्रणाली की योजना बनाने, उसे लागू करने तथा अभिलेख रखने की आवश्यकता होती है। निनिअ को अधिसूचना आवश्यकताओं के अनुसार प्रसंस्करण प्रतिष्ठानों द्वारा अनुपालन सत्यापित करना आवश्यक है।

ख) परेषण-वार निरीक्षण (सीडब्ल्यूआई) प्रणालीः

परेषण-वार निरीक्षण प्रणाली के तहत. निर्यात परेषण का निनिअ द्वारा निरीक्षण एवं परीक्षण किया जाता है। सांख्यिकीय नमूना योजनाओं के अनुसार नमूने लिए जाते हैं तथा निर्धारित मानकों के अनुसार उत्पादों की अनुरूपता को सत्यापित करने के लिए परीक्षण किया जाता है। इस प्रकार का निरीक्षण कुछ अधिसूचित उत्पादों, जैसे बासमती चावल, दुग्ध एवं दुग्ध उत्पाद, शहद, पोषण भोज्य एवं पूर्व-मिश्रण, अंडा एवं अंडा उत्पाद, फल एवं सब्जी उत्पादों के लिए भी किया जाता है। परेषण-वार निरीक्षण को स्वैच्छिक प्रमाणन योजना के तहत भी पेश किया जाता है।

तालिका (घ): 31 मार्च 2022 तक निनिप/निनिअ द्वारा अनुमोदित प्रतिष्ठानों की संख्या

अनुमोदित प्रतिष्ठानों की संख्या						
एफएसएमएससी के तहत	निनिअ चेन्नई	निनिअ दिल्ली	निनिअ कोच्ची	निनिअ कोलकाता	निनिअ मुंबई	कुल
दुग्ध एवं दुग्ध उत्पाद	28	73	7	1	45	154
शहद	0	19	0	1	0	20
अंडा एवं अंडा उत्पाद	3	2	2	0	1	8
ताजा कुक्कुट मांस एवं कुक्कुट मांस उत्पाद	7	1	4	1	3	16
मत्स्य एवं मात्स्यिकी उत्पाद	257	0	266	107	242	872
काली मिर्च	0	1	12	0	4	17
पशु केसिंग	0	1	0	0	2	3
पोषण भोज्य एवं पूर्व मिश्रण	4	6	2	1	3	16
बासमती चावल	0	41	0	0	1	42
फल एवं सब्जी उत्पाद	20	6	1	1	33	61
रेप सीड मील	0	3	0	0	0	3
स्वैच्छिक योजना	21	11	13	0	50	95
कुल	340	164	307	112	384	1,307

तालिका (ङ)ः निर्यात प्रमाणन

2021—22 के दौरान विभिन्न योजनाओं के तहत निर्यात प्रमाणन विवरण					
	निनिअ चेन्नई	निनिअ दिल्ली	निनिअ को च्ची	निनिअ कोलकाता	निनिअ मुंबई
खाद्य सुरक्षा प्रबंधन प्रणाली (एफएसएमएस) के तहत स्वास्थ्य प्रमाणपत्र	26,136	2,277	12,369	12,091	26,973
परेषण—वार निरीक्षण (सीडब्ल्यूआई) प्रणाली के तहत स्वास्थ्य प्रमाणपत्र	2,209	1,586	487	245	18,111
गैर—जीएमओ प्रमाणपत्र	298	2,952	11	0	4,170
खाद्य सुरक्षा प्रबंधन प्रणाली (वीसीएस) के तहत स्वास्थ्य प्रमाणपत्र	778	3,894	1,794	242	30
तुर्की योजना के तहत जारी प्रमाण पत्र	112	265	77	0	402
प्रामाणिकता प्रमाण पत्र	0	493	0	0	0

3.1 मत्स्य एवं मातिस्यकी उत्पादों के लिए प्रमाणन योजना

ताजा, प्रशीतित , प्रसंस्कृत मत्स्य एवं मात्स्यिकी उत्पाद के निर्यात (गुणवत्ता नियंत्रण, निरीक्षण एवं मॉनिटरिंग) नियम, 1995 के तहत, समय—समय पर संशोधित राजपत्र अधिसूचना सं. 730 (ई) दिनांक 21 अगस्त, 1995 के तहत, मत्स्य एवं मात्स्यिकी उत्पादों के अनिवार्य लदान पूर्व प्रमाणीकरण किया जा रहा है। निर्यात के लिए 2021-22 के दौरान अनुमोदित ८७७ मत्स्य एवं मात्स्यिकी उत्पाद प्रसंस्करण स्थापना हैं।

3.2 फल एवं सब्जी उत्पादों के लिए प्रमाणन योजना

फल एवं सब्जी उत्पादों के निर्यात से संबंधित आदेश एस.ओ.नंबर 3352 (ई) एवं अधिसूचना संख्या एस.ओ.3353 (ई) दोनों दिनांकित 28.10.2016, भारत के राजपत्र में दिनांक 31.10.2016 को प्रकाशित किए गए हैं। नए आदेश ने मूल आदेश एस.ओ.1420 दिनांक 13.05.1978 को अधिक्रमण किया है तथा फलों एवं सब्जियों के उत्पादों (गुणवत्ता नियंत्रण एवं निरीक्षण) के नियमों 2016 को अधिसूचना एस.ओ.3353 (ई) द्वारा फल उत्पादों के निर्यात (गुणवत्ता नियंत्रण एवं निरीक्षण) नियम 1978 के अधिक्रमण में अधिसूचित किया गया है। उपरोक्त आदेश यह सूचित करता है कि फल एवं सब्जी उत्पाद उन मामलों में निर्यात से पहले गुणवत्ता नियंत्रण या निरीक्षण या दोनों के अधीन होंगे जहां आयात करने वाले देशों को इस तरह के निर्यात प्रमाणीकरण की आवश्यकता होती है।

3.3 मूंगफली और मूंगफली उत्पादों को स्वास्थ्य प्रमाण पत्र जारी करने के लिए प्रमाणन योजना

निनिप को 2013 में यूरोपीय संघ एवं मलेशिया को निर्यात के लिए मूंगफली एवं मूंगफली उत्पादों के लिए स्वास्थ्य प्रमाण पत्र जारी करने की जिम्मेदारी सौंपी गई है।

3.4 अंडा और अंडा उत्पाद के लिए प्रमाणन योजना

निनिप आदेश और अधिसूचना एस.ओ. 4368(ई) और एस.ओ 4369(ई) दोनों दिनांक 15.09.2021 के अनुसार अंडा और अंडा उत्पादों के निर्यात के लिए योजना लागू कर रहा है। प्रतिस्थापनाओं की निनिअ द्वारा अनुमोदित और निगरानी की जाती है। इस योजना में सीडब्ल्यूआई का भी प्रावधान है। अंडा और अंडा उत्पादों के निर्यात के लिए प्रमुख गंतव्य यूरोपीय संघ, ऑस्ट्रेलिया, जापान, कस्टम युनियन आदि हैं। निनिप ने निर्यात के लिए बाजार पहुंच / परिचालन मुद्दों को हल करने के लिए भी कई अन्य देशों, जैसे इंडोनेशिया, मलेशिया, ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण अफ्रीका आदि में पहल की है। 31.03.2022 तक, अंडा और अंडा उत्पादों के लिए कुल आठ प्रतिष्ठानों को मंजूरी दी गई है।

3.5 ताजा कुक्कुट मास और कुक्कुट मास उत्पाद के लिए प्रमाणन योजना

ताजा कुक्कुट मांस और कुक्कुट मांस उत्पादों के निर्यात को निर्यात (गुणवत्ता नियंत्रण और निरीक्षण) अधिनियम, 1963 के दायरे में भारत सरकार के आदेश और अधिसचना का.आ. 1377(ई) और एस.ओ.1378(ई) दोनों दिनांक 30.12.2002 और आगे समय-समय पर संशोधित। 31.03.2022 तक, निनिअ के तहत कूल 16 इकाइयों को मंजूरी दी गई है।

3.6 दुग्ध उत्पादों के लिए प्रमाणन योजना

निनिप दुग्ध एवं दुग्ध उत्पादों के निर्यात के लिए अधिकारिक नियंत्रण रखने वाली सक्षम प्राधिकारी है। इस योजना को आदेश एस.ओ.4031 (ई) तथा अधिसूचना एस.ओ.4032 (ई) दोनों दिनाक 09 नवंबर, 2020 द्वारा अधिसूचित किया गया। भारत से निर्यात किए जाने वाले प्रमुख उत्पादों में दुग्ध पाउडर, केसिन तथा इसके संजात, चीज, मक्खन, डिब्बाबंद मिठाई, प्रशीतित पनीर, घी आदि शामिल हैं।

3.7 बासमती चावल के लिए प्रमाणन योजना

बासमती चावल के मूल आदेश एस.ओ.67 (ई) दिनांक 23 जनवरी, 2003 में संशोधन एस.ओ.136 (ई) दिनांक 13 जनवरी, 2016 द्वारा प्रकाशित किया गया। 2021–22 तक कुल 42 बासमती चावल इकाइयों को अनुमोदन दिया गया है, जिसमें 41 निनिअ-दिल्ली के आधिकारिक नियंत्रण में हैं तथा एक निनिअ-मुंबई के तहत है।

3.8 शहद के लिए प्रमाणन योजना

निनिप शहद के निर्यात प्रमाणन के लिए एक योजना संचालित कर रही है। इस योजना को आदेश संख्या एस.ओ.276 (ई) दिनांक 04.03.2002 तथा अधिसूचना एस.ओ.277 (ई) दिनांक 04 मार्च, 2002 एवं समय-समय पर बाद में संशोधन द्वारा अधिसूचित किया गया। एफएसएमएससी के तहत निनिप द्वारा अनुमोदित 20 शहद प्रसंस्करण इकाइयां हैं। वर्तमान में, भारत से शहद का निर्यात संयुक्त राज्य अमेरिका, यूरोपीय संघ एवं अन्य गैर यूरोपीय संघ के गंतव्यों में सुचारू रूप से चल रहा है।

3.9 कच्चे मास के लिए प्रमाणन योजना (शीतित / प्रशीतित)

कच्चे मांस (शीतित / प्रशीतित) के निर्यात को आदेश / अधिसूचना क्रमांक एस.ओ. 203 तथा एस.ओ. 204 दिनांक 15 जनवरी, 1993 द्वारा अधिसूचित किया गया तथा निनिअ को निर्यात उद्देश्य के लिए स्वास्थ्य प्रमाणपत्र जारी करने वाले अभिकरणों में से एक के रूप में अधिसूचित किया गया। गुणवत्ता नियंत्रण एवं प्रमाणन प्रक्रिया के लिए खाद्य सुरक्षा प्रबंधन प्रणाली आधारित प्रमाणीकरण के तहत, कच्चे मांस का निर्यात (शीतित / प्रशीतित) (गुणवत्ता नियंत्रण एवं निरीक्षण) नियम, 1992, संशोधित किया गया है, जिसे अधिसूचना एस.ओ.3023 (ई) तथा एस.ओ.3024 के दोनों दिनांक 28 दिसंबर ,2012 के तहत प्रकाशित किया गया। निनिप मूल्यांकन टीम में भाग लेकर हितधारकों को तकनीकी सहायता प्रदान करती आ रही है।

3.10 निर्यात के लिए पोषण भोज्य और पूर्व मिश्रण के लिए प्रमाणन योजना

निनिप पोषण भोज्य एवं पूर्व मिश्रण के निर्यात के लिए आधिकारिक नियंत्रण रखने वाली सक्षम प्राधिकारी है। निर्यात किए जाने वाले प्रमुख उत्पादों में खनिज एवं विटामिन की खुराक, बाइंडर, चिडियाघर तकनीकी योजक आदि शामिल हैं जो मुख्य रूप से यूरोपीय संघ के देशों को निर्यात किए जाते हैं। पोषण भोज्य एवं पूर्व मिश्रण का निर्यात जैसा कि समय-समय पर संशोधित आदेश संख्या 3523 (ई) द्वारा तथा अधिसूचना संख्या 3524 (ई) दिनांक 28 नवंबर, 2013 द्वारा निर्यात (गुणवत्ता नियंत्रण एवं निरीक्षण) अधिनियम, 1963 के दायरे में लाया गया है।

3.11 सदलित हड़ियों. ओसीन एवं जिलेटिन के निर्यात के लिए प्रमाणन योजना

भारत से संदलित हड्डियों, ओसेन तथा जिलेटिन के निर्यात की उच्चतम गुणवत्ता को बनाए रखने के लिए, उत्पाद को दोनों 3 अप्रैल 2012 के आदेश एवं अधिसूचना के माध्यम से अधिसूचित किया गया, जिसे संदलित हड्डियों, ओसेन एवं जिलेटिन का निर्यात (गुणवत्ता नियंत्रण, निरीक्षण एवं मॉनिटरिंग) नियम, 2012 कहा जाता है। अधिसूचना के अनुसार, निनिप को केंद्रीय सक्षम प्राधिकारी के रूप में मान्यता प्राप्त है।

3.12 पशु केसिंग के लिए प्रमाणन योजना

निनिप को 8 जून 2012 की अधिसूचना एस.ओ.1315 (ई) के तहत पशु केसिंग के निर्यात के लिए सक्षम प्राधिकारी के रूप में नामित किया गया है। पशु केसिंग का प्रमुख निर्यात यूरोपीय संघ के देशों को होता है। निर्यात उद्देश्य के लिए तीन प्रतिष्ठानों को अनुमोदित किया गया। निर्यातक स्वास्थ्य प्रमाणपत्र प्राप्त करने के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।

3.13 स्वैच्छिक प्रमाणन योजना के तहत खाद्य उत्पादों के निर्यात के लिए स्वास्थ्य प्रमाणपत्र जारीकरण

कई आयातक देशों के नियामक प्राधिकरण / खरीदार कुछ खाद्य, फीड एवं खाद्य संपर्क सामग्री के निर्यात के लिए स्वास्थ्य प्रमाण पत्र / निर्यात योग्यता के प्रमाण पत्र के लिए जोर देते हैं जो निनिप अधिनियम के तहत अधिसूचित नहीं हैं। आयात नियामक प्राधिकरणों की इस आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए तथा भारत से निर्यात की सुविधा के लिए, आयातक देशों की आवश्यकता के अनुसार निनिअ द्वारा स्वास्थ्य प्रमाण पत्र जारी किए जाते हैं। योजना की मुख्य विशेषताओं में परेषण के लिए स्वास्थ्य प्रमाणपत्र जारी करना शामिल है, जोकि आयात करने वाले देशों के नियामक प्राधिकरणों की आवश्यकताओं / खरीदारों की आवश्यकताओं / प्रासंगिक राष्ट्रीय मानकों के अनुरूप है। यह योजना निर्यातक को स्वयं नमूना लेने तथा उसका परीक्षण करने के लिए अधिकृत करती है जिससे निर्यात के लिए समयसीमा कम हो जाती है।

मूलस्थान प्रमाणपत्र

2017—18 में पंजीकृत निर्यातक प्रणाली (रेक्स प्रणाली) की शुरूआत ने 2018—19, 2019—20 तथा 2021—22 में सभी निनिअ एवं उप कार्यालयों में रेक्स पंजीकरण प्रणाली के सुचारू कार्यान्वयन को देखा। रेक्स स्व—प्रमाणन के सिद्धांत पर आधारित है, आर्थिक प्रचालक मूलस्थान के बारे में बयान देंगे। 2010 में मूलस्थान के जीएसपी नियमों में सुधार के संदर्भ में विनियम (ईयू) संख्या 1063/2010 दिनांक 18.11.2010 में संशोधन करके रेक्स प्रणाली को मूलस्थान के जीएसपी नियमों में पेश किया गया। जबिक सुधार के अन्य तत्व 1 जनवरी 2011 से प्रभावी हो गए हैं, जीएसपी लाभार्थी देशों को तैयार होने के लिए पर्याप्त

समय देने के लिए रेक्स प्रणाली के आवेदन को 1 जनवरी 2017 तक के लिए स्थिगित कर दिया गया। निर्यात निरीक्षण परिषद, वाणिज्य विभाग द्वारा रेक्स प्रणाली में निर्यातकों को पंजीकृत करने के लिए नामित 16 अन्य संगठनों में से एक सक्षम प्राधिकारी है। पूरे भारत में निर्यातकों या आर्थिक प्रचालकों के लिए वर्ष के दौरान प्रशिक्षण एवं जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए गए। निनिअ ने निर्धारित प्रक्रियाओं और दिशानिर्देशों के अनुसार विभिन्न एफटीए के तहत, मूलस्थान के कुल 4,51,590 अधिमान्य / गैर—अधिमानी प्रमाण पत्र जारी किए, जैसा कि नीचे तालिका में वर्णित है

तालिका (च)ः वर्ष 2021-22 के दौरान जारी किए गए मूलस्थान प्रमाण पत्र

वर्ष 2021—22 के दौरान जारी किए गए मूलस्थान प्रमाण पत्र							
क्र.स.	योजना	निनिअ चेन्नई	निनिअ दिल्ली	निनिअ कोच्ची	निनिअ कोलकाता	निनिअ मुम्बई	कुल
1	जीएसपी	16,816	40,334	18,040	5,061	41,074	1,21,325
2	जीएसटीपी	1,423	1,515	635	106	4,654	8,333
3	सप्ता	89	191	65	13	776	1,134
4	आईएसएफटीए	2,271	2,402	730	765	4,551	10,719
5	आईटीएफटीए	12	24	2	1	387	426
6	आईएससीईसीए (सिंगापुर)	9	4	22	1	6	42
7	साफ्टा	4,513	18,367	1,049	20,015	14,223	58,167
8	आप्ता	3,391	2,856	1,119	1,118	9,485	17,969

9	आईसीपीटीए (चिली)	1,788	3,195	918	532	5,668	12,101
10	आईएमपीटीए (मर्कोसुर)	57	138	0	14	176	385
11	एआईएफटीए	21,934	32,015	12,771	5,586	63,741	1,36,047
12	आईएएफटीए	0	0	0	0	0	0
13	आईकेसीईपीए	10,475	9,334	4,057	1,130	22,311	47,307
14	आईएमसीईसीए	358	613	207	22	1,907	3,107
15	आईजेसीईपीए	4,655	10,065	3,018	3,186	12,111	33,035
16	भारत मॉरीशस सीईसीपीए	1	10	0	4	55	70
17	गैर तरजीही	128	451	71	228	545	1,423
	कुल	67,920	1,21,514	42,704	37,782	1,81,670	4,51,590

पीटीए / एफटीए का संक्षिप्त विवरण, जिसके तहत वर्तमान में निनिप / निनिअ द्वारा मूलस्थान प्रमाणपत्र जारी किए जाते है, इस प्रकार है:

अधिमान्य की सामान्यीकृत 4.1 प्रणाली (जीएसपी)

अधिमान्य की सामान्यीकृत प्रणाली (जीएसपी) विश्व व्यापार संगठन (डब्ल्यूटीओ) के सामान्य नियमों से छूट की एक औपचारिक प्रणाली है, जिसे सबसे पसंदीदा राष्ट्र सिद्धांत (एमएफएन) के रूप में माना जाता है। इस प्रणाली के तहत, 2021-22 के दौरान निनिअ द्वारा कुल 1,21,325 प्रमाणपत्र जारी किए गए। 2021-22 में इस योजना के तहत प्राप्त कुल सत्यापनोत्तर जांच (पीवी) अनुरोध 37 हैं।

वैश्विक व्यापार अधिमान्य प्रणाली 4.2 (जीएसटीपी)

करार पर 13 अप्रैल, 1988 को हस्ताक्षर किए गए तथा यह 19 अप्रैल, 1989 से लागू हुआ। करार का समर्थन करने एवं 77 के समूह के सदस्यों के बीच व्यापार रियायतें प्राप्त करने के बाद, चवालीस देश भागीदार बन गए हैं। जीएसटीपी की कार्यक्षेत्र व्याप्ति प्रशुल्क, पैरा-प्रशुल्क, गैर-प्रशुल्क उपाय, मध्यम एवं दीर्घकालिक अनुबंधों सहित प्रत्यक्ष व्यापार उपाय एवं क्षेत्रीय करार क्षेत्र में व्यवस्थाओं

तक फैली हुई है। इस प्रणाली के तहत, 2021-22 के दौरान निनिअ द्वारा कुल ८,३३३ प्रमाण पत्र जारी किए गए।

4.3 एशिया प्रशांत व्यापार करार (एपीटीए/ आप्ता)

यह करार ईएससीएपी के विकासशील सदस्य देशों के बीच व्यापार विस्तार की एक सतत प्रक्रिया के माध्यम से आर्थिक विकास को बढावा देता है तथा पारस्परिक रूप से लाभकारी व्यापार उदारीकरण उपायों को अपनाने के माध्यम से उनके संबंधित वर्तमान एवं भविष्य के विकास एवं व्यापार की जरूरतों के अनुरूप अंतरराष्ट्रीय आर्थिक सहयोग को आगे बढ़ाता है। इस प्रणाली के तहत, 2021-22 के दौरान निनिअ द्वारा कुल 17,969 प्रमाण पत्र जारी किए गए। इस योजना के तहत 2021-22 में 20 सत्यापनोत्तर जांच (पीवी) अनुरोध प्राप्त हुए।

4.4 दक्षिण एशियाई मुक्त व्यापार क्षेत्र पर करार (साफ्टा)

करार राज्य इस करार के अनुसार रियायतों के आदान-प्रदान के माध्यम से करार राज्यों के बीच सहयोग.

आपसी व्यापार एवं आर्थिक सहयोग को बढावा देने तथा बढ़ाने के लिए दक्षिण एशियाई मुक्त व्यापार क्षेत्र (साफ्टा) की स्थापना करते हैं। इस करार के अनुसार रियायतों का आदान-प्रदान करने के माध्यम से व्यापार बाधाओं को दूर करके, मुक्त व्यापार क्षेत्र में निष्पक्ष प्रतिस्पर्धा की स्थितियों को बढावा देकर, करार को कार्यान्वित करने तथा लाग् करने के प्रभावी तंत्र बनाने के संबंध में राज्यों के बीच आपसी व्यापार एवं आर्थिक सहयोग को बढावा देता है तथा बढ़ाता है। साफ्टा करार 1 जनवरी, 2006 को लागू हुआ। इस प्रणाली के तहत, 2021—22 के दौरान निनिअ द्वारा कुल 58,167 प्रमाण पत्र जारी किए गए। 2021-22 में इस योजना के तहत केवल दो पोस्ट सत्यापन (पीवी) अनुरोध प्राप्त हुए।

भारत–श्रीलंका मुक्त व्यापार करार (आईएसएफटीए)

इस करार का उद्देश्य भारत एवं श्रीलंका के बीच व्यापार के विस्तार तथा आर्थिक संबंधों के सामंजस्यपूर्ण विकास को बढावा देना है, भारत एवं श्रीलंका के बीच व्यापार के लिए प्रतिस्पर्धा की उचित स्थिति प्रदान करता है। इस प्रणाली के तहत, 2021–22 के दौरान निनिअ द्वारा कुल 10,719 प्रमाण पत्र जारी किए गए। 2021-22 में इस योजना के तहत कोई सत्यापनोत्तर जांच (पीवी) अनुरोध प्राप्त नहीं हुआ।

4.6 भारत जापान व्यापक भागीदारी करार (आईजेसीईपीए)

भारत—जापान व्यापक भागीदारी करार पर 16 फरवरी, 2011 को हस्ताक्षर किए गए। इस करार के उद्देश्य हैं: उत्पादों तथा सेवाओं में व्यापार को उदार एवं सूगम बनाना; निवेश के अवसरों में वृद्धि तथा निवेश के लिए सुरक्षा को मजबूत करना; बौद्धिक संपदा की सुरक्षा सुनिश्चित करना, प्रतिस्पर्धा कानुनों के प्रभावी प्रवर्तन के लिए सहयोग को बढ़ावा देना; कारोबारी माहौल में सुधार; करार में सहमत क्षेत्रों में घनिष्ठ सहयोग बढ़ाने के लिए एक रूपरेखा स्थापित करना; इस करार के कार्यान्वयन तथा लागू करने के लिए प्रभावी प्रक्रियाएं तैयार करना एवं विवादों का समाधान करना। इस प्रणाली के तहत, 2021-22 के दौरान निनिअ द्वारा कुल 33035 प्रमाण पत्र जारी किए गए। 2021-22 में इस योजना के तहत केवल दो पोस्ट सत्यापन (पीवी) अनुरोध प्राप्त हुए।

भारत कोरिया व्यापक आर्थिक भागीदारी करार (आईकेसीईपीए)

भारत कोरिया व्यापक आर्थिक भागीदारी करार पर 7 अगस्त, 2009 को हस्ताक्षर किए गए। इस करार का उद्देश्य उत्पादों तथा सेवाओं में व्यापार को उदार बनाना एवं स्गम करना तथा निवेश का विस्तार करना, आर्थिक संबंधों को मजबूत तथा बढ़ाने के लिए एक सहकारी ढांचा स्थापित करना; मुक्त व्यापार क्षेत्र में निष्पक्ष प्रतिस्पर्धा की स्थितियों को बढावा देना; व्यापार एवं निवेश को नियंत्रित करने के लिए पारदर्शी नियमों का ढांचा स्थापित करना है। इस प्रणाली के तहत, 2021–22 के दौरान निनिअ द्वारा कूल 47,307 प्रमाण पत्र जारी किए गए। 2021-22 में इस योजना के तहत प्राप्त कुल 29 सत्यापनोत्तर जांच (पीवी) अनुरोध प्राप्त हुए हैं।

भारत– मर्को सुर अधिमान्य व्यापार करार (आईएमपीटीए)

भारत मर्कोसुर पीटीए पर 25 जनवरी, 2004 को लैटिन अमेरिका के व्यापारिक ब्लॉक मर्कोसुर और भारत के बीच हस्ताक्षर किए गए। मर्कोसुर एवं भारत गणराज्य के बीच एक मुक्त व्यापार क्षेत्र के निर्माण के लिए ढांचा करार पार्टियों के बीच एक मुक्त व्यापार क्षेत्र बनाने के अंतिम उद्देश्य के साथ पारस्परिक निश्चित अधिमान्य प्रशुल्क प्रदान करके मौजूदा संबंधों का विस्तार करने तथा मजबूत करने एवं व्यापार के विस्तार को बढावा देने के लिए हैं। इस प्रणाली के तहत, 2021–22 के दौरान निनिअ द्वारा कुल 385 प्रमाण पत्र जारी किए गए। 2021-22 में इस योजना के तहत कोई सत्यापनोत्तर जांच (पीवी) अनुरोध प्राप्त नहीं हुआ।

चिली के साथ अधिमान्य व्यापार करार 49 (पीटीए)

भारत चिली अधिमान्य प्रशुल्क करार पर 8 मार्च, 2006 को हस्ताक्षर किए गए। करार का उद्देश्य दोनों देशों के बीच व्यापार के विस्तार एवं आर्थिक संबंधों के सामंजस्यपूर्ण विकास को बढ़ावा देना, व्यापार के लिए प्रतिस्पर्धा की उचित स्थिति प्रदान करना तथा व्यापार बाधाओं को दूर करना है। इस प्रणाली के तहत, 2021-22 के दौरान निनिअ द्वारा कुल 12,101 प्रमाण पत्र जारी किए गए। 2021–22 में इस योजना के तहत कोई सत्यापनोत्तर जांच (पीवी) अनुरोध प्राप्त नहीं हुआ।

भारत-आसियान करार 4.10

भारत गणराज्य एवं दक्षिण-पूर्व एशियाई राष्ट्र संघ के बीच व्यापक आर्थिक सहयोग पर रूपरेखा करार के तहत 13 अगस्त 2009 को हस्ताक्षरित उत्पाद के व्यापार करार फ्रेमवर्क करार में परिकल्पित उत्पादों के व्यापार एवं उससे संबंधित अन्य सभी मामलों पर लागू होगा। इस प्रणाली के तहत, 2021-22 के दौरान निनिअ द्वारा कुल 1,36,047 प्रमाण पत्र जारी किए गए। 2021-22 में इस योजना के तहत प्राप्त कुल सत्यापनोत्तर जांच (पीवी) अनुरोध 60 हैं।

4.11 भारत अफगानिस्तान मुक्त व्यापार करार (आईएएफटीए)

इस करार का उद्देश्य व्यापार के विस्तार के माध्यम से आर्थिक संबंधों के सामंजस्यपूर्ण विकास को बढ़ावा देना, भारत एवं अफगानिस्तान के बीच व्यापार के लिए प्रतिस्पर्धा की उचित स्थिति प्रदान करना है।

4.12 सार्क अधिमान्य व्यापार व्यवस्था (एस एपीटीए)

सार्क अधिमान्य व्यापार व्यवस्था पर करार पर 11 अप्रैल, 1993 को हस्ताक्षर किए गए। अनुबंध करने वाले राज्य इस करार के अनुसार रियायतों का आदान-प्रदान करके, अनुबंधित राज्यों के बीच आपसी व्यापार और आर्थिक सहयोग को बढावा देने और बनाए रखने के लिए सार्क अधिमान्य व्यापार व्यवस्था (एसए पीटीए) की स्थापना करते हैं। इस प्रणाली के तहत, 2021—22 के दौरान निनिअ द्वारा कुल 1,134 प्रमाण पत्र जारी किए गए। 2021-22 में इस योजना के तहत कोई सत्यापनोत्तर जांच (पीवी) अनुरोध प्राप्त नहीं हुआ।

4.13 भारत सिंगापुर व्यापक आर्थिक सहयोग करार (आईएससीईसीए)

भारत सिंगापुर व्यापक आर्थिक सहयोग समझौते का उद्देश्य आर्थिक, व्यापार और निवेश सहयोग को मजबूत और बढ़ाना है; वस्तुओं और सेवाओं में व्यापार को उदार बनाना और बढ़ावा देना, उनके विनिर्माण और सेवा क्षेत्रों की दक्षता और प्रतिस्पर्धात्मकता में सुधार करना और व्यापार और निवेश का विस्तार करना, आर्थिक सहयोग के नए क्षेत्रों का पता लगाना और निकट आर्थिक सहयोग के लिए उपयुक्त उपाय विकसित करना; क्षेत्रीय आर्थिक सहयोग और एकीकरण को सुगम बनाने और बढ़ाने के लिए। इस प्रणाली के तहत, 2021-22 के दौरान निनिअ द्वारा कूल 42 प्रमाण पत्र जारी किए गए थे। इस योजना के तहत 2021-22 में कोई सत्यापनोत्तर जांच (पीवी) अनुरोध प्राप्त नहीं हुआ।

4 14 भारत मलेशिया व्यापक आर्थिक सहयोग करार (सीईसीए)

सीईसीए व्यावसायिक रूप से सार्थक बाजार पहुंच प्रदान करने के लिए पेशेवरों एवं कुशल व्यक्तियों के संचलन, सीमापार आपूर्ति, दूरसंचार सेवाओं सहित पर्याप्त क्षेत्रीय कवरेज के साथ, अधिमान्य आधार पर सेवाओं में व्यापार को उदार बनाएगा। सीईसीए के तहत बाजार पहुंच प्रतिबद्धताएं आसियान–भारत व्यापार उत्पाद करार की तुलना में तेज समयसीमा एवं कम बहिष्करण सुचियों सहित अधिक उदार प्रशुल्क रियायतें प्रदान करती हैं। सीईसीए में बुनियादी ढांचे के विकास, उत्पादक उद्योग, पर्यटन, एसएमई, व्यापार सुविधा, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, मानव संसाधन विकास जैसे क्षेत्रों में आर्थिक सहयोग सम्मिलित है। इस प्रणाली के तहत, 2021-22 के दौरान निनिअ द्वारा कुल 3,107 प्रमाण पत्र जारी किए गए। 2021-22 में इस योजना के तहत प्राप्त कुल सत्यापनोत्तर जांच (पीवी) अनुरोध 3 हैं।

4.15 भारत थाईलैंड मुक्त व्यापार करार

भारत गणराज्य और थाईलैंड साम्राज्य की सरकारें अधिक से अधिक आर्थिक सहयोग के लिए अनुकूल परिस्थितियों का निर्माण करने और निष्पक्ष प्रतिस्पर्धा को बढावा देने के लिए प्रयास करेंगी: व्यापार के लिए बाधाओं को उत्तरोत्तर उदार बनाना और समाप्त करना, और पारस्परिक आधार पर वस्तुओं और सेवाओं की सीमा पार आवाजाही की सुविधा के साथ-साथ एक पारदर्शी, उदार और स्विधाजनक निवेश व्यवस्था बनाना; और नए क्षेत्रों का पता लगाना और दोनों देशों के बीच घनिष्ठ आर्थिक सहयोग के लिए उपयुक्त उपाय विकसित करना। इस प्रणाली के तहत, 2021-22 के दौरान निनिअ द्वारा कुल 426 प्रमाण पत्र जारी किए गए थे। इस योजना के तहत 2021–22 में कोई सत्यापनोत्तर जांच (पीवी) अनुरोध प्राप्त नहीं हुआ

4 16 भारत-मॉरीशस व्यापक आर्थिक सहयोग और साझेदारी समझौता

भारत गणराज्य और मॉरीशस गणराज्य की सरकारों ने स्वास्थ्य, सुरक्षा, पर्यावरण की सुरक्षा के उद्देश्यों को प्राप्त करने और पारस्परिक रूप से लाभप्रद आर्थिक संबंधों को बढावा देने के लिए इस समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। इस प्रणाली के तहत, 2021-22 के दौरान निनिअ द्वारा कुल 70 प्रमाण पत्र जारी किए गए थे। इस योजना के तहत 2021-22 में कोई सत्यापनोत्तर जांच (पीवी) अनुरोध प्राप्त नहीं हुआ।

4 17 उत्पत्ति का गैर-अधिमान्य प्रमाण पत्र

वाणिज्य विभाग (वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय, भारत सरकार के तहत) ने निनिप को उत्पत्ति का गैर-अधिमान्य प्रमाण पत्र जारी करने के लिए अधिकृत किया है। इस प्रणाली के तहत, 2021-22 के दौरान निनिअ द्वारा कुल 1.423 प्रमाण पत्र जारी किए गए।

अन्य प्रमुख गतिविधियाँ

5.1 निनिप एवं निनिअ में नए विकास

5.1.1 निनिअ चेन्नई उप कार्यालय विशाखापत्तनम का नया कार्यालय सह प्रयोगशाला परिसर

निर्यात निरीक्षण अभिकरण—चेन्नई, उप—कार्यालय—विशाखापत्तनम के नए कार्यालय—सह—प्रयोगशाला परिसर का उद्घाटन 24 सितंबर 2021 को श्री बी वी.आर.सुब्रह्मण्यम, आईएएस, वाणिज्य सचिव, भारत सरकार के वाणिज्य और

उद्योग मंत्रालय, श्री दिवाकर नाथ मिश्रा ,आईएएस,संयुक्त सिवव,वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय और निदेशक, निर्यात निरीक्षण परिषद् द्वारा किया गया था। अन्य उपस्थित गणमान्य व्यक्ति श्री के.एस.श्रीनिवास आईएएस, अध्यक्ष, एमपीईडीए और डॉ.एम.अंगमुथु, आईएएस, अध्यक्ष, एपीडा थे। इस सुविधा की स्थापना के साथ चेन्नई जैसे अन्य दूर के स्थानों पर नमूने भेजने के बजाय, क्षेत्र के निर्यातक, विशाखापत्तनम में नमूनों का परीक्षण करवा सकेंगे। इससे निर्यातकों के समय और लागत की बचत होगी और क्षेत्र से निर्यात करने में सुविधा होगी।



श्री बी.वी. आर. सुब्रहमण्यम, आईएएस, वाणिज्य सचिव, एमओसी एडं आई ने ईआईए— चेन्नई, उप कार्यालय—विशाखापत्तनम के नए कार्यालय—सह—प्रयोगशाला परिसर का उदघाटन

5.1.2 खाद्य और कृषि वस्तुओं के लिए आनुवंशिक रूप से संशोधित जीव (जीएमओ) के लिए प्रवीणता परीक्षण प्रदाता (पीटीपी) के रूप में निनिअ कोच्ची का प्रत्यायन:

निर्यात निरीक्षण एजेंसी- कोच्ची प्रयोगशाला को एनएबीएल द्वारा आईएसओ / आईईसी 17043:2010 के अनुपालन में खाद्य और कृषि वस्तुओं (जैविक) के लिए आनुवंशिक रूप से संशोधित जीव (जीएमओ) के लिए पीटी प्रदाता के रूप

में मान्यता दी गई है। ईआईए-कोच्चि. प्रवीणता परीक्षण प्रदाता (पीटीपी) आईएसओ/आईईसी 17043:2010 के अनुपालन में परीक्षण और अंशांकन प्रयोगशालाओं के लिए राष्ट्रीय प्रत्यायन बोर्ड (एनएबीएल) द्वारा आनुवंशिक रूप से संशोधित जीव (जीएमओ) के लिए भारत में पहला और एकमात्र मान्यता प्राप्त पीटी प्रदाता है। प्रत्यायन के दायरे में दो जीएम तत्वों सीएएमवी 35एस प्रमोटर और एनओएस टर्मिनेटर के साथ खाद्य और कृषि उत्पाद शामिल हैं।



Export Inspection Agency (EIA)-Kochi, Proficiency Testing Provider (PTP) is the first and only accredited PT provider in India for Genetically Modified Organism (GMO) by National Accreditation Board for Testing and Calibration Laboratories (NABL) in compliance with ISO/IEC 17043:2010

Scope of accreditation in Food and Agriculture Products with two GM elements CaMV 35S Promoter and NOS Terminator



5.1.3 निर्यात में आसानी के लिए डिजिटल पहलः सीओओ. के लिए कॉमन डिजिटल प्लेटफॉर्म (सीडीपी)

डीजीएफटी द्वारा मूल प्रमाण पत्र (सीओओ) जारी करने के लिए कॉमन डिजिटल प्लेटफॉर्म 16 सितंबर 2019 को माननीय वाणिज्य मंत्री द्वारा लॉन्च किया गया था। सीडीपी उत्पत्ति का प्रमाण पत्र जारी करने और करने में

आसानी के लिए अधिकृत सभी नामित एजेंसियों को एकल बिंद् पहुंच प्रदान करता है। निर्यातकों के लिए व्यापार क्योंकि कार्यालयों का दौरा करने की कोई आवश्यकता नहीं है। 2021-22 तक सीओओ की सभी अधिमान्य / गैर-अधिमान्य योजनाओं को इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर लाइव कर दिया गया है और निनिअ इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से ही मूल का प्रमाण पत्र जारी कर रहे हैं।

क्र.स.	अधिमान्य योजना का नाम	सीडीपी पर सक्रिय होने की तारीख
1	भारत चिली पीटीए	25 सितंबर 2019
2	साफ्टा एवं साप्ता (केवल नेपाल के लिए)	18 दिसंबर 2019
3	भारत कोरिया सीईपीए	6 मार्च 2020
4	एआईएफटीए	7 अप्रैल 2020
5	साफ्टा एवं साप्ता (बांग्लादेश, भूटान, मालदीव, पाकिस्तान एवं श्रीलंका के लिए)	7 अप्रैल 2020
6	एशिया प्रशांत व्यापार करार	7 अप्रैल 2020
7	भारत श्रीलंका एफटीए	7 अप्रैल 2020
8	जीएसपी, जीएसटीपी, भारत—मलेशिया सीईसीए, भारत—सिंगापुर सीईसीए	15 अक्तूबर 2020
9	भारत—मॉरीशस व्यापक आर्थिक सहयोग और साझेदारी समझौता	1 अप्रैल 2021

निनिप ने सीडीपी के डिजाइन एवं विकास में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी तथा निर्यातकों द्वारा पंजीकरण के लिए अपनाई जाने वाली प्रक्रियाओं, निर्यातकों द्वारा आवेदन दाखिल करने, अधिकारियों द्वारा प्रमाण पत्र जारी करने, विभिन्न एफटीए के तहत मृलस्थान प्रमाणपत्र की विशिष्ट आवश्यकताओं एवं मानक प्रारूपों आदि पर जानकारी प्रदान की थी। निनिप/निनिअ कार्यालयों ने इस प्लेटफॉर्म के बीटा परीक्षण में सक्रिय रूप से भाग लिया तथा इसके शुभारंभ से पहले इसे और बेहतर बनाने के लिए योगदान दिए।

5.1.4 टेबल एग को शामिल करना और सीडब्ल्युआई के तहत अंडा और अंडा उत्पादों को प्रमाणित करने के प्रावधानः

निनिप अधिसूचित वस्तुओं के लिए मौजूदा आदेश और अधिसचनाओं के संशोधन पर काम कर रहा है। इस संबंध में. अंडा और अंडा उत्पादों के निर्यात के लिए नए नियम एस.ओ. 4368(ई) और एस.ओ.4369 (ई) दिनांक 15 सितंबर, 2021 को प्रकाशित किए गए है । अब, ताजा अंडे भी नए नियमों के तहत शामिल हैं और गैर यूरोपीय संघ देशों को अंडे और अंडे उत्पादों के निर्यात के लिए कंसाइनमेंट वाइज निरीक्षण (सीडब्ल्यूआई) का प्रावधान शामिल किया

गया है। युरोपीय संघ के देश जो छोटे व्यापारियों और व्यापारी निर्यातकों द्वारा टेबल अंडे और अंडे के उत्पादों के निर्यात को सुविधाजनक बनाने में मदद करेंगे।

5.1.5 आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 में निनिप का विशेष उल्लेख:

व्यापार सुविधा के संदर्भ में निनिप / निनिअ के अथक प्रयासों और कार्यों को सक्रिय कार्य के लिए आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 में निनिप को विशेष उल्लेख द्वारा मान्यता दी गई है, जिसने कोविड महामारी के दौरान कृषि निर्यात के विकास में सहायता की।



आर्थिक सर्वेक्षण 2021–22 का एक अंश

5.1.6 नागरिकों पर नियामक अनुपालन भार को न्यूनीकरण करना / घटानाः

व्यापार करने में आसानी के लिए नागरिकों पर नियामक अनुपालन बोझ को कम करने की भारत सरकार की पहल के एक हिस्से के रूप में, निनिप ने निर्यात व्यापार को स्विधाजनक बनाने के लिए कई कदम उठाए हैं। इनमें से कुछ का उल्लेख नीचे किया गया है

क) निर्यात स्थापना के अनुमोदन की अवधि बढाई गई

निर्यात स्थापना को दी गई मंजूरी अब एक / दो साल पहले के बजाय तीन साल के लिए वैध है। इससे निर्यात के लिए स्थापना के मुल्यांकन के लिए विशेषज्ञों के अंतर-विभागीय पैनल के दौरे में शामिल लागत और समय के संदर्भ में नियामक बोझ 33 से 50 प्रतिशत तक कम हो जाएगा। इस उपाय से 1.000 से अधिक निर्यात स्थापना लाभान्वित होंगे।

ख) निर्यात स्थापनाओं के निरीक्षण दौरों की आवृत्ति में कमी

निर्यात स्थापना के पिछले प्रदर्शन के आधार पर अनुमोदित निर्यात प्रतिष्टानों के निरीक्षण दौरों (निगरानी, पर्यवेक्षी) की आवृत्ति को 33 से 50 प्रतिशत तक कम कर दिया गया है। खाद्य सुरक्षा मानदंडों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए अनुमोदित प्रतिष्टानों के आवधिक निरीक्षण और पर्यवेक्षी दौरे निर्धारित हैं। हालाँकि, इन दौरों की आवृत्ति को स्थापना के पिछले प्रदर्शन के आधार पर बदल दिया गया है।

विभिन्न मृक्त व्यापार समझौतों के तहत मूल प्रमाण पत्र जारी करने से संबंधित फिजिकल सत्यापन दौरों को कम कर दिया गया है। पहले निर्यात की गई प्रत्येक 100 खेपों के लिए निर्यात स्थापना के एक दौरे के बजाय, अब 150 खेपों के लिए एक दौरे निर्धारित की गई है। इससे निर्यातकों के लागत और समय की बचत होगी।

ग) निर्यात के लिए प्रमाणपत्र (सीएफई) प्रस्तृत करने की आवृत्ति और प्रणाली

निर्यातक द्वारा सीएफई जमा करने की आवृत्ति को दो सप्ताह में एक बार से घटाकर महीने में एक बार कर दिया गया है, जिसके परिणामस्वरूप प्रस्तृत करने के समय में 50 प्रतिशत की कमी आई है। इसके अलावा निर्यातकों द्वारा सीएफई की इलेक्ट्रॉनिक फाइलिंग का प्रावधान किया गया है जिससे निर्यातकों पर समग्र नियामक बोझ कम हो गया है।

5.2 प्रयोगशाला गतिविधियाँ और उपलब्धियाँ

प्रयोगशालाएं निनिप के निर्यात नियंत्रण कार्यक्रम की रीढ हैं तथा निनिप के पास नमूनों का परीक्षण करने के लिए प्रयोगशालाओं का एक मजबूत नेटवर्क है। परीक्षण एवं अंशांकन प्रयोगशालाओं (एनएबीएल) के राष्ट्रीय प्रत्यायन बोर्ड द्वारा मान्यता प्राप्त पांच खाद्य परीक्षण प्रयोगशालाएं भुवनेश्वर, चेन्नई, कोलकाता, कोच्ची और मुंबई में स्थित हैं, जो निर्यात के लिए खाद्य उत्पादों के प्रमाणन में संबंधित निर्यात निरीक्षण अभिकरण (निनिअ) का सहयोग करते हैं। निनिअ के पास नियमित सूक्ष्मजैविक विश्लेषण के लिए अपने उप-कार्यालयों से जुड़ी क्षेत्रीय प्रयोगशालाएं भी हैं। इसके अलावा, एक खाद्यान्न परीक्षण प्रयोगशाला निनिअ-दिल्ली में स्थित है, जिसे आईएसओ 17025:2017 के अनुसार भी मान्यता प्राप्त है।

निनिअ प्रयोगशालाओं के अलावा, निनिप की एकीकृत प्रयोगशाला आकलन योजना (आईएलएएस) के अनुसार, आयात करने वाले देशों की आवश्यकताओं के अनुसार उत्पादों के परीक्षण के उद्देश्य से बाहरी प्रयोगशालाओं को अनुमोदन दिया जाता है। 2021-22 के दौरान, निनिअ प्रयोगशालाओं में कुल 85,185 खाद्य नमूनों का विश्लेषण किया गया। 31 मार्च, 2021 तक एनएबीएल से मान्यता प्राप्त अनुमोदित बाह्य प्रयोगशालाओं की कुल संख्या 64 है ।

5.3 निर्यात निरीक्षण अभिकरणों (निनिअ) की प्रमुख गतिविधियां/ उपलब्धियां २०२१-२२ 5.3.1 निनिअ-चेन्नई

- ईआईए-चेन्नई प्रयोगशाला ने 2021-22 के दौरान आईएसओ / आईईसी 17025:2017 के अनुसार अपनी मान्यता जारी रखी।
- पीटीपी के रूप में आईएसओ/आईईसी 17043 के अनुसार निनिअ चेन्नई के लिए प्रत्यायन का नवीनीकरण 11 और 12 दिसंबर 2021 को किया जाता है।
- निनिअ चेन्नई उप.का. भीमावरम ने आईएसओ 17025:20 17 के अनुसार 24 से 26 अप्रैल 2021 तक आयोजित एकीकृत मूल्यांकन के अनुसार पहला एनएबीएल ऑडिट सफलतापूर्वक पूरा किया। ऑडिट सफलतापूर्वक पूरा हुआ और 19.06.2021 को एनएबीएल 17025: 2017 का प्रत्यायन प्राप्त हुआ।
- निनिअ चेन्नई उपका भीमावरम ने एफ एंड एफपी वस्तुओं में विभिन्न सूक्ष्मजीवविज्ञानी और रासायनिक विश्लेषण के परीक्षण के लिए तीन (03) पीटी / आईएलसी कार्यक्रम में सफलतापूर्वक भाग लिया और 100% संतोषजनक जेड-स्कोर हासिल किया।

 श्री बी.वी.आर. सुब्रह्मण्यम्, आईएएस, वाणिज्य सचिव, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय, भारत सरकार,द्वारा दिनांक 24.09.2021 को निर्यात निरीक्षण एजेंसी—चेन्नई. उप कार्यालय-विशाखापत्तनम के नए कार्यालय और प्रयोगशाला परिसर का उदघाटन, श्री दिवाकर नाथ मिश्रा, आईएएस, संयुक्त सचिव, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय और निदेशक, निनिप की उपस्थिति में किया

5.3.2 निनिअ-दिल्ली

- 🔍 एनएबीएल द्वारा 29—30 जनवरी 2022 के दौरान आयोजित ऑडिट के द्वारा आईएसओ/आईईसी 17025:2005 के अनुसार एनएबीएल मान्यता जारी रखने के लिए निनिअ दिल्ली प्रयोगशाला की अनुशंसित की गई है।
- 2021—22 के दौरान ईआईए—दिल्ली प्रयोगशाला द्वारा परीक्षण किए गए बासमती चावल के नमूनों की संख्या वर्ष 2020-21 में 660 की तूलना में 719 थी।

5.3.3 निनिअ-कोच्ची

 वर्ष 2021–22 के दौरान खाद्य और कृषि प्रक्रिया में जीएमओ का पता लगाने के लिए आईएसओ 17043:20 16 के अनुसार ईआईए-कोच्ची को पीटी प्रदाता के रूप में मान्यता दी गई है।



ईआईए-कोच्ची प्रयोगशाला के अधिकारियों ने थाईलैंड के अधिकारियों द्वारा ऑडिट के एक भाग के रूप में थाईलैंड को निर्यात के लिए वायरस के परीक्षण में अपनी तकनीकी क्षमता का प्रदर्शन किया है।

5.3.4 निनिअ कोलकाता

- वर्च्अल मोड के माध्यम से 19-21 मई 2021 के दौरान एनएबीएल द्वारा आयोजित आईएसओ 17034:2016 (ऑनलाइन), के अनुसार आरएमपी (संदर्भ सामग्री निर्माता) पर प्रशिक्षण सफलतापूर्वक पूरा किया।
- 08-11 जून 2021 के दौरान आईएसओ सचिवालय द्वारा आयोजित आईएसओ / टीसी34 / एससी9 ''खाद्य उत्पाद माइक्रोबायोलॉजी'' की 40वीं पूर्ण बैठक में भारतीय प्रतिनिधिमंडल का सफलतापूर्वक प्रतिनिधित्व किया।
- संदर्भ सामग्री निर्माता और आईएसओ गाइड 35:2017 के लिए आईएसओ 17034:2016 क्यूएमएस मानक पर प्रशिक्षण कार्यक्रम सफलतापूर्वक आयोजित और पूरा किया गया।
- आईएसओ 17043:2010 के अनुसार सफलतापूर्वक पीटीपी नवीकरण मूल्यांकन पूरा किया- प्रत्यायन और प्रमाण पत्र का नवीनीकरण 17.01.2024 तक वैध है ।
- लैब ने सीआईआरः ईयू 2021/808 के अनुसार मछली और मत्स्य उत्पादों और शहद में नाइट्रोफुरन मेटाबोलाइट्स और क्लोरैम्फेनिकॉल सफलतापूर्वक सत्यापन किया है।
- 2021-22 के दौरान, निनिअ कोलकाता प्रयोगशाला ने प्रवीणता परीक्षण (पीटी) कार्यक्रमों में सफलतापूर्वक भाग लिया- परीक्षण के रासायनिक और जैविक क्षेत्र में कुल 16 ने 54 परीक्षण मापदंडों के लिए पीटी ने भाग लिया. संतोषजनक जेड-स्कोर> 95% के साथ।

5.3.5 निनिअ मुबई

 निनिप — आरएफसी 2021 —22 के अनुसार निनिअ – मुंबई प्रयोगशाला, 11 पशु चिकित्सा दवाओं के विश्लेषण के लिए विकसित एवं मान्य है और 12-16 मार्च 2022 के दौरान आयोजित नवीनीकरण मूल्यांकन

- के दौरान ग्वार-गम और मसालों में एथिलीन ऑक्साइड का विश्लेषण और एनएबीएल द्वारा इसकी सिफारिश की गई थी।
- खाद्य–उत्पादक पश्ओं में उपयोग किए जाने वाले औषधीय, सक्रिय पदार्थों के अवशेषों के लिए विश्लेषणात्मक तरीकों के प्रदर्शन और परिणामों की व्याख्या पर आयोग के कार्यान्वयन विनियमन (ईयू) 2021 / 808 22 मार्च 2021 पर 01.03.2022 को प्रशिक्षण में भाग लिया।
- 2021–22 के दौरान, निनिअ–मुंबई प्रयोगशाला ने एनएमआर का उपयोग करके चाय की प्रामाणिकता के लिए परीक्षण सुविधा विकसित की है।

5.4 निरीक्षण अभिकरणों की मान्यता

भारत सरकार निर्यात (गुणवत्ता नियंत्रण एवं निरीक्षण) अधिनियम, 1963 की धारा 7 (1) के तहत अधिसूचित खनिजों तथा अयस्कों का पोतलदान पूर्व निरीक्षण एवं प्रमाणन करने के लिए प्रयोगशाला सुविधाओं के साथ 'ए' श्रेणी के अंतर्गत आने वाले निनिप निरीक्षण अभिकरण मान्यता योजना 2012 के अनुसार, निनिप की सिफारिश पर निजी निरीक्षण अभिकरणों को मान्यता देती है । यह योजना व्यापार करने में आसानी के लिए तथा निर्यात व्यापार की सुविधा के लिए महत्वपूर्ण स्थानों पर निरीक्षण एवं परीक्षण के लिए उपयुक्त बुनियादी ढांचा प्रदान करते हुए भारत सरकार की पहल के अनुरूप है ।

5.5 ई – स्वास्थ्य प्रमाणन प्रणाली

निनिप अधिसूचित खाद्य उत्पादों के लिए स्वास्थ्य प्रमाणपत्र जारी करने के लिए अधिकृत है। गैर-अधिसूचित खाद्य वस्तुओं के लिए स्वास्थ्य प्रमाण पत्र भी जारी किया जाता है जहां आयातक देश प्राधिकरण को स्वैच्छिक प्रमाणीकरण योजना के तहत इस तरह के प्रमाण पत्र की आवश्यकता होती है। ई-प्रमाणन के माध्यम से 2021-22 के दौरान जारी किए गए प्रमाण पत्रों की संख्या तालिका (छ) में दिए गए विवरण के अनुसार 1,03,926 है।

तालिका (छ): ई-स्वास्थ्य प्रमाणन प्रणाली 2021-22 के तहत जारी प्रमाणपत्र

क्र.सं.	प्रमाणपत्र प्रारूप	जारी प्रमाणपत्र
1	मत्स्य सामान्य प्रारूप (गैर—ईयू)	34,058
2	अन्य—उत्पाद स्वैच्छिक	27,328
3	मात्स्यिकी चीन	12,644
4	मात्स्यिकी ईयू	12,176
5	अन्य—उत्पाद गैर—जीएमओ	7,564
6	दुग्ध गैर-यूरोपीय संघ	4,098
7	मात्स्यिकी रूस	1,315
8	अंडा और अडां –यूरोपीय संघ, गैर–यूरोपीय संघ	821
9	अन्य उत्पाद तुर्की	953
10	मूंगफली उत्पाद मलेशिया	900
11	मूंगफली उत्पाद यूरोपीय संघ	713
12	मत्स्य ईयू प्रारूप-गैर यूरोपीय संघ देश	740
13	मात्स्यिकी जीसीसी देश	505
14	मात्स्यिकी पालन इज़राइल	82
15	अंडा एवं अंडा यूरोपीय संघ	24
16	पशु केसिंग यूरोपीय संघ	05
	कुल	1,03,926

5.6 गैर-जीएमओ प्रमाणपत्र जारीकरण

कृषि एवं खाद्य उत्पादों के लिए गैर जीएमओ प्रमाणपत्र निर्यात निरीक्षण अभिकरणों (निनिअ) द्वारा जारी किए जाते हैं। चालू वर्ष में विभिन्न कृषि एवं खाद्य उत्पादों के लिए कुल 7,564 गैर-जीएमओ प्रमाणपत्र जारी किए गए हैं। निनिअ-कोच्ची एवं निनिअ- मुंबई में गैर-जीएमओं के लिए नमूनों का परीक्षण किया जाता है।

5.7 प्रामाणिकता प्रमाण पत्र जारीकरण

यूरोपीय आयोग ने परिषद विनियमन (ईसी) संख्या 797 / 2006 के अनुसार यूरोपीय संघ को बासमती चावल के निर्यात के लिए प्रामाणिकता का प्रमाण पत्र जारी करने के लिए निनिप / निनिअ को सक्षम प्राधिकारी के रूप में मान्यता दी है। तदनुसार, निनिअ यूरोपीय संघ को निर्यात किए जाने वाले

बासमती चावल के लिए प्रामाणिकता प्रमाणपत्र जारी कर रहे है।

5 8 अवशेष मॉनिटरिंग योजना

अवशेष मॉनिटरिंग योजनाएं (आरएमपी), यूरोपीय संघ को पशु मूल खाद्य के निर्यात के लिए पूर्वापेक्षाओं में से एक है,जो यूरोपीय संसद एवं 15 मार्च 2017 की परिषद के विनियमन (ईयू) 2017 / 625 में संदर्भित अवशेषों और पदार्थों के समूहों के मॉनिटरिंग की गारटी देती है। तदनुसार, निनिप पशु मूल के विभिन्न खाद्य पदार्थों के लिए ईसी आवश्यकताओं के अनुरूप विभिन्न अवशेष मॉनिटरिंग योजनाओं को लागू कर रही है। यूरोपीय संघ के विनियमन के अनुसार, निनिप ने वर्ष 2021-22 के लिए अंडा एवं अंडा उत्पादों, शहद, दुग्ध उत्पादों तथा ताजा कुक्कुट मांस एवं कुक्कुट मांस उत्पादों के लिए आरएमपी तैयार किया और प्रस्तुत किया।

2021-22 के दौरान, आरएमपी और राष्ट्रीय अवशेष नियंत्रण योजना (एनआरसीपी) के अधीन 9,708 नमूनों का परीक्षण किया गयाः


तालिका (ज): अवशेष मॉनिटरिंग योजना 2021-22 के तहत परीक्षण किए गए नमूने:


राष्ट्रीय अवशेष नियंत्रण योजना (एनआरसीपी)/अवशेष मॉनिटरिंग योजना (आरएमपी) डेटाः 2021–22				
उत्पाद	2021—22 के लिए एनआरसीपी / आरएमपी के तहत जांचे गए नमूनों की संख्या			
जलकृषि उत्पाद	8,423			
अंडा एवं अंडा उत्पाद	200			
शहद	357			
कुक्कुट मांस उत्पाद	423			
पशु केसिंग	05			
दुग्ध उत्पाद	300			
कुल	9,708			

5.9. अन्य गतिविधियां 5.9.1 विश्व व्यापार संगठन (डब्ल्यूटीओ) के सदस्य देशों द्वारा जारी टीबीटी अधिसूचनाओं की मॉनिटरिंग पर परियोजनाः

निनिप वाणिज्य विभाग के निर्देश के अनुसार "डब्ल्यूटीओ सदस्य देशों द्वारा जारी टीबीटी अधिसूचनाओं की निगरानी के लिए सिस्टम पर परियोजना" लागू कर रहा है। निनिप और एपीडा ने संयुक्त रूप से खुली निविदा के आधार पर टीबीटी और एसपीएस अधिसूचनाओं की निगरानी पर काम संभालने के लिए दिसंबर 2021 में एक नई एजेंसी को काम सौंपा।

Top 5 product sectors





उपलब्ध कराई गई रिपोर्टों के अनुसार, विभिन्न विश्व व्यापार संगठन-सदस्य देशों द्वारा दिसंबर 2021-फरवरी 2022 के दौरान कुल 875 अधिसूचनाएं जारी की गईं, जिनमें

5.9.2 सूचना का अधिकार अधिनियम का कार्यान्वयन

निर्यात निरीक्षण परिषद (ईआईसी) और इसके क्षेत्रीय संगठन, निर्यात निरीक्षण अभिकरण (निनिअ) आरटीआई से 495 नियमित अधिसूचनाएं थीं और शेष परिशिष्ट / शुद्धि पत्र / संशोधन थीं। इन अधिसूचनाओं का देश-वार और उत्पाद-वार वितरण उपरोक्त चार्ट में दिया गया है।

अधिनियम 2005 की आवश्यकताओं का अनुपालन करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। आरटीआई अधिनियम 2005 के तहत निनिप/निनिअ में प्राप्त आवेदनों और प्रथम अपील का सारांश वर्ष 2021–22 सीआईसी से प्राप्त सुनवाई के नोटिस के साथ नीचे उल्लिखित किया गया है:

2021-22 में सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत प्राप्त आवेदन

31.03.2021 को प्रारंभिक शेष सहित प्राप्त	उत्तर दिए गए सूचना का अधिकार	31.03.2021 को आरटीआई
सूचना का अधिकार आवेदनों की संख्या	आवेदन की संख्या	आवेदनों का अन्तशेष
88	79	09

2021-22 में सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत प्राप्त पहली अपील

31.03.2020 को प्रारंभिक शेष सहित प्राप्त अपीलों की संख्या	उत्तर की गई अपीलों की संख्या	31.03.2021 को अपीलों का अंतिम शेष
19	18	01

2021-22 में सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत प्राप्त दूसरी अपील

सीआईसी से प्राप्त सुनवाई के नोटिस की संख्या	सीपीआईओ / एफएए, निनिप द्वारा उपस्थिति की संख्या
08	08

593 सतर्कता गतिविधियाँ

इस अवधि के दौरान प्राप्त चार (04) शिकायतों पर सीवीसी के दिशा-निर्देशों के अनुसार कार्रवाई की गई। सक्षम प्राधिकारी द्वारा शास्ति अधिरोपण के साथ 04 मामलों में अनुशासनात्मक कार्यवाही समाप्त की गई और चार (04) अनुशासनात्मक कार्यवाही शुरू की गई। अनुशासनिक प्राधिकारी के निर्णय के विरुद्ध दायर दो (02) अपीलों की जांच की गई और उनका निपटारा किया गया। विभिन्न प्रयोजनों के लिए सतर्कता मंजूरी के कुल 95 प्रस्तावों पर विचार किया गया। 03 मुद्दों पर जांच-सह-तथ्यात्मक रिपोर्ट वाणिज्य विभाग को प्रस्तुत की गई थी। संगठन के लिए सहमत सूची और संदिग्ध सत्यनिष्ठा (ओडीआई) वाले अधिकारियों की सूची तैयार की गई।

निर्यात निरीक्षण परिषद (ईआईसी) ने अपनी निर्यात निरीक्षण अभिकरण (निनिअ) के साथ केंद्रीय सतर्कता आयोग के परिपत्र संख्या 021 / वीजीएल / 045 दिनांक 01.09.2021 में दिए गए निर्देशों के अनुसार 26 अक्टूबर- 01 नवंबर 2021 के दौरान संतर्कता जागरूकता सप्ताह 2021 मनाया। सतर्कता जागरूकता सप्ताह-2021 के दौरान की गई प्रमुख गतिविधियां इस प्रकार हैं:

- सत्यनिष्टा की शपथ श्री जी.सी.राय, मुख्य सतर्कता अधिकारी, ईआईसी, नई दिल्ली द्वारा 26 अक्टूबर, 2021 को पूर्वाह्न 11.00 बजे निनिप के सभी अधिकारियों / कर्मचारियों को दिलाई गई। भारत के माननीय राष्ट्रपति, माननीय प्रधानमंत्री और सीवीसी के संदेशों को भी पढ़ा गया। इसी तरह, दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोच्चि, कोलकाता और 24 उप-कार्यालयों में निनिअ मुख्यालय में शपथ ग्रहण कार्यक्रम आयोजित किए गए।
- पीआईडीपीआई शिकायत पर थीम बैनर और पोस्टर उनके उप-कार्यालयों सहित निनिप और निनिअ में प्रदर्शित किए गए थे।
- ईआईए–कोलकाता, ईआईए–चेन्नई, ईआईए–मुंबई और ईआईसी, नई दिल्ली में आयोजित निबंध प्रतियोगिताओं में कुल 36 प्रतिभागियों ने भाग लिया। इसके अलावा, ईआईए-कोलकाता ने अलग निबंध प्रतियोगिता का

- आयोजन किया जिसमें स्वीकृत प्रतिष्ठानों के 18 प्रौद्योगिकीविदों ने भाग लिया। प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता का आयोजन ईआईए-मुंबई और ईआईसी, नई दिल्ली द्वारा किया गया
- 26.10.2021 को निनिप कर्मचारियों के लिए संवेदीकरण कार्यक्रम आयोजित किया गया जिसमें सीवीओ, निनिप ने निवारक सतर्कता और पीआईडीपीआई शिकायतों पर प्रस्तुति दी। ईआईए-मुंबई ने दिनांक 26.10. 2021 को निवारक सतर्कता पर जागरूकता कार्यक्रम (वर्च्अल मोड) का आयोजन किया, जिसमें अतिथि वक्ता श्री कल्लोल कुमार पॉल, सेवानिवृत्त वैज्ञानिक एफ और सतर्कता अधिकारी, बीआईएस, कोलकाता ने प्रतिभागियों को संबोधित किया। ईआईए-कोच्ची ने 1 नवंबर 2021 को ''कार्य नैतिकता, निवारक सतर्कता और पीआईडीपीआई'' पर ऑनलाइन संवेदीकरण कार्यक्रम का आयोजन किया, जिसमें श्री संजय कुमार, उप-मंडल अभियंता और सतर्कता अधिकारी और श्री रामचंद्र कुमार, उप महाप्रबंधक (सतर्कता) और मंडल सतर्कता प्रमुख, बीएसएनएल, त्रिवेंद्रम, केरल को स्पीकर के रूप में आमंत्रित किया गया था।
- निनिअ ने सर एम. सीटी मुथैया चेट्टियार हाई स्कूल, चेन्नई में 28.10.2021 को दसवीं कक्षा के छात्रों के लिए निबंध प्रतियोगिता और प्रश्नोत्तरी का आयोजन किया। सतर्कता अधिकारी, ईआईए-मुंबई ने धूले विद्यालय, सरकारी स्कूल, रत्नागिरी का दौरा किया और पीआईडीपीआई के बारे में संबोधित किया।
- सतर्कता अधिकारी ईआईए-मुंबई ने ग्राम जवाहर ग्राम पंचायत, पोरबंदर, गुजरात में ग्रामीणों के साथ पंचायत गतिविधियों में भ्रष्टाचार को रोकने के तंत्र पर सरकारी योजनाएँ से लाभ प्राप्त करते हुए जागरूकता / चर्चा का आयोजन किया।
- वीएडब्ल्यू-2021 के दौरान प्रत्येक निनिअ द्वारा कुल 05 (पांच) शिकायत निवारण-सह-निर्यातक संवाद बैठकें आयोजित की गईं। इन कार्यक्रमों में लगभग 300 निर्यातकों ने भाग लिया।

- सतर्कता अधिकारी, ईआईए–मुंबई ने ''से नो टू करप्शन" पर एक वीडियो विकसित किया और इसे जागरूकता के लिए निनिप और युट्युब के सोशल मीडिया अकाउंट्स पर उपलब्ध कराया गया।
- सभी हितधारकों की जागरूकता के लिए कोच्ची
- कार्यालय के स्वागत क्षेत्र में बुनियादी सतर्कता शर्तौं / अवधारणाओं को प्रदर्शित करने वाले व्हाइट बोर्ड के रूप में जागरूकता स्पॉट तैयार किया गया था।
- वीएडब्ल्यू—2021 के दौरान आयोजित गतिविधियों का सोशल मीडिया अकाउंट्स यानी निनिप के फेसबुक और टिवटर के माध्यम से व्यापक प्रचार किया गया

सत्यनिष्ठा शपथ समारोह 1.



सीवीओ, निनिप ने 26.10.2021 को ईआईसी, नई दिल्ली के कर्मचारियों को सत्यनिष्ठा की शपथ दिलाई





26.10.2021 को निनिअ कोच्चि, कोलकाता, दिल्ली और मुंबई में शपथ समारोह

ख बैनर और पोस्टर का प्रदर्शन







वीएडब्ल्यू-2021 के दौरान निनिअ और उनके उप-कार्यालयों में बैनर और पोस्टर का प्रदर्शन

ग निनिप/निनिअ में प्रतियोगिताए



27.10.2021 को ईआईए—मुंबई में निबंध प्रतियोगिता



27.10.2021 को ईआईसी, नई दिल्ली में निबंध प्रतियोगिता

27.10.2021 को ईआईए-चेन्नई में निबंध प्रतियोगिता




28.10.2021 को ईआईए—कोलकाता में निबंध प्रतियोगिता


घ . निर्यातकों की बातचीत-सह-शिकायत निवारण निनिअ में बैठकें



दिनांक 26.10.2021 को ईआईए-दिल्ली द्वारा निर्यातकों की बातचीत-सह-शिकायत निवारण बैठक (वर्चुअल मोड)



ईआईए-कोच्ची और चेन्नई द्वारा क्रमशः 28.10.2021 और 29.10.2021 को निर्यातकों की बातचीत-सह-शिकायत निवारण बैठक (वर्चुअल मोड)



29.10.2021 को ईआईए-कोलकाता द्वारा निर्यातकों की बातचीत-सह-शिकायत निवारण बैटक (वर्चुअल मोड)

स्कूल में गतिविधि



सर एम सीटी मुथैया चेट्टियार हाई स्कूल, चेन्नई के छात्रों ने ली शपथ, ईआईए-चेन्नई द्वारा 28.10.2021 को आयोजित किया गया, इसके बाद ई-प्लेज पैम्फलेट वितरित किए गए और एमसीक्यू और निबंध लेखन प्रतियोगिता का आयोजन किया गया।




पीआईपीडीआई के प्रावधानों के बारे में छात्रों और शिक्षकों को जागरूकता फैलाने के लिए निनिअ उप-कार्यालय रत्नागिरी का धमले विद्यालय, रत्नागिरी के सरकारी स्कूल का दौरा


च जागरूकता ग्राम सभा




निनिअ उप-कार्यालय पोरबंदर द्वारा जवार ग्राम पंचायत के ग्रामीणों के साथ जागरूकता / चर्चा पंचायत गतिविधियों में भ्रष्टाचार को रोकने के लिए तंत्र पर सरकारी योजनाओं से लाभ प्राप्त करते हए।

छ. ईआईए-कोच्ची में जागरूकता स्थल






ज जागरूकता / सवेदीकरण कार्यशालाए



26.10.2021 को '' निवारक सतर्कता'' विषय पर सतर्कता जागरूकता कार्यक्रम (वर्चुअल मोड) ,ईआईए-मुंबई द्वारा आयोजित किया गया और श्री कल्लोल कुमार पॉल, सेवानिवृत्त, वैज्ञानिक-एफ और सतर्कता अधिकारी, भारतीय मानक ब्यूरो (बीआईएस), कोलकाता वक्ता थे.



ईआईए-कोच्ची द्वारा आयोजित दिनांक 01.11.2021 को ''कार्य नैतिकता, निवारक सतर्कता और पीआईडीपीआई'' पर ऑनलाइन सत्र, जिसे श्री संजय कुमार, एसडीई और सतर्कता अधिकारी और श्री रामचंद्र कुमार, डीजीएम (सतर्कता) और सर्किल सतर्कता प्रमुख, बीएसएनएल त्रिवेंद्रम, केरल द्वारा दिया गया था।

1. सतर्कता अधिकारी, ईआईए-मुंबई द्वारा विकसित जागरूकता वीडियो

https://twitter.com/i/status/1452951865025511431

5.10 निनिप परिषद की बैठकें

परिषद की 118वीं बैठक वस्तृतः 23 दिसंबर 2021 को अपराह 3.00 बजे श्री एस. किशोर, अपर सचिव, वाणिज्य विभाग और अध्यक्ष निनिप की अध्यक्षता में हुई।

5.11 निर्यात निरीक्षण अभिकरणों (निनिअ) के नव नियुक्त अधिकारियों के लिए निनिप द्वारा आयोजित अभि. विन्यास प्रशिक्षण कार्यक्रम।

निर्यात निरीक्षण अभिकरण (निनिअ) के नव नियुक्त अधिकारियों के लिए 06 से 10 दिसंबर, 2021 और 13 से 17 दिसंबर, 2021 के दौरान ईआईसी द्वारा अभिविन्यास प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया। ईआईसी द्वारा विभिन्न ईआईए में कार्यरत ग्रुप ए और ग्रुप बी कैडर के नव नियुक्त 38 अधिकारियों के लिए पांच (05) दिवसीय अभिविन्यास कार्यक्रम आयोजित किया गया था। नव नियुक्त किए गए अधिकारियों को नई दिल्ली में 06 से 10 दिसंबर, 2021 (समूह 1) और 13 से 17 दिसंबर, 2021 (समूह 2) से केंद्रीकृत लघु अभिविन्यास-प्रशिक्षण कार्यक्रमों के माध्यम से रखा गया, ताकि उन्हें ईआईसी की गतिविधियों के अलावा भारतीय और अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य से भी अवगत कराया जा सके ।



अभिविन्यास प्रशिक्षण कार्यक्रम से फोटो

राजभाषा हिंदी का प्रगतिशील उपयोग

निर्यात निरीक्षण परिषद आधिकारिक संचार में हिंदी का सफलतापूर्वक एवं प्रभावी ढंग से उपयोग कर रही है। वर्ष की मुख्य विशेषताएं नीचे संक्षेप में दी गई हैं:

- राजभाषा अधिनियम की धारा 3 (3) के तहत सभी दस्तावेज द्विभाषी में जारी किए गए ।
- वार्षिक कार्यक्रम में राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जारी प्रावधानों का समुचित रूप से पालन किया गया ।
- निर्यात निरीक्षण परिषद एवं अभिकरणों द्वारा राजभाषा नियमों के अंतर्गत प्रत्येक तिमाही में हिन्दी कार्यशालाएं / विभागीय राजभाषा कार्यान्वयन समिति की बैठकें आयोजित की जाती हैं।
- अधिकारियों / कर्मचारियों को मूल कार्य हिन्दी में करने पर प्रोत्साहन योजना को लागू किया गया।
- सभी तिमाहियों में हिंदी प्रगति रिपोर्टों को निनिप / निनिअ द्वारा राजभाषा विभाग को ऑनलाइन प्रेषित किया गया।

- निनिप / निनिअ के प्रवेश द्वार पर हिंदी में एक नया शब्द प्रतिदिन बोर्ड पर लिखा जाता है।
- 14—28 सितंबर, 2021 के दौरान निनिप/निनिअ में हिंदी पखवाडे का आयोजन किया गया। इस अवसर पर कर्मचारियों के लिए शब्दावली प्रतियोगिता, वाद—विवाद प्रतियोगिता, हिंदी टिप्पण एवं निबंध प्रतियोगिता जैसी विभिन्न प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया तथा विजेताओं को पुरस्कार प्रदान किए गए।
- अधिकांश कार्यालयों को वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा राजभाषा नियम, 1976, उप—िनयम 10 (4) के तहत अधिसूचित किया गया है और शेष कार्यालयों को मंत्रालय स्तर पर अधिसूचित करने का प्रयास किया जा रहा है।
- निर्यात निरीक्षण परिषद ने राजभाषा के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए अर्ध—वार्षिक हिंदी पत्रिका ''मंथन'' प्रकाशित की।

कम्प्यूटरीकरण एवं आध्रुनिकीकरण

- सूचना प्रौद्योगिकी के उपयोग ने निनिप को अपने संचालन में अधिक पारदर्शिता प्राप्त करने और लेनदेन के समय और जनशक्ति लागत को कम करने में सक्षम बनाया है। संगठन में आईटी के व्यापक अनुप्रयोग को सटीक वित्तीय रिपोर्टिंग का श्रेय दिया गया है तथा वित्तीय रिपोर्ट तैयार करते समय कंप्यूटर सिस्टम के उपयोग के लाभों से जोड़ा गया है जैसे एमआईएस रिपोर्ट।
- सभी कार्यालयों का कम्प्यूटरीकरण और नेटवर्किंग समय—समय पर जरूरतों के आधार पर अद्यतन किया जाता है।
- निनिप अपनी वेबसाइट www.eicindia.gov.in का रखरखाव करती है, जिस पर इसकी नीति एवं प्रक्रियाओं से संबंधित जानकारी उपलब्ध है। वेबसाइट सूचनात्मक एवं संवादात्मक दोनों है तथा वेबसाइट के माध्यम से आवेदनों की ऑनलाइन फाइलिंग की जा सकती है। वेबसाइट के माध्यम से ऑनलाइन सेवाएं, जैसे, मूलस्थान प्रमाण पत्र एवं ई—स्वास्थ्य प्रमाण पत्र की पेशकश की जाती है। वेबसाइट पर एक ज्ञान

- भंडार अनुभाग है जो सभी कानूनी ढांचे का विवरण एवं निनिप की विभिन्न प्रमाणन योजनाओं के बारे में जानकारी देता है।
- निनिप भारत में जारी करने वाले सभी प्राधिकरणों के लिए मूलस्थान प्रमाणपत्र (दोनों अधिमान्य एवं गैर— अधिमान्य) जारी करने के लिए साझा मंच के विकास में सहायता प्रदान कर रही है।
- स्वास्थ्य प्रमाणपत्रों के आवेदन एवं प्रसंस्करण के लिए निनिप द्वारा ई—स्वास्थ्य प्रमाणन प्रणाली का रखरखाव किया जाता है।
- निनिप से संबंधित सभी नियम इंडिया कोड पोर्टल (वेबसाइट https://indiacode.nic.in) पर उपलब्ध कराए गए हैं।
- ई—ऑफिस को 01 जनवरी, 2022 से निनिप में लागू किया गया है। फिजिकल फाइलों की आवाजाही बंद कर दी गई है और सभी निनिअ को सुचारू कार्यान्वयन के लिए ई—ऑफिस कार्यान्वयन पर प्रशिक्षण प्रदान किया गया है।

जनशक्ति सुदृढ़ीकरण

जब से इसकी स्थापना हुई है तब से, निनिप ने दुनिया भर में खाद्य सुरक्षा की गतिशीलता एवं संगठन के जनादेश से संबंधित अन्य प्रमुख पहलुओं पर उन्हें अद्यतन बनाए रखने के लिए अपनी जनशक्ति के क्षमता निर्माण पर जोर दिया है प्रशिक्षण कर्मचारियों को नए कौशल हासिल करने, मौजूदा कौशल को तेज करने, बेहतर प्रदर्शन करने, उत्पादकता बढ़ाने तथा बेहतर नेता बनने की अनुमति देता है। निनिप समझती है कि चूंकि एक संगठन कर्मचारियों द्वारा व्यक्तिगत रूप से हासिल की गई कुल उपलब्धि है, कर्मचारियों को अपने चरम पर प्रदर्शन सुनिश्चित करने के लिए संगठनों को अपनी शक्ति में सब कुछ करना चाहिए। इस दृष्टिकोण को ध्यान में रखते हुए, वर्ष 2021—22 में निनिप ने सभी कोविड—19 प्रोटोकॉल का पालन करते हुए, राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय प्रशिक्षणों के लिए अधिकारियों को नामित किया।।

तालिका (झ)ः अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन, बैठक और प्रशिक्षण के लिए प्रतिनियुक्त अधिकारी

क्र.सं.	अधिकारियों की संख्या	विषय / थीम	स्थान	आयोजक	अवधि
1	50	जोखिम आधारित निरीक्षण प्रणाली और निरीक्षण कौशल—पशु आधारित उत्पादों पर मार्गदर्शन	्यानलाटन	निनिप और ब्रिटिश मानक संस्थान (बीएसआई), यूके	21.03.2022
2	50	जोखिम आधारित निरीक्षण प्रणाली और निरीक्षण कौशल— पौधे आधारित उत्पादों पर मार्गदर्शन	ऑनलाइन प्रशिक्षण	निनिप और ब्रिटिश मानक संस्थान (बीएसआई), यूके	28.03.2022
3	3	कृषि और खाद्य आपूर्ति श्रृंखला प्रबंधन में इंटरनेट ऑफ थिंग्स (आईओटी)पर कार्यशाला	वर्चुअल मोड	एशियाई उत्पादकता संगठन (एपीओ), टोक्यो स्थित एक अंतर—सरकारी निकाय	09—11मार्च , 2022

4	03	आनुवंशिक रूप से संशोधित जीवों / जीवित संशोधित जीवों का पता लगाने पर आभासी अंतर्राष्ट्रीय प्रयोगशाला प्रशिक्षण	वर्चुअल मोड	ईआईए—कोच्चि, ईआईसी, बीसीआईएल	04—08 अक्तूबर 2021
5	1	कार्य समूह डब्ल्यूजी13 — गुणात्मक विश्लेषण के लिए आरएम — नाममात्र गुणों का परीक्षण	वर्चुअल	आईएसओ	18.02.2022
6	1	आईएसओ सचिवालय द्वारा आयोजित आईएसओ टीसी34 / एससी9 "खाद्य उत्पाद माइक्रोबायोलॉजी" की 40वीं पूर्ण बैठक	वर्चुअल	आईएसओ	08—11 जून 2021
7	1	कोडेक्स एलिमेंटेरियस द्वारा आयोजित कीटनाशक अवशेषों (संयुक्त एफएओ / डब्ल्यूएचओ मुख्यालय खाद्य मानक कार्यक्रम) पर कोडेक्स समिति के लिए 52 वां सत्र	वर्चुअल	कोडेक्स एलिमेंटेरियस कोडेक्स सचिवालय, संयुक्त एफएओ/डब्ल्यू मुख्यालय खाद्य मानक कार्यक्रम, रोम इटली	26—31 जुलाई 2021; 03 अगस्त 2021
8	1	आईएसओ वर्किंग ग्रुप 18 द्वारा आयोजित एस्चेरिचिया कोलाई के विधि विकास पर डब्ल्यूजी 18 की कार्यकारी समूह की बैठक	वर्चुअल	आईएसओ / टीसी34 / एससी9 / डब्ल्यूजी18	20.09.2021

9	1	आईएसओ वर्किंग ग्रुप 2 द्वारा आयोजित आईएसओ विधियों के लिए सांख्यिकीय उपकरण तैयार करने पर कार्य समूह की बैठक	वर्चुअल	आईएसओ / टीसी34 / एससी9 / डब्ल्यूजी02	10—11 नवंबर 2021
10	1	आईएसओ वर्किंग ग्रुप 16. द्वारा आयोजित यीस्ट एंड मोल्ड के मेथड डेवलपमेंट पर वर्किंग ग्रुप की बैठक	वर्चुअल	आईएसओ / टीसी34 / एससी9 / डब्ल्यूजी16	16.11.2021
11	1	कार्य समूह की बैठक — डब्ल्यूजी 3 बड़े परीक्षण भाग के लिए विधि सत्यापन पर, आईएसओ तकनीकी समिति 34/ उपसमिति 9— खाद्य सूक्ष्म जीव विज्ञान	वर्चुअल	आईएसओ / टीसी34 / एससी9 / डब्ल्यूजी03	20.01.2022
12	1	कार्य समूह की बैठक — डब्ल्यूजी 3 बड़े परीक्षण भाग के लिए विधि सत्यापन पर, आईएसओ तकनीकी समिति 34 / उपसमिति 9— खाद्य सूक्ष्म जीव विज्ञान	वर्चुअल	आईएसओ / टीसी34 / एससी9 / डब्ल्यूजी23	22.02.2022
13	1	खाद्य पदार्थों में संदूषकों पर कोडेक्स समिति का 14वां सत्र (सीसीसीएफ 14)	ऑनलाइन वर्चुअल मोड	कोडेक्स एलिमेंटेरियस कमीशन, रोम, इटली	03.05.2021 से 07.05.2021 और 13.05.2021
14	20	यूरोपीय संघ को कुछ उत्पादों के निर्यात के लिए निशान के माध्यम से नई स्थापना सूचीकरण प्रक्रिया	ऑनलाइन वर्चुअल मोड	निर्यात निरीक्षण परिषद	08.02.2022

तालिका (ज)ः राष्ट्रीय सम्मेलन, बैठक एवं प्रशिक्षण के लिए प्रतिनियुक्त अधिकारी

	राष्ट्रीय सम्मेलन एवं प्रशिक्षण के लिए प्रतिनियुक्त अधिकारीः 2021–22						
क्र.सं.	अधिकारियों की संख्या	विषय / थीम	स्थान	आयोजक	अवधि		
	निनिअ—चेन्नई						
1	2	आईएसओ 17020 प्रत्यायन प्रक्रिया पर वेबिनार	ईआईए—चेन्नई उप.का. विशाखापत्तनम	एनएबीसीबी	21.05.2021		
2	1	खरीद नीति और प्रक्रियाओं पर एडवांस कोर्स पर वेबिनार	ईआईए—चेन्नई उप.का विशाखापत्तनम	राष्ट्रीय उत्पादकता परिषद	23.06.2021— 24.06.2021		
3	1	आईएसओ 17020 प्रत्यायन प्रक्रिया पर वेबिनार	ईआईए—चेन्नई उप.का विशाखापत्तनम	एनएबीसीबी	25.06.2021		
4	1	''कोडेक्स गतिविधियां और मानक सेटिंग प्रक्रिया'' पर राष्ट्रीय स्तर की कार्यशाला	ऑनलाइन वर्चुअल मोड	नेशनल कोडेक्स कॉन्टैक्ट प्वाइंट और एफएसएसएआई	31.08.2021		
5	8	आईएसओ/आईईसी 17020:2012 निरीक्षण पर प्रशिक्षण पाठ्यक्रम	ऑनलाइन वर्चुअल मोड	टीसीबी / क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया	26—27 जुलाई 2021		
6	6	निर्यात व्यापार के लिए मछली और मत्स्य उत्पादों के नमूने और विश्लेषण पर ऑनलाइन प्रशिक्षण	ऑनलाइन वर्चुअल मोड	आईटीसीएफएसएएन	22—23 जुलाई 2021		
7	1	अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारतीय समुद्री भोजन में गुणवत्ता के मुद्दे	मत्स्य गुणवत्ता आश्वासन एवं प्रबंधन विभाग, मात्स्यिकी महाविद्यालय एवं अनुसंधान संस्थान	एनएफडीबी ने मत्स्य गुणवत्ता आश्वासन और प्रबंधन विभाग, मत्स्य महाविद्यालय और अनुसंधान संस्थान, थूथुकुडी, तमिलनाडु द्वारा आयोजित "मछली प्रसंस्करण संयंत्रों पर गुणवत्ता नियंत्रण" पर एक दिवसीय गैर—आवासीय फिजिकल प्रशिक्षण प्रायोजित किया।	26.08.2021		
8	2	निर्यात व्यापार के लिए चावल के विश्लेषण पर ऑनलाइन प्रशिक्षण	ऑनलाइन वर्चुअल मोड	आईटीसीएफएसएएन	25.08.2021		

9	4	INFOLNet 2.0 पर आभासी प्रशिक्षण (2) खाद्य सुरक्षा, परीक्षण और विश्लेषण के लिए सही प्रमाणित संदर्भ सामग्री (सीआरएम)का चयन (3)एफएसक्यूएमएस पर ऑनलाइन प्रशिक्षण कार्यक्रम (4) पर पहले राष्ट्रीय संगोष्ठी के लिए निमंत्रण:न्यूट्रिक्स	l	(1) एफएसएसएआई (2) एफएसएसएआई और एंटीलिया साइंटिफिक (3) एफएसएसएआई (4) एफएसएसएआई	12 दिसंबर 2020, 01 दिन
10	1	निरीक्षण निकायों के लिए एनएबीसीबी प्रत्यायन पर वेबिनार में भाग लिया	ऑनलाइन वर्चुअल मोड	एनएबीसीबी	29.03.2022
		f	- नेनिअ दिल्ली		
1	3	चावल में एफ्लाटॉक्सिन विश्लेषण के लिए नमूना तैयार करने की रणनीतियों और विधि का ऑनलाइन प्रदर्शन	ऑनलाइन वर्चुअल मोड	निनिप / आईटीसी— एफएसएएन	25.06.2021
2	2	निरीक्षण निकायों के लिए आईएसओ / आईईसी 17020:2012 की आवश्यकताएं	ऑनलाइन वर्चुअल मोड	भारतीय गुणवत्ता परिषद	26—27 जुलाई 2021
3	1	आईएसओ / आईईसी 17025: 2017 के अनुसार प्रयोगशाला प्रणाली और आंतरिक ऑडिट कार्यक्रम	ऑनलाइन वर्चुअल मोड	भारतीय गुणवत्ता परिषद	29—30 जुलाई 2021
4	1	आईएस/आईएसओ/आईईसी 17025:2017 के अनुसार प्रयोगशाला गुणवत्ता प्रबंधन प्रणाली और आंतरिक ऑडिट पर प्रशिक्षण कार्यक्रम	एनआईटीएस, सेक्टर 62, नोएडा	एनआईटीएस,बीआईएस	22 — 25 मार्च 2022
	निनिअ—कोच्ची				
1	1	नमूना तैयार करने की कार्यनीतियों पर ऑनलाइन प्रदर्शन और चावल में एफ्लाटॉक्सिन के विश्लेषण के लिए प्रयुक्त विधियाँ	ऑनलाइन वर्चुअल मोड	आईटीसी—एफएसएएन, मुंबई	25.06.2021

2	2	आयातित खाद्य नमूनों के परीक्षण पर चर्चा के लिए एफआईसीएस से जुड़ी प्रयोगशालाओं के साथ बैठक	ऑनलाइन वर्चुअल	एफएसएसएआई	22.06.2021
3	1	प्रोक्योरमेंट पॉलिसी और प्रक्रियाओं पर एडवांस कोर्स	ऑनलाइन वर्चुअल मोड	राष्ट्रीय उत्पादकता परिषद, नई दिल्ली	23.06.2021 से 24.06.2021
4	7	आईएसओ / आईईसी 17025:2017 के अनुसार मापन और निर्णय नियम की अनिश्चितता	ऑनलाइन वर्चुअल मोड	भारतीय गुणवत्ता परिषद	13.07.2021
5	7	निर्यात व्यापार के लिए मछली और मत्स्य उत्पादों के नमूनाकरण और विश्लेषण पर प्रशिक्षण	ऑनलाइन वर्चुअल मोड	आईटीसी—एफएसएएन, मुंबई	22.07.2021 से 23.07.2021
6	1	हिन्दी प्रबोध कक्षा	वर्चुअल		26.07.2021 से 28.07.2021
7	10	व्यापार पर भारतीय मिशनों और हितधारकों के साथ प्रधानमंत्री की बातचीत	वीडियो कॉन्फ्रेंस	पीएमओ	06.08.2021
8	1	आयात करने वाले देश की आवश्यकता के अनुसार चावल में कीटनाशक अवशेष का विश्लेषण और विधि सत्यापन	· ·	आईटीसी—एफएसएएन, मुंबई	25.08.2021
9	3	निर्यात व्यापार के लिए चावल के विश्लेषण पर ऑनलाइन प्रशिक्षण	ऑनलाइन वर्चुअल मोड	आईटीसी—एफएसएएन, मुंबई	25.08.2021
10	1	कोडेक्स गतिविधियों और मानक निर्धारण प्रक्रिया पर जागरूकता कार्यशाला	ऑनलाइन वर्चुअल मोड	एफएसएसएआई,नई दिल्ली	31.08.2021
11	1	5वां पीटीपी / आरएमपी कॉन्क्लेव	ऑनलाइन वर्चुअल मोड	एनएबीएल	30.08.2021 और 31.08. 2021

12	2	औषधीय रूप से सक्रिय पदार्थों के अवशेषों के लिए विश्लेषणात्मक तरीकों के प्रदर्शन पर आयोग विनियमन यूरोपीय संघ 808 / 2021 को लागू करने पर वेबिनार — पशु मूल का भोजन	ऑनलाइन वर्चुअल मोड	आईटीसी—एफएसएएन, मुंबई	01.09.2021
13	3	भारत में दूध और दूध उत्पाद की गुणवत्ता की संरचित निगरानी पर कार्यक्रम कार्यशाला	ऑनलाइन वर्चुअल मोड	आईटीसी—एफएसएएन, मुंबई	15.09.2021
14	2	परीक्षण एवं अंशशोधन प्रयोगशालाओं के लिए एनएबीएल लेब फोरम	ऑनलाइन वर्चुअल मोड	एनएबीएल	16.09.2021
15	2	प्रो. एस.के. जोशी प्रयोगशाला में उत्कृष्टता पुरस्कार का प्रमोचन	ऑनलाइन वर्चुअल मोड	भारतीय गुणवत्ता परिषद	16.09.2021
16	4	सूचना सत्र डब्लूजी57 (सीडी 2 आईएसओ/आईईसी 17043)	ऑनलाइन वर्चुअल मोड	कैस्को सचिव	17.09.2021
17	5	आजादी का अमृत महोत्सव मनाना — वाणिज्य उत्सव+ समुद्री भोजन में भारी धातु संदूषण पर वेबिनार— इससे बचने का तरीका // खाद्य पशु उत्पादन में पशु चिकित्सा उत्पादों का उपयोग	ऑनलाइन वर्चुअल मोड	निनिप ,नई दिल्ली	23.09.2021
18	5	आजादी का अमृत महोत्सव— वाणिज्य उत्सव मनानाः दुग्ध उत्पादों पर वेबिनार // बासमती चावल // मसाले		निनिप, नई दिल्ली	24.09.2021
19	5	आजादी का अमृत महोत्सव— वाणिज्य उत्सव मनाना : भारत के व्यापार समझौतों और यूरोपीय संघ के जीएसपी स्व प्रमाणन पर वेबिनार	। आन्लादन वन्त्रथल	निनिप ,नई दिल्ली	25.09.2021

20	5	16 वां वर्चुअल क्वालिटी कॉन्क्लेव (वीक्यूसी)	ऑनलाइन वर्चुअल मोड	भारतीय गुणवत्ता परिषद	27.10.2021
21	4	आयोग कार्यान्वयन विनियमन (ईयू) 2021 / 808	ऑनलाइन वर्चुअल मोड	आईटीसी—एफएसएएन, मुंबई	18.01.2022 और 19.01. 2022
22	1	खाद्य वैज्ञानिकों और प्रौद्योगिकीविदों का 28वां भारतीय सम्मेलन (28वां आईसीएफओएसटी) — खाद्य प्रमाणीकरण, सुरक्षा, गुणवत्ता और विनियमन	ऑनलाइन वर्चुअल मोड	एएफएसटीआई	22.01.2022
23	1	संदर्भ सामग्री उत्पादकों के बारे में जागरूकता कार्यक्रम	ऑनलाइन वर्चुअल मोड	एनएबीएल	27.01.2022
24	2	दूध, मांस, मुर्गी और मछली की गुणवत्ता और सुरक्षा सुनिश्चित करने और खाद्य परीक्षण प्रयोगशाला स्थापित करने के लिए विश्व स्तर पर मान्यता प्राप्त प्रमाणपत्र प्राप्त करना "— रासायनिक अवशेष प्रयोगशाला स्थापित करने के लिए आवश्यकताएँ	ऑनलाइन वर्चुअल मोड	आईसीएआर — नेशनल रिसर्च सेंटर ऑन मीट , हैदराबाद	17.02.2022
25	2	एमपीआरएनएल योजना की 14वीं वार्षिक कार्यशाला	ऑनलाइन वर्चुअल मोड	कीटनाशक अवशेषों पर अखिल भारतीय नेटवर्क परियोजना, भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान,नई दिल्ली	18.02.2022
26	1	डब्लूजी 13 — गुणात्मक विश्लेषण के लिए आरएम — सांकेतिक संपत्तियों का परीक्षण	ऑनलाइन वर्चुअल मोड	आईएसओ	18.02.2022
27	1	आईएसओ / आईईसी पर एनएबीएल पीटीपी निर्धारक प्रशिक्षण कार्यक्रम 17043:2010	चेन्नई	एनएबीएल	21.02.2022 से 25.02.2022

28	8	मूंगफली और मूंगफली उत्पादों के नमूने	वर्चुअल	निनिप ,नई दिल्ली	12.03.2022
29	1	एकीकृत मूल्यांकन की आवश्यकताएं – आणविक विश्लेषण (जीएमओ, वायरस और बासमती चावल की प्रामाणिकता) – आयात करने वाले देश की आवश्यकताएं, विधि सत्यापन और सत्यापन	। आनुनारन तन्त्रान	निनिप ,नई दिल्ली	28.03.2022
30	9	संदर्भ सामग्री निर्माता (आरएमपी) और आईएसओ गाइड 35 के लिए आईएसओसी 17034 क्यूएमएस मानक पर प्रशिक्षण	ईआईए—कोच्चि, मुख्यालय (ऑनसाइट)	सीआईएफटी—कोचीन और ईआईए—कोच्ची द्व ारा संयुक्त रूप से	20.04.2022 से 22.04.2022
		निनि	नेअ–कोलकाता		
1	1	आईसीआईसीआई ईजी पे पोर्टल के संबंध में बैठक एवं प्रशिक्षण	ऑनलाइन वर्चुअल मोड	ईआईसी	23.08.2021
2	1	कोडेक्स गतिविधि और मानक निर्धारण प्रक्रिया	ऑनलाइन वर्चुअल मोड	एफएसएसएआई	31.08.2021
3	1	संदर्भ सामग्री निर्माता (आरएमपी) और आईएसओ गाइड 35:2017 के लिए आईएसओ 17034:2016 क्यूएमएस मानक पर प्रशिक्षण कार्यक्रम	ईआईए—कोलकाता, प्रयोगशाला	ईआईए—कोलकाता, प्रयोगशाला	08.10.2021 — 10.10.2021
4	1	आयोग कार्यान्वयन विनियमन (ईयू) 2021 / 808 पर ऑनलाइन प्रशिक्षण	l आनलाइन	आईटीसी—एफएसएएन,	18.01.2022 —19.01.2022
5	1	सीफूड एचएसीसीपी सेगमेंट—1 ऑनलाइन कोर्स	ऑनलाइन वर्चुअल मोड	यूएस एफडीए	10.03.2022

6	1	निर्यात व्यापार के लिए मछली और मत्स्य उत्पाद के नमूने और विश्लेषण पर ऑनलाइन प्रशिक्षण		ल आईटीसी—एफएसएएन	22—23 जुलाई 2021
7	1	निर्यात व्यापार के लिए चावल के विश्लेषण पर ऑनलाइन प्रशिक्षण	[겠다하]라 하기(시)	ल आईटीसी—एफएसएएन	25.08.2021
8	1	निर्यात व्यापार के लिए मछली और मत्स्य उत्पाद के नमूने और विश्लेषण पर ऑनलाइन प्रशिक्षण		ल आईटीसी—एफएसएएन	22—23 जुलाई 2021
9	1	निर्यात व्यापार के लिए चावल के विश्लेषण पर ऑनलाइन प्रशिक्षण	। आनलादन वर्ग्यस	ल आईटीसी—एफएसएएन	25.08.2021
10	1	आयोग कार्यान्वयन विनियमन (ईयू) 2021 / 808 पर ऑनलाइन प्रशिक्षण	। आनलाइन वचअः	ल आईटीसी—एफएसएएन	18—19 जनवरी 2022
11	1	निर्यात व्यापार के लिए मछली और मत्स्य उत्पाद के नमूने और विश्लेषण पर ऑनलाइन प्रशिक्षण	ऑनलाइन वर्चुअ	ल आईटीसी—एफएसएएन	22—23 जुलाई 2021
12	1	निर्यात व्यापार के लिए चावल के विश्लेषण पर ऑनलाइन प्रशिक्षण	ऑनलाइन वर्चुअः मोड	ल आईटीसी—एफएसएएन	25.08.2021
13	9	निरीक्षण निकाय के लिए आईएसओ आईसी 17020 2012	ऑनलाइन वर्चुअ मोड	ल क्यूसीआई	27.05.2021 से 28.05.2021
14	2	खरीद नीति और प्रक्रियाओं पर अग्रिम पाठ्यक्रम	ऑनलाइन वर्चुअ मोड	ल राष्ट्रीय उत्पादकता परिषद, नई दिल्ली	23.06.2021 से 24.06.2021
15	4	नमूना तैयार करने की रणनीतियाँ और चावल में एफ्लाटॉक्सिन के विश्लेषण के लिए प्रयुक्त विधि	ľ	ल आईटीसीएफएएन	25.06.2021

16	4	खाद्य उद्योग में खाद्य सुरक्षा और स्वच्छता—भारतीय मानकों की भूमिका	ऑनलाइन मोड	वर्चुअल	खाद्य और कृषि विभाग, भारतीय मानक ब्यूरो	22.07.2021
17	5	निर्यात व्यापार के लिए मछली और मत्स्य उत्पादों के नमूने और विश्लेषण पर ऑनलाइन प्रशिक्षण	l	वर्चुअल	आईटीसीएफएएन	22.07.2021 से 23.07.2021
18	1	निर्यात व्यापार के लिए मछली और मत्स्य उत्पादों के नमूने और विश्लेषण पर ऑनलाइन प्रशिक्षण	1	वर्चुअल	आईटीसीएफएएन	22.07.2021
19	4	एलजीसी एक्सियो प्रवीणता परीक्षण—प्रदर्शन को अनुकूलित करने के लिए प्रवीणता परीक्षण का उपयोग	l	वर्चुअल	क्रोमैटोफ / एलजीसी मानक यूके	25.06.2021
20	2	जीईएम पोर्टल के माध्यम से सार्वजनिक खरीद	ऑनलाइन मोड	वर्चुअल	राष्ट्रीय उत्पादकता परिषद, नई दिल्ली	05.08.2021 से 06.08.2021
21	3	मसाले कैसे इम्युनिटी बढ़ाने में मदद करते हैं पर – वेबिनार	ऑनलाइन मोड	वर्चुअल	स्पाइस बोर्ड ऑफ इंडिया	14.08.2021
22	6	निर्यात व्यापार के लिए चावल के नमूने और विश्लेषण पर ऑनलाइन प्रशिक्षण	ऑनलाइन मोड	वर्चुअल	आईटीसीएफएएन	25.08.2021
23	4	आईसीआईसीआई ईजी पे पोर्टल के संबंध में बैठक एवं प्रशिक्षण	ऑनलाइन मोड	वर्चुअल	ईआईसी	23.08.2021
24	1	कोडेक्स गतिविधि और मानक निर्धारण प्रक्रिया	ऑनलाइन मोड	वर्चुअल	एफएसएसएआई	31.08.2021
25	1	''कोडेक्स गतिविधियां और मानक—निर्धारण प्रक्रिया'' पर जागरूकता कार्यशाला	ऑनलाइन मोड	वर्चुअल	कोडेक्स भारत	31.08.2021
26	6	आयोग कार्यान्वयन विनियमन (ईयू2021 / 808)	ऑनलाइन मोड	वर्चुअल	आईटीसीएफएएन	01.09.2021
27	4	आईसीपी—एमएस और खाद्य सुरक्षा समाधान में मूल बातें और विकसित	ऑनलाइन मोड	वर्चुअल	एफएसएसएआई	29.09.2021 से 31.09.2021

28	5	ईयू जीएसपी एफटीएएस पर 75वां आजादी का अमृत महोत्सव वेबिनार	ऑनलाइन वर्चुअल मोड	डीओसी / ईआईसी	25.09.2021
29	10	संदर्भ सामग्री निर्माता और आईएसओ गाइड 35:2017 के लिए आईएसओ 17034:2016 क्यूएमएस मानक पर प्रशिक्षण कार्यक्रम	ईआईए—कोलकाता प्रयोगशाला	ईआईए—कोलकाता प्रयोगशाला	08.10.2021 से 10.10.2021
30	1	पीटी सम्मेलन	वर्चुअल	एनएबीएल	22.11.2021
31	1	"मेड इन इंडिया फॉर द वर्ल्ड"—बीआईएस कंट्रीब्यूशन टू इंटरनेशनल स्टैंडर्डाइजेशन "—कार्यशाला	वर्चुअल	बीआईएस	
32	5	ओरिएंटेशन ट्रेनिंग प्रोग्राम	एनसीयूआई, नई दिल्ली	ईआईए—कोलकाता प्रयोगशाला(मुख्यालय)	06.12.2021 से 17.12.2021
33	1	निवारक सतर्कता पर अभिविन्यास प्रशिक्षण कार्यक्रम	आईएसटीएम	र्सटीएम मुख्यालय	
34	6	आयोग कार्यान्वयन विनियमन (ईयू) 2021 / 808 कार्यक्रम पर ऑनलाइन प्रशिक्षण	ऑनलाइन वर्चुअल मोड	आईटीसी—एफएसएएन	18.01.2022 से 19.01.2022
35	1	आईएस 5404:1984 के संशोधन पर कार्यकारी समूह की बैठक—सूक्ष्मजैविक विश्लेषण के लिए खाद्य नमूनों को खींचने और संभालने के तरीके	ı	बीआईएस / एफएडी 15 पैनल 1	07.02.2022
36	2	एमपीआरएनएल परियोजना पर 14वीं वार्षिक कार्यशाला	ऑनलाइन वर्चुअल मोड	आईसीएआर—भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान, नई दिल्ली—110012	18.02.2022
37	4	इन्फ्लोनेट सॉफ्टवेयर संस्करण 2.0 का उपयोग	ऑनलाइन वर्चुअल मोड	एफएसएसएआई	23.02.2022
38	5	मूंगफली और मूंगफली उत्पाद के नमूने पर एक दिवसीय ऑनलाइन प्रशिक्षण कार्यक्रम	ऑनलाइन वर्चुअल मोड	ईआईसी	12.03.2022

39	2	आईएसओ 17025:2017 के अनुसार एकीकृत मूल्यांकन की आवश्यकता पर प्रयोगशालाओं के लिए दो दिवसीय ऑनलाइन प्रशिक्षण कार्यक्रम	आनलाइन वयुअल मो.ट	एनएबीएल	29.03.2022
		ि	निअ— मुंबई		
1	1	सीसीएफ14 के लिए पहली कोडेक्स समन्वय (सीसीजी 1—रासायनिक) बैठक	। आन्नाटन तन्त्रात्र	सचिवालय, नेशनल कोडेक्स कॉन्टैक्ट प्वाइंट, एफएसएसएआई	09.04.2021 , (01 दिन)
2	4	निरीक्षण निकायों के लिए एनएबीसीबी प्रत्यायन, और उद्योग और सरकारी निकायों को इसके लाभ पर जागरूकता कार्यक्रम वेबिनार	ऑनलाइन वर्चुअल मोड	प्रमाणन निकायों के लिए राष्ट्रीय प्रत्यायन बोर्ड, भारतीय गुणवत्ता परिषद	21.05.2021 , (01 दिन)
3	1	अनुशासनात्मक कार्यवाही पर अग्रिम पाठ्यक्रम	ऑनलाइन वर्चुअल मोड	राष्ट्रीय उत्पादकता परिषद, नई दिल्ली	27.05.2021 और 28.05. 2021(दो दिन)
4	1	23 से 24 जून, 2021 तक ''प्रोक्योरमेंट पॉलिसी एंड प्रोसीजर पर एडवांस कोर्स''पर दो दिवसीय ऑनलाइन प्रशिक्षण	ı	राष्ट्रीय उत्पादकता परिषद, नई दिल्ली	23.06.2021 और 24.06. 2021 (दो दिन)
5	1	निरीक्षण निकायों के प्रत्यायन पर वेबिनार और उद्योग और सरकारी निकायों को इसके लाभ	_ ~	एनएबीसीबी	25.06.2021 (एक दिन)
6	1	रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाएं	ऑनलाइन वर्चुअल मोड	स्पाइसेस बोर्ड ऑफ इंडिया एंड टाइम ऑफ इंडिया	1 1 <i>1</i> 1 0 0 0 0 0 1
7	1	एफडीए 28 की दूसरी बैठकः एफएडी 28— पैनल 3ः खाद्य उत्पाद अनुभागीय समिति—पैनल 3 के लिए परीक्षण विधियाँ	[생[ન씨]로타 이라십시	I	13.08.2021 (एक दिन)
8	1	खाद्य उत्पाद अनुभागीय समिति के लिए परीक्षण विधियों की 7वीं बैठक, एफएडी 28	ऑनलाइन वर्चुअल मोड	भारतीय मानक ब्यूरो (बीआईएस), नई दिल्ली	25.08.2021 (एक दिन)

9	1	केंद्रीय सरकार के मंत्रालयों, विभागों के सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों और बैंकों के कनिष्ठ और मध्यम स्तर के सतर्कता अधिकारी के लिए सतर्कता पाठ्यक्रम	~	केंद्रीय जांच ब्यूरो अकादमी, गाजियाबाद	06.09.2021 से 10.09.2021 (पाँच दिन)
10	5	ओरिएंटेशन ट्रेनिंग प्रोग्राम	भारतीय राष्ट्रीय सहकारी संघ, दिल्ली	निर्यात निरीक्षण परिषद	06.09.2021 से 10.09.2021 (पाँच दिन):13. 12.2021 से 17.12.2021 (पाँच दिन)
11	1	निवारक सतर्कता पर अभिविन्यास प्रशिक्षण कार्यक्रम	ऑनलाइन वर्चुअल मोड	सचिवालय प्रशिक्षण और प्रबंधन संस्थान (आईएसटीएम), नई दिल्ली	27.12.2021 (एक दिन)
12	2	एमआरपीएनएल योजना की 14वीं वार्षिक कार्यशाला	ऑनलाइन वर्चुअल मोड	कीटनाशक अवशेषों पर अखिल भारतीय नेटवर्क परियोजना भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान नई दिल्ली—110012	18.02.2022 (एक दिन)
13	4	मूंगफली और मूंगफली उत्पादों के नमूने पर एक दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम	ऑनलाइन वर्चुअल मोड	निर्यात निरीक्षण परिषद	12.03.2022 (एक दिन)

तालिका (ट): निर्यातकों के लिए आउटरीच कार्यक्रम

	2021—22 के दौरान निर्यातकों के लिए आउटरीच कार्यक्रम						
क्र.सं.	कार्यक्रम का नाम	दिनांक	स्थान				
1	जीएसीसी– स्व–मूल्यांकन रिपोर्ट पर समीक्षा और चर्चा	20.04.2021, 21.04.2021 और 26.04. 2021	ईआईए—चेन्नई, उप—कार्यालय विशाखापत्तनम				
2	एलिसा स्क्रीनिंग तकनीकों द्वारा एंटीबायोटिक्स का विश्लेषण	29.07.2021	निनिअ चेन्नई मुख्यालय और निनिअ चेन्नई उप–कार्यालय नेल्लोर				
3	एनएफडीबी ने ''अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारतीय समुद्री खाद्य पदार्थों में गुणवत्ता के मुद्दों'' पर एक दिवसीय गैर आवासीय फिजिकल प्रशिक्षण प्रायोजित किया		मात्स्यिकी महाविद्यालय (तूतीकोरिन)				

4	एलिसा टेस्ट किट का उपयोग करके एक्वाकल्वर श्रिम्प्स में एंटीबायोटिक्स की स्क्रीनिंग पर प्रशिक्षण।	16.09.2021 और 17.09. 2021	ईआईए—चेन्नई मुख्यालय और ईआईए—चेन्नई उप—कार्यालयः भीमावरम
5	एलिसा तकनीक द्वारा मछली और मत्स्य उत्पादों में एंटीबायोटिक अवशेषों की स्क्रीनिंग पर प्रौद्योगिकीविद् के लिए आभासी प्रशिक्षण कार्यक्रम	16.09.2021 और 17.09. 2021	ईआईए—चेन्नई, उप—कार्यालय विशाखापत्तनम, प्रयोगशाला
6	आजादी का अमृत महोत्सवः ''पिछले 75 वर्षों में दूध की यात्रा और आगे की चुनौतियां / / दूध और दूध उत्पादों के निर्यात के लिए स्थापना की आवश्यकताएं	23.09.2021 25.09.2021	ईआईए—चेन्नई
7	खाद्य सुरक्षा प्रबंधन प्रणाली की आवश्यकता पर प्रशिक्षण	29.10.2021	ईआईए—चेन्नई उप—कार्यालयः भीमावरम
8	हैचरी, फीड मिल, सी फूड सप्लायर, एक्वा फार्मर के स्टेक होल्डर्स को "प्राथमिक उत्पादन (एक्वाकल्चर फार्म, हैचरी, फीड मिल, सप्लायर, लैंडिंग साइट और फिशिंग वेसल) की स्वीकृति के लिए आवश्यकताएँ" पर प्रशिक्षण	21.12.2021	काकीनाडा
9	मात्स्यिकी प्रतिष्ठानों में निर्यातकों / स्वीकृत प्रौद्योगिकीविदों के लिए जागरूकता कार्यक्रम	17.12.2021	ईआईए–चेन्नई मुख्यालय
10	आउटरीच कार्यक्रम अनुसूची 2021—22 के तहत आयोजित एलिसा तकनीक पर प्रौद्योगिकीविदों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम	21.01.2022	ईआईए—चेन्नई मुख्यालय वर्चुअल पर संचालित किया गया
11	मछली और मत्स्य उत्पादों के निर्यात के लिए विनियामक आवश्यकताएं (एफएंडएफपी प्रतिष्ठानों में प्रौद्योगिकीविद् के लिए प्रशिक्षण)	28.01.2022	निनिअ चेन्नई उप—कार्यालय नेल्लोर ने वर्चुअल प्रशिक्षण आयोजित किया
12	एलिसा स्क्रीनिंग और सत्यापन पर विशेष जोर देने के साथ विभिन्न तकनीकों का उपयोग करके एंटीबायोटिक निर्धारण	17.2.2022	उप–कार्यालयः तूतीकोरिन
13	समुद्री खाद्य उद्योग के सूक्ष्मजैविक परीक्षण के लिए प्रौद्योगिकीविद् प्रशिक्षण कार्यक्रम,	21.02.2022	ईआईए– चेन्नई प्रयोगशाला और एफएफपी
14	श्री दिवाकर नाथ मिश्रा, (आईएएस), संयुक्त सचिव, वाणिज्य विभाग और निदेशक, निर्यात निरीक्षण परिषद (ईआईसी), के साथ एक संवादात्मक सत्र।	10.03.2022	ईआईए–चेन्नई मुख्यालय, एमपीईडीए–चेन्नई और एपीडा चेन्नई
15	एफ एंड एफपी प्रतिष्ठानों के जीएसीसी पंजीकरण पर चर्चा	18.02.2022	ईआईए—चेन्नई, उप—कार्यालय विशाखापत्तनम
16	ई—ऑफिस मॉड्यूल	31.03.2022	उप—कार्यालय विशाखापत्तनम (वर्चुअल)
17	ईआईए, दिल्ली और इसके उप कार्यालयों के क्षेत्राधिकार के तहत बेहतर व्यापार सुविधा के लिए चावल निर्यातकों के साथ बातचीत कार्यक्रम	07.07.2021	ईआईए–दिल्ली वर्चुअल मोड

18	बेहतर व्यापार सुविधा के लिए शहद निर्यातक के साथ संवाद कार्यक्रम दिनांक 12.08.2021	12.08.2021	ईआईए–दिल्ली वर्चुअल मोड
19	सामान्य डिजिटल पोर्टल का उपयोग कर जीएसपी के निर्यातकों के लिए सीडीपी पोर्टल पर सीओओ और आरईएक्स जारी करने पर प्रशिक्षण	18.02.2021	ईआईए–दिल्ली वर्चुअल मोड
20	निर्यात के लिए पशु मूल उत्पादों के लिए अनुमोदित स्थापना के लिए कार्यकारी निर्देश पर जागरूकता कार्यक्रम	14.03.2022	ईआईए–दिल्ली वर्चुअल मोड
21	निर्यात के लिए संयंत्र मूल उत्पादों के तहत खाद्य और खाद्य उत्पादों के लिए अनुमोदित स्थापना के लिए कार्यकारी निर्देश पर जागरूकता कार्यक्रम	30.03.2022	ईआईए–दिल्ली वर्चुअल मोड
22	बासमती चावल के प्रयोगशाला अभ्यास पर जागरूकता कार्यक्रम	30.03.2022	ईआईए–दिल्ली वर्चुअल मोड
23	आयातक देशों की आवश्यकताएं और लिस्टिंग	30.03.2022	वर्चुअल
24	ईआईए—कोच्ची के एफ एंड एफपी अनुभाग द्वारा आयोजित समुद्री खाद्य व्यापार के साथ बातचीत	14.07.2021	वर्चुअल
25	ईआईए—कोच्ची के एफ एंड एफपी अनुभाग द्वारा आयोजित समुद्री खाद्य व्यापार के साथ बातचीत	12.08.2021	वर्चुअल
26	स्पाइसेस बोर्ड इंडिया ने टाइम्स ऑफ इंडिया के सहयोग से — ''कैसे मसाले प्रतिरक्षा को बढ़ाने में मदद करते हैं'' पर बातचीत	14.08.2021	जूम प्लेटफॉर्म के माध्यम से लाइव वेबिनार
27	ईआईए—कोच्ची के एफ एंड एफपी अनुभाग द्वारा आयोजित समुद्री खाद्य व्यापार के साथ बातचीत	30.092021	वर्चुअल
28	ईआईए—कोच्ची के एफ एंड एफपी अनुभाग द्वारा आयोजित समुद्री खाद्य व्यापार के साथ बातचीत	28.10.2021	वर्चुअल
29	ईआईए—कोच्ची के एफ एंड एफपी अनुभाग द्वारा आयोजित समुद्री खाद्य व्यापार के साथ बातचीत	26.11.2021	वर्चुअल
30	ईआईए—कोच्ची के एफ एंड एफपी अनुभाग द्वारा आयोजित समुद्री खाद्य व्यापार के साथ बातचीत	28.12.2021	वर्चुअल
31	एचएएसीपी के संबंध में प्रौद्योगिकीविदों के लिए जागरूकता कार्यक्रम, देश की आवश्यकताओं के अनुसार आयात करना और माइक्रोबायोलॉजिकल विश्लेषण	29.12.2021	सम्मेलन कक्ष, ईआईए–कोच्चि
32	ईआईए—कोच्ची के एफ एंड एफपी अनुभाग द्वारा आयोजित समुद्री खाद्य व्यापार के साथ बातचीत	31.01.2022	वर्चुअल
33	ईआईए—कोच्ची के एफ एंड एफपी अनुभाग द्वारा आयोजित समुद्री खाद्य व्यापार के साथ बातचीत	28.02.2022	वर्चुअल

34	समुद्री भोजन एचएसीसीपी, नियामक आवश्यकताओं और नमूने पर दो दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम	29.03.2022 और 30.03. 2022	ईआईए–कोलकाता, मुख्यालय (वर्चुअल)
35	एलिसा तकनीक द्वारा मछली और मत्स्य उत्पादों में एंटीबायोटिक अवशेषों की स्क्रीनिंग पर प्रौद्योगिकीविदों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम	28.03.2022	समुद्री खाद्य स्थापना
36	समुद्री उत्पादों के सूक्ष्मजैविक विश्लेषण पर प्रौद्योगिकीविद् के लिए पांच (5) दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम	31.03.2022 से 04.03.2022	ईआईए–कोलकाता लैब
37	आरईएक्स और जीएसपी पंजीकरण पर एक दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम	11.03.2022	ईआईए–कोलकाता, मुख्यालय (वर्चुअल)
38	एलिसा द्वारा मछली और मत्स्य उत्पादों में प्रतिबंधित पदार्थों के विश्लेषण पर प्रशिक्षण दिया गया	22.07.2021	ऑनलाइन वर्चुअल मोड
39	सीएसएफपी के तहत स्थापना की स्वीकृति और एचसी जारी करने की प्रक्रिया	जुलाई—21	मुंबई
40	अनुमोदित प्रतिष्ठानों की जिम्मेदारी और मछली और मत्स्य उत्पादों के निर्यात के लिए नियामक आवश्यकता (एक दिन)	06.09.2021	मुंबई
41	एफ एंड एफपी और निर्यात आवश्यकताओं की सुरक्षा पर प्रशिक्षण (एक दिवसीय)	सितम्बर—21	वेरावल
42	दूध और दुग्ध उत्पाद के निर्यात के लिए स्वीकृत प्रतिष्ठानों की जिम्मेदारी और नियामक आवश्यकता	सितम्बर–21	मुंबई
43	एफ एंड एफपी प्रतिष्ठानों में इनहाउस लैब के लिए विश्लेषण और गुणवत्ता आश्वासन (एक दिन)	अक्टूबर—21	वेरावल
44	उत्पत्ति का प्रमाण पत्र / सामान्य डिजिटल प्लेटफॉर्म / आरईएक्स	21.10.2021	मुंबई
45	श्री दिवाकर नाथ मिश्रा, संयुक्त सचिव, भारत सरकार के साथ ईआईए—अधिकारियों, समुद्री खाद्य निर्यातक, एपीडा निर्यातकों और आईओपीईपीसी निर्यातकों के साथ बैठक।	01.11.2021	मुंबई
46	आयातक देश की आवश्यकताओं के संबंध में वायरस परीक्षण सिहत सूक्ष्मजैविक विश्लेषण पर एक दिवसीय प्रौद्योगिकीविदों का प्रशिक्षण	नवंबर—21	ऑनलाइन वर्चुअल मोड
47	प्राथमिक उत्पादन सुविधाओं की आवश्यकताएं (एक दिन)	16.12.2022	ऑनलाइन वर्चुअल मोड
48	एलिसा द्वारा इन–हाउस एंटीबायोटिक परीक्षण	दिसम्बर—21	रत्नागिरि
49	वीसीएस और सीडब्ल्यूआई के तहत स्वास्थ्य प्रमाण पत्र जारी करना और इसकी नियामक आवश्यकता	दिसम्बर—21	मुंबई

50	आयातक देश की आवश्यकताओं के संबंध में वायरस परीक्षण सहित सूक्ष्मजैविक विश्लेषण पर एक दिवसीय प्रौद्योगिकीविदों का प्रशिक्षण		ईआईए—मुंबई लेब ऑनलाइन वर्चुअल मोड के माध्यम से
51	प्राथमिक उत्पादन की स्वीकृति के लिए आवश्यकताएँ (एक दिन)	01.02.2022	मुंबई
52	दुग्ध प्रतिष्ठानों के लिए प्राथमिक उत्पादन (अच्छे पशु चिकित्सा पद्धतियों (जीवीपी) के अनुमोदन के लिए आवश्यकताएँ	फरवरी —22	मुंबई
53	आयातक देश नियामक आवश्यकताओं पर एक दिवसीय प्रौद्योगिकीविद् प्रशिक्षण कार्यक्रम और झींगा में एंटीबायोटिक के परीक्षण के लिए एलिसा विश्लेषण	फरवरी —22	ईआईए—मुंबई लैब ऑनलाइन वर्चुअल मोड के माध्यम से
54	आयातक देश की आवश्यकताओं के संबंध में वायरस परीक्षण सहित सूक्ष्मजैविक विश्लेषण पर प्रौद्योगिकीविदों को प्रशिक्षण दिया गया	24.03.2022	ऑनलाइन वर्चुअल मोड
55	आयातक देश की आवश्यकताओं के संबंध में एंटीबायोटिक विश्लेषण और पशु चिकित्सा औषधि अवशेष परीक्षण पर प्रौद्योगिकीविद् प्रशिक्षण प्रदान किया गया	25.03.2022	ऑनलाइन वर्चुअल मोड
56	आरईएक्स सिस्टम पर जागरूकता प्रशिक्षण कार्यक्रम और सीडीपी पर सीओओ, एस के तहत विभिन्न एफटीए और अनुप्रयोगों के तहत उत्पत्ति का अधिमान्य प्रमाण पत्र	25.03.2022	मुंबई

निनिअ के नेटवर्क, निनिप के क्षेत्रीय संगठन

निर्यात निरीक्षण परिषद, नई दिल्ली के तकनीकी एवं प्रशासनिक नियंत्रण में संचालित निर्यात के लिए उत्पादों के गुणवत्ता नियंत्रण, निरीक्षण, मॉनिटरिंग, परीक्षण एवं प्रमाणन का कार्य दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता एवं कोच्ची स्थित निर्यात निरीक्षण अभिकरणों (निनिअ) द्वारा किया जाता है।

निर्यात निरीक्षण अभिकरण-चेन्नई

निर्यात निरीक्षण अभिकरण — चेन्नईः तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना तथा पुडुचेरी के अधिकार क्षेत्र में काम करता है, जिसमें भीमावरम, कोयंबटूर, हैदराबाद, नागरकोइल, नेल्लोर, तूतीकोरिन और विशाखापत्तनम में स्थित 7 उप कार्यालयों का नेटवर्क है।

निर्यात निरीक्षण अभिकरण — चेन्नई द्वारा संभाल रही प्रमुख गतिविधियांः

- मत्स्य एवं मात्स्यिकी उत्पादों, कुक्कुट मांस एवं कुक्कुट मांस उत्पादों, अंडा एवं अंडा उत्पादों, दुग्ध उत्पादों, फल उत्पादों, काली मिर्च, पोषण भोज्य एवं पूर्व—मिश्रण, आदि के तहत अनुमोदित प्रतिष्ठानों का आधिकारिक नियंत्रण।
- सूखे मत्स्य, शहद, काली मिर्च, मूंगफली एवं मूंगफली उत्पादों आदि के निर्यात के लिए परेषण—वार निरीक्षण।
- स्वैच्छिक योजना के साथ—साथ तुर्की योजना के तहत इकाइयों का प्रमाणन।
- रेक्स एवं जीएसपी, एसएपीटीए, आईएसएफटीए, आईटीएफटीए, आदि जैसे विभिन्न मुक्त व्यापार करार के तहत मूल प्रमाण पत्र जारी करने का प्रावधान।

- निनिअ—चेन्नई मुख्यालय एवं उप—कार्यालयों की प्रयोगशालाओं में विभिन्न उत्पादों का परीक्षण ।
- एफएसएसएआई द्वारा मान्यता प्राप्त नोडल प्रयोगशाला के रूप में आयातित खाद्य उत्पादों का परीक्षण।

तटीय जलकृषि प्राधिकरण (सीएए) ने जलकृषि आदान के पंजीकरण से पहले निषिद्ध पदार्थों का पता लगाने के लिए विभिन्न जलकृषि आदान उत्पादों के परीक्षण के लिए निनिअ—चेन्नई प्रयोगशाला को मान्यता दी है। मत्स्य एवं मात्स्यिकी क्षेत्र में उपयोग किए जाने वाले विभिन्न जलकृषि आदानों के परीक्षण के लिए, विशेष रूप से ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स एक्ट 1940 की धारा 20 (1) एवं धारा 20 (3) के तहत निषिद्ध पदार्थों के परीक्षण के लिए औषधि नियंत्रण प्रशासन, आंध्र प्रदेश सरकार ने अधिसूचित प्रयोगशाला के रूप में निनिअ—चेन्नई प्रयोगशाला की सिफारिश की है।

9.2 निर्यात निरीक्षण अभिकरण-

दिल्ली

निर्यात निरीक्षण अभिकरण—दिल्ली देश के पूरे उत्तरी एवं मध्य क्षेत्र में जम्मू—कश्मीर, पंजाब, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, हरियाणा एवं मध्य प्रदेश राज्यों को शामिल करते हुए तथा उत्तरी क्षेत्र में जालंधर, लुधियाना; उत्तर मध्य क्षेत्र में कानपुर; उत्तर पश्चिमी क्षेत्र में जयपुर; मध्य क्षेत्र में इंदौर के कार्यालयों के साथ अपने अधिकार क्षेत्र का प्रचालन करता है। निनिअ पोषण भोज्य एवं पूर्व मिश्रण के अलावा बासमती चावल, दुग्ध उत्पाद, शहद, पशु केसिंग की अनुमोदित इकाइयों के नियामक नियंत्रण में शामिल है। बासमती चावल परीक्षण के लिए निनिअ—दिल्ली की प्रयोगशाला आईएसओ 17025:2017 प्रमाणित है।

9.3 निर्यात निरीक्षण अभिकरण-कोच्ची

निनिअ-कोच्ची द्वारा संचालित प्रमुख उत्पादों में मत्स्य एवं मात्स्यकी उत्पाद (एफएंडएफपी) तथा काली मिर्च शामिल हैं। निनिअ-कोच्ची स्वैच्छिक प्रमाणीकरण योजना के तहत मत्स्य एवं मात्स्यिकी उत्पाद, काली मिर्च, मसाले जैसे अन्य खाद्य उत्पादों के अनुमोदन एवं मॉनिटरिंग की अपनी सेवाएं प्रदान कर रहा है। निनिअ-कोच्ची में गैर-जीएमओ के लिए एनएबीएल मान्यता प्राप्त प्रयोगशाला स्विधा है, जिसके आधार पर सभी निनिअ द्वारा गैर जीएमओ प्रमाणपत्र जारी किए जाते हैं।

9.4 निर्यात निरीक्षण अभिकरण-कोलकाता

निर्यात निरीक्षण अभिकरण-कोलकाता स्वैच्छिक योजना के तहत अधिसूचित उत्पादों तथा खाद्य उत्पादों के लिए निर्यात प्रमाणन प्रदान करता है। यह अधिमान्य एवं मुक्त व्यापार करारों के अनुसार मूल के अधिमान्य प्रमाण पत्र भी जारी करता है।

9.5 निर्यात निरीक्षण अभिकरण-मुंबई

मुंबई, रत्नागिरी, गोवा, अहमदाबाद, राजकोट, गांधीधाम, पोरबंदर तथा वेरावल में स्थित उप कार्यालयों के साथ निनिअ-मुंबई का महाराष्ट्र, गुजरात एवं गोवा पर अधिकार क्षेत्र है। विभिन्न अधिमान्य प्रशुल्क योजनाओं के तहत मूलस्थान प्रमाण पत्र जारी करने के अलावा, निनिअ-मुंबई विभिन्न निर्यात उत्पादों के लिए स्वास्थ्य प्रमाण पत्र भी जारी करता है, जिसमें प्रसंस्कृत फल उत्पाद, दुग्ध उत्पाद, मत्स्य एवं मात्स्यिकी उत्पाद, कूचली हुई हिडड्यां, ओस्सीन, जिलेटिन, पशु केसिंग, काली मिर्च, चारा, पोषण भोज्य एवं पूर्व-मिश्रण, अन्य खाद्य उत्पाद आदि शामिल हैं। निर्यातकों को मूल प्रमाण पत्र जारी करने के लिए विवरण ऑनलाइन जमा करने पर जोर दिया जाता है।

निनिप एवं निनिअ के पते एवं संपर्क संख्याएं

निर्यात निरीक्षण परिषद

(वाणिज्य विभाग, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय, भारत सरकार) दूसरी मंजिल, बी-प्लेट, ब्लॉक-1, वाणिज्यिक परिसर, पूर्वी किदवई नगर, नई दिल्ली —110023 दूरभाष: 91 - 11 - 20815386 / 87 / 88 ई-मेलः eic@eicindia.gov.in

2 निर्यात निरीक्षण अभिकरण एव उनके उप कार्यालय

निर्यात निरीक्षण अभिकरण- मुंबई (मुख्यालय)

ई-3, एम.आई.डी.सी., अंधेरी (पूर्व), मुंबई, पिनः 400093,

दूरभाष: 91-22-2363 0311 / 2363 0312 / 2363 0113 फैक्सः 91-22-23683927,

ई–मेलः eia-mumbai@eicindia.gov.in

उप कार्यालय

निर्यात निरीक्षण अभिकरण- मुंबई

उप कार्यालयः अहमदाबाद 305, मल्टी पर्पस स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स (न्यू क्लॉथ मार्केट के सामने) रायपुर, अहमदाबाद, पिनः 380002, गुजरात, दूरभाष: 91-79-2216 2398 फैक्स: 91-79-2216 2398 ई-मेलः eia-ahmedabad@eicindia.gov.in

निर्यात निरीक्षण अभिकरण— मुंबई उप कार्यालयः गांधीधाम

कमरा नं. एफ-01, एफ-02, पुराना प्रशासनिक कार्यालय, कांडला विशेष आर्थिक क्षेत्र, गांधीधाम, पिनः 370230, गुजरात

दूरभाषः 91-2836-253036 । फैक्सः 91-2836-220 836 ई-मेलः eia-gandhidham@eicindia.gov.in

निर्यात निरीक्षण अभिकरण-मुंबई उप कार्यालयः गोवा

वाई—15, 5 वीं मंजिल, बिल्डिंग ए—1, जयराम कोम्प्लेक्स, रुआ डे ओरेम, माला पणजी, पिनः 403001, गोवा, दूरभाषः 0832-2222380 फैक्सः 0832 - 2222 380 ई – मेल: eia-goa@eicindia.gov.in

निर्यात निरीक्षण अभिकरण-मुंबई उप कार्यालयः पोरबंदर

4, भोजेश्वर प्लॉट, पोरबंदर, पिनः 360575 गुजरात दूरभाषः 91-286-2246 376 फैक्सः 91-286-2246 376 ई—मेलः eia-porbandar@eicindia.gov.in

निर्यात निरीक्षण अभिकरण-मुंबई उप कार्यालयः राजकोट

शरद विला, 25, न्यू जगनाथ प्लॉट, राजकोट, पिनः 360001, गुजरात

दूरभाष: 91-281-2463 620 फैक्स: 91-281-2463 620 ई-मेलः eia-rajkot@eicindia.gov.in

निर्यात निरीक्षण अभिकरण-मुंबई उप कार्यालयः रत्नागिरी

साहिल मेंशन, शिवाजी नगर, मारुति मंदिर, रत्नागिरी, पिनः ४१५६१२, महाराष्ट्र दूरभाषः 91–235–2222589 फैक्सः 91–235–2222589 ई—मेलः eia-ratnagiri@eicindia.gov.in

निर्यात निरीक्षण अभिकरण-मुंबई उप कार्यालयः वेरावल

पहली मंजिल, जयकिशन कॉम्प्लेक्स, 80 फीट रोड, न्यू चंद्रमौलेश्वर मंदिर, वेरावल, पिनः 362265, गुजरात दूरभाषः 91-2876-220610 फैक्सः 91-2876-220610 ई-मेलः eia-veraval@eicindia.gov.in

निर्यात निरीक्षण अभिकरण-मुंबई उप कार्यालयः बडौदा

कूबेर भवन, रूक नंबर -824, '।' ब्लॉक, 8वीं मंजिल, कोठी के पास, बड़ौदा, पिनः 390001, गुजरात दूरभाषः 91–265–2415706 फैक्सः +91–265–2415706 ई-मेलः eia-baroda@eicindia-gov-in

निर्यात निरीक्षण अभिकरण – कोलकाता

निर्यात निरीक्षण अभिकरण – कोलकाता (मुख्यालय) वर्ल्ड ट्रेड सेंटर, 14/1बी एजा स्ट्रीट, कोलकाता, पिनः 700001, पश्चिम बंगाल

दूरभाष: 91-33-22355004 / 22352651 / 22352652 फैक्स: 91-33-22354562

ई-मेलः eia-kolkata@eicindia.gov.in

निरीक्षण निर्यात अभिकरण-कोलकाता-प्रयोगशाला

स्पेस 101, (पहली मंजिल), साउथ एन्ड कॉन्क्लेव, 1581, राजदंगा मेन रोड, कोलकाता-700107 ई-मेलः eia-kolkatalab@eicindia.gov.in

उप-कार्यालय

निर्यात निरीक्षण अभिकरण-कोलकाता उप कार्यालयः भवनेश्वर

आईडीसीओ प्लॉट नंबर 45/ए/1, चंदका इंडस्ट्रियल एस्टेट-पटिया भूवनेश्वर, पिनः 751 024, ओडिशा दुरभाषः 91-674-2975868

ई-मेलः eia-bhubaneswar@eicindia.gov.in

निर्यात निरीक्षण अभिकरण-कोच्ची निर्यात निरीक्षण अभिकरण-कोच्ची (मुख्यालय)

27 / 1767 ए, शिपयार्ड क्वार्डेस रोड, पनमपिल्ली नगर (दक्षिण), कोच्ची, पिनः 682036, केरल दूरभाषः 91-484 -2314645 / 2316946 / 2316949 फैक्सः 91-484-2316948 ई-मेल: eia-kochi@eicindia.gov.in

उप कार्यालय

निर्यात निरीक्षण अभिकरण-कोच्ची उप कार्यालयः बैंगलोर दूसरी मंजिल, जीवन साम्पिगे बिल्डिंग, नंबर 1/1, सेकंड मेन , सांपिगे रोड, मल्लेश्वरम, बंगलौर, पिनः 560003, कर्नाटक दूरभाष: 91-80-23444931 / 23567556 ई-मेलः eia-bangalore@eicindia.gov.in

निर्यात निरीक्षण अभिकरण-कोच्ची उप कार्यालयः कोल्लम

कोक्सिल बिल्डिंग की पहली मंजिल (बिल्डिंग सं.XLIII.948) चिन्नक्कडा, कोल्लम -690 001 केरल दूरभाषः 91-474-2749087 फैक्सः 91-474-2749087 ई-मेलः eia-quilon@eicindia.gov.in

निर्यात निरीक्षण अभिकरण – कोच्ची उप कार्यालयः मैंगलोर

स्कूल बुक बिल्डिंग तीसरी मंजिल, टेम्बिल स्क्वायर, कार स्ट्रीट, मैंगलोर, पिनः 575001, कर्नाटक दूरभाष: 91-824-2496813 फैक्स: 91-824-2496 813 ई-मेलः eia-mangalore@eicindia.gov.in

निर्यात निरीक्षण अभिकरण – दिल्ली

निर्यात निरीक्षण अभिकरण – दिल्ली (मुख्यालय), ठक्कर बापा स्मारक सदन, दूसरी मंजिल, डॉ. अम्बेडकर मार्ग, (लिंक रोड) (झंडेवाला मेट्रो स्टेशन के पीछे), पिनः 110055, दिल्ली दूरभाषः 91-11-23626320,21,22,23,24,25,26,27 फैक्स: 91-11-23626328 ई—मेलः eia-delhi@eicindia.gov.in

उप—कार्यालय:

निरीक्षण अभिकरण-दिल्ली निर्यात उप कार्यालयः इंदौर

303, कैप्टन सी.एस. नायडू आर्केड 10 / 2, ओल्ड पलासिया, इंदौर, पिनः 452 001, मध्य प्रदेश दुरभाषः 91-731-2566057 ई-मेलः eia-indore@eicindia.gov.in

निरीक्षण अभिकरण-दिल्ली निर्यात उप कार्यालयः जयपुर

201-202, तिरुपति ट्रेड सेंटर, 4, संसार चंद्र रोड, जयपुर, जयपुर, पिनः 302 001, राजस्थान दूरभाषः ९१–१४1–2366 ९७७ फैक्सः ९१–१४१ – २३६६ ९७७ ई-मेलः eia-jaipur@eicindia.gov.in

निर्यात निरीक्षण अभिकरण-दिल्ली उप कार्यालयः जालधर

320, डब्ल्यू.जी.टी. रोड, बस्ती अड्डा जालंधर, पिनः 144 001, पंजाब

दूरभाषः 91—181—2403424 फैक्सः 91—181—2403 424 ई-मेलः eia-jalandhar@eicindia.gov.in

निरीक्षण निर्यात अभिकरण-दिल्ली उप कार्यालयः कानपुर

एमडी प्लाजा, 38 / 105, मेस्टन रोड (दूसरी मंजिल), बड़ा चुवराह के पास, कानपुर, पिनः 208 001, उत्तर प्रदेश दूरभाषः 91–5122369 927 फैक्सः 91–512–2369 927 ई-मेलः eia-kanpur@eicindia.gov.in

निर्यात निरीक्षण अभिकरण-दिल्ली उप कार्यालयः लुधियाना

पहली मंजिल, एससीओ 17 (एनआरआई पुलिस स्टेशन के पास) सेक्टर 39, चंडीगढ़ रोड, लुधियाना, पंजाब पिनः 141010, दूरभाषः 0161 — 2410 083 फैक्सः 0161-2410 083

76 भारतीय की निर्यात वृद्धि में भागीदार

ई-मेलः eia-ludhiana@eicindia.gov.in

निर्यात निरीक्षण अभिकरण – चेन्नई

निर्यात निरीक्षण अभिकरण – चेन्नई (मुख्यालय) छठा तल, सीएमडीए टावर 2, नंबर: 1 गांधी इरविन रोड, एग्मोर, चेन्नई, पिनः 600008, तमिलनाडु दूरभाष: 91-44-28552841 / 42 फैक्स: 91-44-28552840 ई-मेलः eia-chennai@eicindia.gov.in

राप—कार्यालय:

निरीक्षण अभिकरण-चेन्नई निर्यात उप कार्यालयः भीमावरम

द्वार सं. 7–150, दूसरी मंजिल वेंकटराजू नगर चिन्नामीराम ज्वालापलेम रोड, पश्चिम गोदावरी जिला, भीमावरम, पिनः 534204. आध्र प्रदेश

दुरभाषः 91-8816-229075 फैक्सः 91-8816-229075 ई-मेलः eia-bheemavaram@eicindia.gov.in

अभिकरण-चेन्नर्ड निरीक्षण नियात उप कार्यालयः कोयंबत्तर

प्रथम तल, नोर्थ विंग, जवान भवन, नं. 27, ट्रैवलर्स बंगला रोड, कोयंबटूर, पिनः 641018, तमिलनाडू दूरभाषः 91-422-2393365 फैक्सः 91-422-2233365 ई—मेलः eia-coimbatore@eicindia.gov.in

अभिकरण-चेन्नई निर्यात निरीक्षण कार्यालयः हैदराबाद

नंबर 903, 9वीं मंजिल, राघव रत्न टावर्स, चिराग, अली लेन, हैदराबाद, पिनः 500018, आंध्र प्रदेश दूरभाषः 91-40-23712224 फैक्सः 91-40-23202224 ई-मेलः eia-hyderabad@eicindia.gov.in

अभिकरण-चेन्नई निर्यात निरीक्षण कार्यालयः नागरकोइल

75-ए, कोर्ट रोड, शंकर बिल्डिंग, नागरकोइल, पिनः 629001, तमिलनाडु

दूरभाष: 91-465-232704 फैक्स: 91-4652-2327 04 ई-मेलः eia-nagercoil@eicindia.gov.in

निरीक्षण अभिकरण-चेन्नई निर्यात उप कार्यालयः तृत्तिकोरिन

नंबर 271, आईश्वर्या टावर्स, शिवंतकुलम रोड, तूत्तिकोरिन, पिनः 628003, तमिलनाडू

दुरभाषः 91-461-232061 फैक्सः 91-461 -2339182 ई-मेलः eia-tuticorin@eicindia.gov.in

निर्यात निरीक्षण अभिकरण-चेन्नई उप कार्यालयः विशाखपट्टनम

डोर.सं. 43-18-10/4, टी.एस.एन. कॉलोनी, तीसरी मंजिल, हीरो होंडा शो रूम, विशाखापत्तनम, पिनः 530016, आंध्र प्रदेश

दूरभाष: 91-891-2747141 फैक्स: 91-891 - 2747141 ई-मेलः eia-vizag@eicindia.gov.in

निरीक्षण अभिकरण-चेन्नर्ड निर्यात उप कार्यालयः नेल्लोर

तीसरी मंजिल, साउथ विंग, जी के इंपीरियल टावर्स, दरवाजा नंबर 23, प्लॉट नंबर 468, किंग्स कोर्ट, मगुंटा लेआउट, नेल्लोर, पिनः 524003, आंध्र प्रदेश दूरभाषः 91-861-359900 / 91-861-2354400 ई-मेलः eia-nellore@eicindia.gov.in



2021 - 2022

ANNUAL REPORT EXPORT INSPECTION COUNCIL

(Including Export Inspection Agencies)
Delhi/ Mumbai/Kolkata/Chennai/Kochi
(ENGLISH)

INDEX

Details		Page Number
From Dire	ector's Desk	
Chapter 1	Overview	7-13
Chapter 2	A Glance of activities and achievements	15-22
Chapter 3	Inspection and Certification Services	23-26
Chapter 4	Certificate of Origin	27-32
Chapter 5	Other Major Activities	33-50
Chapter 6	Progressive use of Hindi - The Official Language	51
Chapter 7	Computerization and Modernization	53
Chapter 8	Strengthening Manpower	45-70
Chapter 9	Network of Export Inspection Agencies	71-75

From Director's Desk

It gives me an immense pleasure to put across the Annual Report of the Export Inspection Council (EIC) for the year 2021-22 and to reinstate the EIC's commitment towards the export of safe food products from India across the globe. The world, is gradually coming in terms with the overall loss it has faced during the corona virus disease (COVID-19) pandemic. The disease presented an exceptional challenge to public health and food systems across the world.



The economic and social disruption caused by the pandemic has been devastating. Millions of enterprises had to face an existential threat and

disruption in the livelihood of the large portion of world's global population. The pandemic has affected the entire food system. Border closures, trade restrictions and confinement measures prevented farmers from accessing markets, including for buying inputs and selling their produce, and agricultural workers from harvesting crops, thus disrupting domestic and international food supply chains and reducing access to healthy, safe and diverse diets.

During these tougher times of the pandemic, EIC once again demonstrated it's capacity to ascertain the export of the quality product from India in an unhampered manner thereby establishing its credibility not only among the India's export fraternity but across the globe, as one of the best trade facilitators and service providers. In line with Hon'ble Prime Minister's idea of "Turning Crisis Into Opportunity", many reforms were undertaken by EIC/EIAs during COVID-19 pandemic to ensure the smooth exports for the India. Exporters were encouraged to submit their request for certificate online. Scanned copies of issued certificate were provided to exporters through e-mails to allow them to stay at home and avail uninterrupted services. In absence of international courier services, the EIC requested importing countries to accept the soft copy of health certificates and not to insist on hard copies. The Certificates of Origin were issued online to facilitate clearance of consignments online. The EIC/EIAs engaged stakeholders through webinars and virtual meetings to facilitate export trade. This could only be possible due to the 'Nation Comes First' approach of the EIC and its employees.

The year 2021–22, also saw the restrictions in domestic and international travels owing to the pandemic. However, this could not dissuade EIC from capacity building and upgrading the skills of the employees. A variety of training programmes and Outreach programmes were conducted on Virtual Platform, following the COVID appropriate behaviour. These trainings and outreach programmes, have helped EIC to be atpar in context to the worldwide advancements in food and food technology.

It also gives me an immense pleasure to inform that in 2021–22, India achieved it's highest ever merchandise export of \$400 billion, whereas India's exports of agricultural products, including marine and plantation products, for 2021–22, hit a record at \$50 billion. The Indian export fraternity, farmers and manufacturers have played a key role in helping India to achieve this milestone in India's Aatmanirbhar journey.

The EIC along with EIAs, field organisations, continues to deliver world class services to all the concerned stakeholders across India not only by certifying the quality of export commodities but also by inculcating the ownership values among the exporters through Outreach training programs and quality awareness initiatives. For the very same reason it is quite clear that the EIC's certification for export is being recognized by many trading partners including European Union, USA, Custom Union, China, South Africa, Saudi Arabia, Bhutan, Turkey, Korea, Japan, Srilanka, etc.

As we enter into 2022–23, I would like to take the opportunity to put on record the efforts placed by one and all in providing EIC, a global paradigm recognition as most preferred and dependable partner for delivering quality and safe product. I would also like to convey my gratitude to the EIC family, trading partners, national/international stakeholders, members from export fraternity and others, for lending their support in these testing times of the global pandemic. We look forward for greater cooperation from all and more robust efforts to overcome any challenges in export trade.

Best wishes to all of you!! Stay Healthy and Safe!!

Jai Hind

Diwakar Nath MisraJoint Secretary & Director, EIC

Chapter

The Export Inspection Council (EIC) was established by Government of India under Section 3 of the Export (Quality Control and Inspection) Act, 1963 to ensure sound development of export trade of India through quality control and with inspection and for matters connected there with. The EIC is an advisory body to the Central Government for notification of commodities which will be subjected to quality control and/ or inspection prior to export, establish standards of quality for such notified commodities, and also to specify the type of quality control and/or inspection to be applied to such commodities.

The EIC is the official export certification body of India as well as Competent Authority for the notified commodities. The major role of EIC is to ensure the Quality and Safety of products exported to meet the requirements of the importing countries. This assurance is provided through Consignment-Wise Inspection (CWI) system and/or Food Safety Management System based Certification (FSMSC) through its field agencies. The Exports Inspection Agencies (EIAs) established under Section 7 of the Act are located at Mumbai, Kolkata, Kochi, Chennai and Delhi with a network of 24 sub-offices having by state - of - the art laboratories which are accredited by National Accreditation Board for Testing and Calibration Laboratories (NABL) as per ISO 17025, all over India.

The EIC provides mandatory certification for various food products, namely, Fish & Fishery products, Milk and Milk Products, Honey, Egg & Egg Products, Frozen/Chilled Meat and Meat Products,

Fresh Poultry and Poultry Meat Products, Animal Casings, Crushed Bones, Ossein and Gelatin, Feed additives and Pre-mixture, Peanut & Peanut products (EU & Malaysia) and Basmati Rice (EU). The other food items that are not notified under the Act, are also being certified on voluntary basis. Exports certification is carried out through the EIAs and is based on a system approach including GHP/GMP/HACCP as well as specific requirements of the importing countries. With more than fifty years of experience in the field of inspection, testing and certification of food products as per importing country requirements, the EIC has been recognised globally.

In this era of changing dynamics of food safety regulations and certification, the EIC has transformed its role and functions to build up the confidence among the trading partners across the globe. The EIC has been instrumental in involving the stakeholders including exporter fraternity to meet the changing requirements of the importing countries with rising food safety concerns and technological upgradation.

The global trade of food is increasing significantly with the increasing international consumers and growing demands following the World Trade Organization (WTO) Agreements. There is a need to create awareness about the Sanitary and Phytosanitary (SPS) challenges and develop mechanisms to overcome these challenges posed by non-tariff measures in global food trade. The EIC has been playing a pivotal role in exploiting all possible opportunities for equivalence and

recognition. The delegations from importing countries evaluate the official control and risk management mechanism.

The EIC always actively involved in standard setting process at national and international levels and provide feedback to ensure the interest of exporters are well protected. The EIC has adopted Quality Management System and is ISO 9001:2015 certified to ensure realization of its objectives.

CITIZEN'S CHARTER

Vision

To facilitate worldwide access for Indian exports through a credible and efficient inspection and certification system and earn global recognition as India's premier organization for certifying quality and safety to meet international norms;

Mission

- To create an export inspection & certification infrastructure within the country, based on International Standards for Certification with **WTO** Authority in consonance requirements;
- To instil confidence in importers as well as regulatory authorities of India's trading partners about quality and safety of Indian products;
- To provide state-of-art testing facilities;
- To obtain recognition for EIC's Export Certification System from India's trading partners through Equivalence Agreements; to participate in international forum and protect Indian interest:

To enhance capability of manpower through training to meet international requirements and keep abreast with latest technological advancements.


Values

We are committed to act with integrity, judiciousness, transparency, accountability, courtesy and understanding in our dealings with the public.

Strength

- Experience of more than five decades in quality control, pre-shipment inspection and monitoring of commodities exported to all parts of the globe;
- Competent, skilled, qualified and trained manpower to perform inspection, testing and certification duties;
- State-of-Art NABL accredited laboratories as per ISO 17025 spread over EIC network for testing and quality assurance of notified commodities in compliance to International standards;
- A strong network of Export Inspection Agencies (EIAs), with jurisdiction all over India, strategically located at all major ports, important industrial and production centres;
- An organization backed by statutory powers under the Export (Quality Control & Inspection) Act, 1963 without any conflict of interest and official export certification body of India with global recognition through MOUs, Equivalence agreements etc.

ORGANIZATION CHART



Note:

- Sub-Offices indicated with Blue have laboratory facility and Grey without lab facility.
- Desk offices of EIAs are at the Union Territories of Andaman & Nicobar and Lakshadweep islands.

The Major Activities Of The EIC:

- Approval of processing establishments based on Food Safety Management System to ensure safety and quality of commodities meant for export as per importing countries standards;
- Pre-shipment inspection and certification based on Consignment Wise Inspection (CWI) to assure quality of export commodities as per laid down specification;
- Issuance of Preferential Certificate of Origin for export products under various preferential tariff schemes;
- Issuance of different types of certificates, namely, Health Certificate, Authenticity Certificate, Non- GMO Certificate, etc. under

various export certification schemes;

- Recognition of Inspection Agencies Laboratories;
- Residue Monitoring Plans as per importing countries requirements;
- Collaboration with FSSAI for laboratory testing services and testing of samples drawn from import consignments of food products;
- Training and capacity building of industry and other stake holders in areas of Quality and Food Safety Management System;
- Monitoring TBT Notification by WTO member countries and their impact on India's Trade.

Council Members

As per the notification S.O. 3379 (E) - dated 29.9.2020, the Central Government reconstituted, the Export Inspection Council, as mentioned below:

SI. No.	Name	Designation
(1)	(2)	
1	Shri S. Kishore, IAS (WB: 1989), Additional Secretary, Department of Commerce, Ministry of Commerce and Industry, New Delhi.	Chairman
2	Director of Inspection and Quality Control, Export Inspection Council, New Delhi	Member Secretary
3	Director General, Bureau of Indian Standards, New Delhi	Member-Ex-officio
4	Agriculture Marketing Adviser to the Government of India, New Delhi	Member-Ex-officio
5	Director General of Commercial Intelligence and Statistics, Kolkata	Member-Ex-officio
	Other members	
6	Director (Export Inspection), Department of Commerce, Ministry of Commerce and Industry, Government of India, New Delhi	Member
7	Joint Secretary, Department of Fisheries, Ministry of Fisheries, Animal Husbandry & Dairying, Government of India, New Delhi	Member
8	Chairman, Agriculture and Processed Food Products Export Development Authority, New Delhi	Member
9	Chairman, Marine Product Export Development Authority, Kochi	Member
10	Chairman, Spices Board, Kochi	Member
11	Joint Secretary, Ministry of Food Processing dealing with meat and meat products	Member
12	Joint Secretary, Plant Protection, Department of Agriculture, Co- operation & Farmer's Welfare, Ministry of Agriculture & Farmers Welfare, Government of India	Member
13	Chief Executive Officer, National Accreditation Board for Testing and Calibration Laboratories, NABL House, Plot 45, Gurugram, Haryana	Member
14	Advisor (Standards), Food Safety and Standards Authority of India, FDA Bhawan, Kotla Road near Bal Bhawan New Delhi - 110002 India.	Member
15	Director, National Dairy Research Institute, Karnal	Member
16	President, All India Rice Exporters Association, New Delhi	Member
17	Vice Chancellor, National Institute of Food Technology Entrepreneurship and Management, Plot 97, Sector 56, Kundli, Sonipat, Haryana	
18	Nominee Member from M/s Mineral Lab Services Pvt Ltd., 4th Floor, Karma Paes Avenue, F.L.Gomes Road, Vasco da Gama - Goa 403802	
19	Nominee member from M/s Mitra SK Pvt. Ltd., Holding no. 22/107, Ward No. 9, P.O. Khanjan-chak, 1st Floor , Beside India Hotel, Haldia - Dist. PurbaMedinipur, West Bengal-721602	Member
20	Nominee member from M/s Therapeutics Chemical Research Corporation, D.No. 25-12-39, 2nd Floor , Gidevari Street,Opp SBI Town Branch, Visakhapatnam 530001	Member

List Of Notified Commodities

The Export (Quality Control & Inspection) Act, 1963 empowers the Central Government, on the advice of the Council, to notify commodities along with their standards for export, based on the requirements to safeguard trade from India. The various commodities notified under the Act are placed in Table (a) below:

Table (a): Commodities notified under the Export (Quality Control & Inspection) Act, 1963

Notified Commodities	Gazette Order(s) / Notification(s)/ Order (s)	
Animal Casings	Order S.O.2947 dated 03.11.1997 and Notification S. O. 2948 dated 03.11.1997 subsequent amendment(s) vide Notification S.O.1315 (E) dated 08.6.2012. Notification S.O. 6332(E) dated 28.11.2018.	
Basmati Rice	Order S.O. 67 (E) dated 23.01.2003 and Notification S.O. 68(E) dated 23.01.2003 and subsequent amendment(s) vide Notification S.O. 1139 dated 15.5.2004 Notification S.O. 716 dated 05.3.2005 and Notification S.O. 791 (E) dated 24.5.2006 S.O. 136 (E) dated 13.01.2016. Notification S.O. 6337(E) dated 28.11.2018.	
Black Pepper	Order S.O. 245 dated 07.3.1988 and Notification S.O. 1311 dated 22.4.1991. Notification S.O. 6333(E) dated 28.11.2018.	
Crushed Bone, Ossein & Gelatine	Order S.O. 725 (E) dated 03.4.2012 & Notification S.O. 726 (E) dated 03.4. 2012.	
Egg & Egg Products	Order and Notification S.O. 4368(E) and S.O 4369(E) both dated 15.09.2021.	
Feed additives & Pre mixture	Order S.O 3523(E) and Notification S.O. 3524 both dated 28.11.2013. Notification S.O. 6339(E) dated 28.11.2018.	
Fish & Fishery Products	Order 729 (E) dated 21.8.1995 subsequent amendment(s) vide Order S.O. 792 (E) dated 17.8.2001, Order S.O. 722 (E) dated 10.7.2002, Order S.O. 464 (E) dated 24.4.2003, Order S.O. 1227 (E) dated 23.10.2003 and Order S.O. 1227 (E) dated 31.7.2006 and Principle Notification S.O. 730 (E) dated 21.8.1995 and subsequent amendment(s) vide Notification S.O. 415 (E) dated 11.4.2002, Notification S.O.1029(E) dated 24.9.2002, Notification S.O.1034 (E) dated 9.9.2003, and Notification S.O.717 dated 25.02.2005, Notification S.O. 612 dated 15.02.2007, Notification S.O.1519 (E) dated 16.6.2008, Notification S.O.2714(E) dated 28.10,2009, Notification S.O. 143 (E) dated 21.01.2011 and Notification S.O. 497 (E) dated 10.3.2011. Notification S.O. 6341(E) dated 28.11.2018.	
Fresh Poultry Meat and Poultry Meat Products	Order S.O. 1377(E) dated 30.12.2002 and Notification S.O. 1378(E) dated 30.12.2002 and subsequent amendment(s) vide Notification S.O. 719 dated 25.02.2005 and Notification S.O. 1517 dated 16.6.2008.	
Fruit & Vegetable Products	Order S.O. 3352(E) and S.O 3353(E) both dated 28.10.2016. Notification S.O. 6338(E) dated 28.11.2018.	
Honey	Order No. S.O. 276 (E) dated 04.03.2002 and Notification S.O. 277 (E) dated 04.03.2002 and subsequent amendment(s) vide Notification S.O. 1444 dated 19.12.2003, Notification S.O. 1245 dated 14.05.2004 and Notification S.O. 1581 dated 16.06.2008. Notification S.O. 6336(E) dated 28.11.2018.	
Milk and Milk Products	Order S.O 4031(E) and Notification S.O 4032(E) both dated 09th November, 2020.	
Peanut & Peanut Products	DoC letter dated 16 May 2013.	

Raw Meat (Chilled / frozen)	Order S.O. 203 dated 15.01.1993 and Notification S.O. 204 dated 15.01.1993 and subsequent amendment(s) vide Notification S.O.205 dated 25.01.1993, Notification S.O.1989 dated 03.9.1993 and S.O 2221 dated 04.10.1993. Notification S.O. 6335(E) dated 28.11.2018.
Non-Basmati Rice	DGFT Notification No.29/2015-2020 dated 04.11.2019.

Agreements/Recognitions Of EIC **Certification With Various Countries**

The EIC, since its establishment is playing a crucial role in promoting trade through its quality control & inspection activities by ensuring compliance with the requirements of importing countries. The quality assurance activities of EIC help to facilitate world wide access for Indian exports and instil confidence in importers as well as importing countries authorities about quality and safety of Indian products. In line with the national and international needs, EIC continues to strive to have Memorandum of Understandings (MoUs)/ Mutual Recognition Agreements (MRAs)/ Equivalence Agreements/ Recognitions/ Cooperation Arrangements with the major trading partners. These arrangements facilitate acknowledgement of EIC's Certification System by regulatory authorities of importing countries and avoid multiple border inspections.

The details of the existing Equivalence Agreements/ Recognitions/Cooperation with major trading partners is listed

Table (b): Equivalence Agreements / Recognition/ Cooperation Arrangements

Country	Country Products Covered	
,		Recognition
USA(USFDA)	Black Pepper	1988
	Confidentiality Commitment.	2016
European	Fish & Fishery Products, Basmati Rice, Animal Casing, Honey,	1997 onwards
Commission	Crushed bones, Ossein & Gelatin, Egg & Egg products, peanut and	
	peanut products, feed additive and pre-mixture, Spices (capsicum	
	& curry leaves in all forms)	
Korea	Frozen marine products, processed spice goods, processed nuts,	2004
	tea, honey, jam, preserved goods, sauce, sugar syrup, edible oil and	
	fats	
Turkey	Food products, food packaging materials and stainless steel	2004
	utensils	
Sri Lanka	85 products under the Import Inspection Scheme of Sri Lanka	2005
	namely milk products, edible oils, packaged water, preserved food,	
	toiletries, bicycle tyres & tubes, steel section & wires, electric goods	
	& PVC cables & cords etc.	
Singapore	Food & agriculture (Egg & Eggproducts, dairy products, drinking	2005
	water), Electric & electronic products, Telecommunication	
	equipment and Drugs & Pharmaceuticals	
Japan	Poultry & marine products	2005

Russian Federation	n Fish & Fishery Products 2009	
Custom Union	Dairy Products	2016
Saudi Arabia	Fish & Fishery Products	2009
China	Fish & Fishery products	2012
Feed and feed ingredients		2013
	Rapeseed meal	2015
Fish Meal and Fish Oil		2018
	Chili spent	2019
Bhutan Food And Agricultural Products		2013
Netherlands General Food Safety 2019		2019

The EIC has transformed its resources and service quality with specific aim to fulfil the initiatives taken by Government of India on ease of doing business and digital India with core objective to provide increased opportunity for export of food commodities vis-a-vis International needs. The EIC is actively collaborating with other stakeholders, like, promotional boards, exporters, importing

authorities, industry countries associations, chambers of commerce in building infrastructure, skill upgradation, technical competence and analytical capability. The EIC is proactively involved in developing its own competence to meet any future challenges related to SPS measures imposed by different countries.

A GLANCE OF ACTIVITIES AND ACHIEVEMENTS

The Export Inspection Council (EIC), an advisory body to the Government of India, has successfully provided more than five decades of service to the nation. The major achievements are shared effort of strong leadership, committed and motivated employees and support of all relevant stakeholders.

2.1 INTERNATIONAL COOPERATION

a. Export of Composite products from India to EU:

The EIC has taken up the matter of export of composite products containing dairy and poultry meat with EU and finally EC has informed regarding decision of commission implementing decision (EU) 2021/880 dated 17.05.2021, amending the decision 2011/163/EU on the approval of plans submitted by 3rd countries in accordance with article 29 of Council Directive 93/23/EC. As the EIC has provided guarantees to use only dairy products, originating either from Member States or from third countries, which are approved to export such products to the Union, to be included in composite products to be exported to the EU. Accordingly, India is updated for Dairy Products and Poultry products under Annex with a foot note "Third countries using only raw material either from Member States or from other third countries approved for imports of such raw material to the Union, in accordance with Article 2, with the purpose to be used only for the preparation of composite products to be exported to the EU.

2.2 CAPACITY BUILDING

Human resources is one of the biggest strength for EIC. There are well planned periodic capacity building initiatives to develop the skills and knowledge of all concerned stakeholders. The EIC / EIA officers are deputed for trainings/ workshops and seminars at national and international level. Refresher programs are conducted by EIC/ EIAs under various schemes to familiarise the officers and staff about on-going developments. In addition, EIC/ EIA officers are deputed as resource persons in various programs coordinated by other stakeholders.

In order to achieve compliance with the requirements of international authorities, EIC take several initiatives from time to time to ensure that its stakeholders and exporter fraternity is well acquainted about the regulatory needs. Various outreach programmes have been conducted across India.

a. EIC organized joint Workshops with British Standard Institution

The EIC in collaboration with British Standards Institution (BSI), conducted Two (02) training programs on "Capacity Building on Inspection Skills for Animal Origin & Plant Origin Products" under project on Ease of Doing Business on 21.03.2022 and 28.03.2022 for the officials of EIC and EIAs. UK-India "Ease of Doing Business Programme (EoDB)" is supported by the UK's Prosperity Fund, managed by the UK's Foreign, Commonwealth and Development Office (FCDO). The training session was attended by more than

100 participants. The objective of the program is to improve the trading environment at India's borders and achieve improvements within Indian central and state trade related regulatory bodies w.r.t drawing international best practices; and a more harmonized standards system drawing from UK frameworks. The programme aims to

strengthen reform practices within Indian central and state regulatory bodies so that regulatory delivery becomes more transparent uncomplicated for compliant businesses. Under this initiative, BSI in close cooperation with the EIC will be developing a **Guidance Document on Risk Based Inspection System and Capacity Building** on Inspection Skills.






The EIC-BSI Training on Capacity Building on Inspection Skills for Animal Origin & Plant Origin Products

b. The International Laboratory Training under FAO Biosafety Project

"International Laboratory Training under FAO Biosafety Project" in Sri Lanka on "Detection of Genetically Modified Organisms(GMO)/ Living Modified Organisms(LMO)" was jointly organized by the EIC, Food and Agriculture Organization, Ministry of Environment Government of Sri Lanka, Biotech Consortium India Limited(BCIL), GeF, during 04-08 October, 2021 through virtual mode. Officers from EIC and EIAs imparted the training to various stakeholders during the five day training program. Participants of the programme included representatives nominated by Government of Sri Lanka from the three laboratories viz., Agriculture Biotechnology Centre, University of Peradeniya; National Plant Quarantine Services (NPQS), Katunayake and Industrial Training Institute, Colombo and Sri Lankan accreditation Board. Various technical sessions were conducted by EIA officials emphasizing on the modern tools and techniques involved in detection of GMO/LMO in food commodities.



International Laboratory Training under FAO Biosafety Project

c. Celebration of VANIJYA UTSAV

The EIC celebrated VANIJYA UTSAV during 23rd-25th September, 2021, with the theme Vanijya Utsav: Azadi Ka Amrit Mahotsav, India @ 75!! The event was organized as a part of the Vanijya Saptah (the week from 20.09.2021 to 26.09.2021) observed by the Department of Commerce under Azadi Ka Amrit Mahotsav, to commemorate the occasion of 75 glorious years of India's Independence. During these three days, a series of webinars were

conducted by the EIC, for exporters on Pan India basis, showcasing India as a rising economic force. Five webinars conducted by the EIC, saw overwhelming participation from the exporters and stakeholders and in all attended by around 3,000 participants, during 23rd-25th September, 2021.





Screenshots of Webinars conducted during "Vanijya Utsav" celebrations during 23rd-25th September, 2021

d. Fit India Freedom Run 2.0 – Azadi Ka Amrit **Mahotsav**

Fitness runs were conducted by EIC and it's EIAs throughout the September, in line with the "Fit India" Freedom Run 2.0 - Azadi Ka Amrit Mahotsav." The Department of Sports under Ministry of Youth Affairs and Sports planned FIT INDIA FREEDOM

RUN 2.0 to commemorate the 75th Independence Day -"Azadi Ka Amrit Mahotsav." Nationwide campaigns were launched on the concept of "Physical/Virtual Run" in continuum from **13th August to 2nd October 2021** to encourage fitness and health. Through this campaign, citizens were given call to make a resolve to include physical activity of at least 30 minutes daily in their lives.





Fit India Freedom Run 2.0 - Azadi Ka Amrit Mahotsav.

e. Hon'ble PM's meeting with Heads of Indian Missions & stakeholders of trade & commerce sector.

Hon'ble PM Shri Narendra Modi Ji interacted with the Heads of Indian missions abroad and stakeholders of Trade & Commerce sector via video conferencing on 06.08.2021. Officials of EIC and all EIAs participated in the event. Hon'ble PM has also cited the test introduced for Honey exports (Nuclear Magnetic Resonance) in his address. Through this meeting Hon'ble PM gave a clarion call of '#LocalGoesGlobal - Make in India for the World', which will help realize the untapped potential of India in merchandise exports.



EIC's participation during Hon'ble PM's virtual interaction

2.3 CODEX ACTIVITIES:

The EIC, as a part of its endeavour to abreast itself about the global changes in food safety and quality requirements and to effectively address the issues concerning its mandate, has participated in the following Codex meetings/activities during the year 2021-22:

- 5th Session of Codex Committee on Spices and Culinary Herbs (CCSCH5), held virtually, 20-22, 26-27 and 29th April 2021.
- 14th Session of Codex Committee Contaminants in Foods (CCCF14), held virtually, during 3-7th May 2021 with report adoption on 13th May 2021.
- 25th Session of Codex Committee on Food Import and Export Inspection and Certification System (CCFICS25), held virtually, during 31st May - 04th June 2021 with report adoption on 8th June 2021.
- 25th session of Codex Committee on Residues of Veterinary Drugs in Foods (CCRVDF25), held virtually, during 12-16th July 2021 with report adoption on 20th July 2021.
- 52nd session of the Codex Committee on Pesticides Residues (CCPR52), held virtually, during 26-31st July 2021 with report adoption on 3rd August 2021.
- National Workshop on "Codex Activities and Standard Setting Process" organized by FSSAI on 31st August 2021 under Joint Bhutan-India-Nepal Project CTF2.
- 35th Session of Codex Committee on Fish and Fishery Products (CCFFP35), held virtually, during 20th September to 25th October 2021.

- 46th Session of Codex Committee on Food Labelling (CCFL46), held virtually, during 27th September - 01st October 2021 with report adoption on 7th October 2021.
- 8th Session of the Ad hoc Codex Intergovernmental Task Force on Antimicrobial Resistance(TFAMR08), held virtually, during 4-9th October 2021 with report adoption on 13thOctober 2021
- 44th Session of Codex Alimentarius Commission (CAC44), held virtually, during 8-13th November, 15th November 2021 with report adoption on 17-18th November 2021.
- 52nd session of Codex Committee Food Hygiene (CCFH52), held virtually, during 28th February to 4th March 2022 with report adoption on 9th March 2022.

In addition to the above, officers from EIC/EIAs participated in more than 20 electronic Working Groups (eWGs) and Codex Coordination Group (CCG) meetings pertaining to various Codex committees.

2.4 OTHER EVENTS AND ACTIVITIES

The year 2021-22 was an eventful year for EIC wherein numbers of National events were organized. All the events were celebrated in great spirit and full involvement of all employees. The events and activities were organized following the COVID appropriate behaviour. The EIC/EIAs observed several important activities during the year and brief details of these activities are given below:

Table (c): National Events 2021-22

	NATIONAL EVENTS OBSERVED 2021-22					
S.No.	Activity	Description of Activity	Photographs			
1	International Yoga day	The International Yoga Day was celebrated at EIC/EIAs on 21 June, 2021. Yoga sessions were organized wherein talks were delivered on the importance and benefits of Yoga for Health, Happiness and Harmony. All officers and staffs performed yoga during the session.	S RESULTS T			
2	Hindi Pakhwada	The "Hindi Diwas/Pakhwada" was observed from 14 to 28 September, 2021 across EIC and EIAs. External experts were invited for hindi workshops. Various hindi competitions like Vaad-Vivaad Pratiyogita, Hindi Tippani & Nibandh Pratiyogita were conducted.	In the state of th			
3	Vigilance Awareness Week	Vigilance Awareness Week was observed at EIC/EIAs during 26 October - 01 November, 2021.	Test finds finds of the state o			
4	Rastriya Ekta Diwas/ National Unity Day	A Pledge was taken at EIAs during the celebration of "Rastriya Ekta Diwas/National Unity Day", on 31 October, 2021.				

5	Swachhta Pakhwada	The Swachhta Week was observed in EIC/EIAs during 01-15 November 2021. Swachhta Pledge was taken by all employees. Cleaning activities were conducted in office premises and at the workstations. Hygiene audits were conducted. Cleaning awareness was provided to the processing establishments. Essay writing competitions were conducted at all EIAs followed by the closing meeting and prize distribution for the competition winners. During the week activities like, Swachhta pledge, display of banners, outreach leaflet for awareness, cleaning of the office premises, deliberation with stake-holders on Swachhata awareness, were organized.	Ref Alber shart - Set and Set United States
6	Communal Harmony Week and Flag day	Communal Harmony Week was observed across all EIAs during 19-25 November 2021.	
7	Celebration of Constitution Day 26th November 2020	Reading of Preamble to Constitution of India; Preamble Reading Certificates to officers of EIAs	

INSPECTION AND CERTIFICATION SERVICES

The EIC primarily follows two types of approaches for inspection and certification in respect of commodities under its mandate i.e. System based Inspection and Consignment-wise Inspection, which are elaborated below;-

a. Food Safety Management System based Certification (FSMSC).

The processing establishments conforming to Food Safety Management Systems based on HACCP/GMP/GHP are approved under Food Safety Management Systems based Certification. In addition, they also required to meet the primary production controls and finished requirements specified by the importing countries. Currently, such systems are being promoted and implemented in many food products. In the case of Fish & Fishery Products, Poultry Meat & Poultry Meat Products, Egg & Egg Products, Crushed Bone, Ossein and Gelatine, Government of India has made it mandatory that these products can be exported only from approved establishments covered under this system. In other food products, such as, black pepper, basmati rice, honey, etc. this system is also being adopted based on the requirements of the importing country.

In FSMSC based certification , the primary responsibility of the processors is to ensure that the products intended for exports are handled/processed, at all stages of production, stored and transported under proper hygienic conditions so as to meet the food safety requirements laid down under the rules and that the product conforms to the specification stated in the Order. To fulfil this responsibility, the establishments are required to plan and implement own system of checks and keep necessary records. The EIAs are required to verify compliance by the processing establishments as per the notification requirements.

b. Consignment Wise Inspection (CWI) System:

Under the Consignment Wise Inspection System, export consignment is inspected and tested by the EIAs. Samples are drawn as per statistical sampling plans, and tested to verify the conformity of products to the prescribed standards. This type of inspection is also offered for some notified commodities, e.g. Basmati Rice, Milk and Milk Products, Honey, Feed additives & Pre-mixtures, Egg & Egg products, Fruit & Vegetable Products. The CWI is also offered under Voluntary Certification Scheme.

Table (d): The number of establishments approved by EIC/EIAs as on 31st March 2022

Number of Establishments Approved								
Under FSMSC	EIA CHENNAI	EIA DELHI	EIA KOCHI	EIA KOLKATA	EIA MUMBAI	TOTAL		
Milk and Milk Products	28	73	7	1	45	154		
Honey	0	19	0	1	0	20		
Egg & Egg Products	3	2	2	0	1	8		
Fresh Poultry Meat & Poultry Meat Products	7	1	4	1	3	16		
Fish & Fishery Products	257	О	266	107	242	872		
Black Pepper	0	1	12	0	4	17		
Animal Casings	0	1	0	0	2	3		
Feed Additives & Pre Mixtures	4	6	2	1	3	16		
Basmati Rice	0	41	0	0	1	42		
Fruit & Vegetable Products	20	6	1	1	33	61		
Rape Seed Meal	0	3	0	0	0	3		
Voluntary Scheme	21	11	13	0	50	95		
Total	340	164	307	112	384	1,307		

Table (e): Export Certification

Details of Export Certification Under Different Schemes During 2021-22							
	EIA CHENNAI	EIA DELHI	EIA KOCHI	EIA KOLKATA	EIA MUMBAI		
Health Certificate under Food Safety Management System (FSMS)	26,136	2,277	12,369	12,091	26,973		
Health Certificate under Consignment Wise Inspection(CWI) System	2,209	1,586	487	245	18,111		
Non-GMO Certificates	298	2,952	11	0	4,170		
Health Certificate under Food Safety Management System (VCS)	778	3,894	1,794	242	30		
Certificates issued under Turkey Scheme	112	265	77	0	402		
Authenticity Certificates	0	493	0	0	0		

3.1 Certification Scheme For Fish And Fishery **Products**

Under the Export of Fresh, Frozen and Processed Fish and Fishery Products (Quality Control, Inspection and Monitoring) Rules, 1995, vide Gazette Notification No. 730 (E) dated 21 August 1995, as amended from time to time, compulsory preshipment certification of Fish and Fishery Products is being carried out. There are 872 approved fish and fishery products processing establishments approved during 2021-22 for export.

3.2 Certification Scheme For Fruit & Vegetable **Products**

Order S.O. No. 3352 (E) and Notification No. S.O. 3353 (E) both dated 28.10.2016 related to export of fruit & vegetables products have been published in Gazette of India on 31.10.2016. The new order has superseded the Principal Order S.O.1420 dated 13.05.1978 and Export of Fruit and Vegetable Products (Quality Control and Inspection) Rules 2016 have been notified by notification S.O.3353 (E) in supersession of the Export of Fruit Products (Quality Control and Inspection) Rules 1978. The above order notifies that fruit and vegetable products shall be subject to quality control or inspection or both prior to export in cases where importing countries requires such export certification.

3.3 Certification Scheme For Issuance Of Health Certificate For Peanut & Peanut **Products**

The EIC has been entrusted with the responsibility of issuing health certificates for peanut and peanut products meant for export to EU and Malaysia in 2013.

3.4 Certification Scheme For Egg & Egg **Product**

The EIC is implementing the scheme for export of Egg & Egg products in terms of Order and Notification S.O. 4368(E) and S.O 4369(E) both dated 15.09.2021. The establishments are approved

and monitored by EIAs .The scheme also has the provision of CWI. The major destination for the export of Egg & Egg products are EU, Australia, Japan, Custom Union etc. The EIC has also taken up the initiatives to explore market access/ resolve operational issues for export to several other countries, like, Indonesia, Malaysia, Australia, South Africa, etc. As on 31.03.2022, a total of eight establishments have been approved for Egg & Egg products.

3.5 Certification Scheme For Fresh Poultry **Meat And Poultry Meat Products**

The export of fresh poultry meat and poultry meat products was brought under purview of The Export (Quality Control and Inspection) Act, 1963 vide GOI Order and Notification S.O. 1377(E) and S.O 1378(E) both dated 30.12.2002, and further as amended from time to time. As on 31.03.2022, a total of 16 units have been approved under EIAs.

3.6 Certification Scheme For Milk and Milk **Products**

The EIC is the Competent Authority to exercise official control for export of Milk and Milk Products. This scheme was notified vide Order S.O 4031(E) and Notification S.O 4032(E) both dated 09th November, 2020. The major products exported from India includes milk powders, casein & its derivatives, cheese, butter, canned sweets, frozen paneer, ahee etc.

3.7 Certification Scheme For Basmati Rice

The amendment to Principal order S.O. 67 (E) dated 23 January, 2003 of basmati rice was published vide S.O. 136(E) dated 13 January, 2016. Total 42 numbers of Basmati Rice Units are approved as on 2021-22, with 41 under the official control of EIA Delhi and one under EIA Mumbai.

3.8 Certification Scheme For Honey

The EIC is operating a scheme for export certification of honey. This scheme was notified vide Order No. S.O. 276 (E) dated 04.03. 2002 and Notification S.O. 277 (E) dated 04 March, 2002 and subsequent amendments from time to time. There are 20 honey processing units approved by EIC under FSMSC. Currently, the export of honey from India is going on smoothly to USA, European Union and other non EU destinations.

3.9 Certification Scheme For Raw Meat (Chilled/Frozen)

Export of Raw meat (chilled/ frozen) is notified vide Order / Notification No. S.O. 203 & S.O. 204 dated 15 January, 1993 and EIAs were notified as one of the agencies to issue health certificate for export purpose. The Export of Raw Meat (Chilled/ Frozen) (Quality Control and Inspection) Rules, 1992, have been amended for quality control and certification procedure under food safety management system based certification, which was published vide Notification S.O.3023 (E) and S.O.3024 (E) both dated 28th December, 2012. EIC has been extending technical support to stakeholders by participating in the assessment team.

3.10 Certification Scheme For Feed Additives **And Premixtures For Export**

EIC is the Competent Authority to exercise official control for export of feed additives & pre mixtures. The major products exported include mineral and vitamin supplements, binders, zoo technical additives etc. which are primarily exported to EU countries. The export of Feed Additives and Premixtures is brought under the purview of export (Quality Control and Inspection) Act, 1963 vide order No. S.O. 3523 (E) and notification Vide no. S.O. 3524 (E) dated 28 November, 2013 as amended from time to time.

3.11 Certification Scheme For Crushed Bones, Ossein & Gelatine For Export

For maintaining the highest quality of export of Crushed Bones, Ossein and Gelatine, from India, the commodity was notified vide Orderand Notification both dated 3 April 2012 called The Export of Crushed Bones, Osse in and Gelatine (Quality Control, Inspection and Monitoring) Rules, 2012. As per the Notification, EIC is recognised as the Central Competent Authority

3.12 Certification Scheme For Animal Casings **For Export**

The EIC is designated as the Competent Authority for export of Animal Casings vide Notification S.O.1315 (E) dated 8th June 2012. The major export of animal casings takes place to EU countries. Three establishments were approved for export purpose. The exporters can apply online for obtaining health certificates.

3.13 Issuance Of Health Certificate For **Export Of Food Products Under Voluntary Certification Scheme**

Regulatory authorities/buyers of several importing countries insist for health certificate/ certificate of export worthiness for export of certain food, feed and food contact materials which are not notified under EIC's Act. Considering this requirement of importing regulatory authorities and to facilitate the exports from India, health certificates are issued by EIAs as per the requirement of importing countries. The salient features of the scheme include issuance of Health Certificate for consignments which conforms to the requirements of the regulatory authorities' of importing countries / buyers' requirements/relevant National standards as applicable. The scheme authorizes exporter himself to draw the sample and get it tested which reduces the lead time for export.

CERTIFICATE OF ORIGIN

The introduction of the Registered Exporter system (the REX system) in 2017-18, saw the smooth implementation of the REX registration system, at all EIAs and sub offices in 2021-22. The REX is based on the principle of self-certification by economic operators who will make *statements* on origin. The REX system was introduced in the GSP rules of origin by the amending Regulation (EU) No 1063/2010 dated 18.11.2010 in the context of the reform of the GSP rules of origin in 2010. While the other elements of the reform have taken their effect from 1 January 2011, the application of the REX system was deferred to 1 January

2017, to give enough time to the GSP beneficiary countries to be ready. Export Inspection Council is one of the Competent Authority among the 16 other organizations designated by Department of Commerce to register the exporters in REX system. Trainings and awareness programmes were organised during the year for the exporters or economic operators all over India. Further, the EIAs issued total **4,51,590** Preferential/Non-Preferential Certificates of Origin under various FTAs as per laid down procedures and guidelines, as detailed in table below.

Table (f): Certificates of Origin issued during the year 2021-22

	Certificates of Origin Issued During The Year 2021-22								
s.no.	SCHEME	EIA CHENNAI	EIA DELHI	EIA KOCHI	EIA KOLKATA	EIA MUMBAI	TOTAL		
1	GSP	16,816	40,334	18,040	5,061	41,074	1,21,325		
2	GSTP	1,423	1,515	635	106	4,654	8,333		
3	SAPTA	89	191	65	13	776	1,134		
4	ISFTA	2,271	2,402	730	765	4,551	10,719		
5	ITFTA	12	24	2	1	387	426		
6	ISCECA(Singapore)	9	4	22	1	6	42		
7	SAFTA	4,513	18,367	1,049	20,015	14,223	58,167		
8	АРТА	3,391	2,856	1,119	1,118	9,485	17,969		
9	ICPTA(Chile)	1,788	3,195	918	532	5,668	12,101		
10	IMPTA(Mercosur)	57	138	0	14	176	385		

11	AIFTA	21,934	32,015	12,771	5,586	63,741	1,36,047
12	IAFTA	0	0	0	0	0	0
13	IKCEPA	10,475	9,334	4,057	1,130	22,311	47,307
14	IMCECA	358	613	207	22	1,907	3,107
15	IJCEPA	4,655	10,065	3,018	3,186	12,111	33,035
16	India Mauritius CECPA	1	10	0	4	55	70
17	Non-Preferential	128	451	71	228	545	1,423
	Total	67,920	1,21,514	42,704	37,782	1,81,670	4,51,590

Brief details of PTAs / FTAs under which Certificates of Origin are presently issued by EIC/EIAs are as follows:

4.1 Generalized System of Preferences (GSP)

The Generalized System of Preferences (GSP) is a formal system of exemption from the general rules of the World Trade Organization (WTO), privileged to be treated as the most favoured nation principle (MFN). Under this system, total 1,21,325 were issued by EIAs during 2021-22. Total Post Verification (PV) requests received under this scheme in 2021-22 are 37.

4.2 Global System of Trade Preferences (GSTP)

The Agreement was signed on 13 April, 1988 and came into force with effect from 19 April, 1989. Forty-four countries have become participants after endorsing the Agreement and getting the trade concessions among the members of the Group of 77. The coverage of the GSTP extends to arrangements in the area of tariffs, paratariff, non-tariff measures, direct trade measures including medium and long-term contracts and sectorial agreements. Under this system, total 8,333 certificates were issued by EIAs during 2021-22.

4.3 Asia-Pacific Trade Agreement (APTA)

This Agreement promotes economic development through a continuous process of trade expansion among the developing member countries of ESCAP and to further international economic co-operation through the adoption of mutually beneficial trade liberalization consistent with their respective present and future development and trade needs. Under this system, total 17,969 certificates were issued by EIAs during 2021-22. 20 Post Verification (PV) requests received under this scheme in 2021-22.

4.4 Agreement on South Asian Free Trade Area (SAFTA)

The Contracting States establish the South Asian Free Trade Area (SAFTA) to promote and enhance mutual trade and economic cooperation among the Contracting States, through exchange of concessions in accordance with this Agreement. It promotes and enhances mutual trade and economic cooperation among the Contracting States, through exchanging concessions in accordance with this Agreement by eliminating trade barriers, promoting conditions of fair competition in the free trade area, creating effective mechanism for implementation and application of the agreement. The SAFTA Agreement came into force on 1st January, 2006. Under this system, total 58,167 certificates were issued by EIAs during 2021-22. Only two Post Verification (PV) requests received under this scheme in 2021-22.

4.5 Indo-Sri Lanka Free Trade Agreement (ISFTA)

The objective of this Agreement is to promote the expansion of trade and harmonious development of economic relations between India and Sri Lanka. provides fair conditions of competition for trade between India and Sri Lanka. Under this system, total 10,719 certificates were issued by EIAs during 2021-22. No Post Verification (PV) requests received under this scheme in 2021-22.

4.6 India Japan Comprehensive Partnership Agreement (IJCEPA)

India Japan Comprehensive Partnership Agreement was signed on 16 February 2011. The objectives of this Agreement are to liberalize and facilitate trade in goods and services; increase investment opportunities and strengthen protection for investments; ensure protection of intellectual property, promote cooperation for the effective enforcement of competition laws; improve business environment; establish a framework to enhance closer cooperation in the fields agreed in the Agreement; and create effective procedures for the implementation and application of this Agreement and for the resolution of disputes. Under this system, total 33,035 certificates were issued by EIAs during 2021-22. Two Post Verification (PV) requests received under this scheme in 2021-22.

4.7 India Korea Comprehensive Economic Partnership Agreement (IKCEPA)

India Korea Comprehensive Economic Partnership Agreement was signed on 7 August, 2009. The objectives of this Agreement are to liberalise and facilitate trade in goods and services and expand investment, establish a cooperative framework for strengthening and enhancing the economic relations; promote conditions of fair competition in the free trade area; establish a framework of transparent rules to govern trade and investment. Under this system, total 47,307 certificates were

issued by EIAs during 2021-22. Total Post Verification (PV) requests received under this scheme in 2021-22 are 29.

4.8 India- MERCOSUR Preferential Trade Agreement (IMPTA)

India Mercosur PTA was signed between Mercosur, a trading bloc in Latin America, and India on January 25, 2004. The Framework Agreement for the creation of a Free Trade Area between MERCOSUR and the Republic of India to expand and strengthen the existing relations and promote the expansion of trade by granting reciprocal fixed tariff preferences with the ultimate objective of creating a free trade area between the parties. Under this system, total 385 certificates were issued by EIAs during 2021-22. No Post Verification (PV) requests received under this scheme in 2021-22.

4.9 Preferential Trade Agreement (PTA) with Chile

India Chile Preferential Tariff Agreement was signed on March 8, 2006. The objectives of the agreement are to promote the expansion of trade and harmonious development of the economic relations between the two countries, provide fair conditions of competition for trade and removal of trade barriers. Under this system, total 12,101 certificates were issued by EIAs during 2021-22. No Post Verification (PV) requests received under this scheme in 2021-22.

4.10 India-ASEAN Agreement

The Agreement on Trade in goods signed on August 13, 2009 under the framework agreement on Comprehensive Economic Cooperation between the Republic of India and the Association of South-East Asian Nations shall apply to trade in goods and all other matter relating thereto as envisaged in the Framework Agreement. Under this system, total 1,36,047 certificates were issued by EIAs during 2021-22. Total Post Verification (PV) requests received under this scheme in 2021-22 are 60.

4.11 India Afghanistan Free Trade Agreement (IAFTA)

The objectives of this Agreement are to promote through the expansion of trade the harmonious development of the economic relations and to provide fair conditions of competition for trade between India and Afghanistan.

4.12 SAARC Preferential Trading Arrangement (SAPTA)

The Agreement on SAARC Preferential Trading Arrangement was signed on April 11, 1993. The contracting states establish the SAARC Preferential Trading Arrangement (SAPTA) to promote and sustain mutual trade and the economic cooperation among the Contracting states, through exchanging concessions in accordance with this Agreement. Under this system, total 1,134 certificates were issued by EIAs during 2021-22. No Post Verification (PV) requests received under this scheme in 2021-22.

4.13 India Singapore Comprehensive **Economic Cooperation Agreement (ISCECA)**

The objectives of India Singapore Comprehensive Economic Cooperation Agreement is to strengthen and enhance the economic, trade and investment cooperation; liberalise and promote trade in goods and services, improve the efficiency and competitiveness of their manufacturing and services sectors and to expand trade and investment, to explore new areas of economic cooperation and develop appropriate measures for closer economic cooperation; to facilitate and enhance regional economic cooperation and integration. Under this system, total 42 certificates were issued by EIAs during 2021-22. No Post Verification (PV) requests received under this scheme in 2021-22.

4.14 India Malaysia Comprehensive **Economic Cooperation Agreement**

The CECA will progressively liberalize trade in services on a preferential basis, with substantial

sectoral coverage, including Movement of Professionals and Skilled Persons, Cross-border Supply, and Telecommunications Services to provide commercially meaningful market access. The market access commitments under the CECA provide for more liberal tariff concessions, including faster timelines and reduced exclusion lists, than in the ASEAN-India Trade in Goods Agreement. The CECA includes economic cooperation in areas such as infrastructure development, creative industries, tourism, SMEs, business facilitation, science and technology, and human resource development. Under this system, total 3,107 certificates were issued by EIAs during 2021-22. Three Post Verification (PV) requests received under this scheme in 2021-22.

4.15 India Thailand Free Trade Agreement

The Governments of the Republic of India and the Kingdom of Thailand shall make efforts to create favourable conditions for greater economic cooperation and promote fair competition; progressively liberalize and eliminate barriers to trade in, and facilitate the cross-border movement of goods and services on a reciprocal basis as well as create a transparent, liberal and facilitative investment regime; and explore new areas and develop appropriate measures for closer economic cooperation between the two countries. Under this system, total 426 certificates were issued by EIAs during 2021-22. No Post Verification (PV) requests received under this scheme in 2021-22.

4.16 India-Mauritius Comprehensive **Economic** Cooperation **Partnership** Agreement

The Governments of the Republic of India and the Republic of Mauritius have signed this agreement to achieve the objectives of protection of health, safety, environment and to promote mutually beneficial economic relations. Under this system, total 70 certificates were issued by EIAs during

2021-22. No Post Verification (PV) requests received under this scheme in 2021-22.

4.17 Non-Preferential Certificate of Origin

The Department of Commerce (under Ministry of

Commerce & Industry, Government of India) has authorized the EIC to issue the Non-Preferential Certificate of Origin. Under this system, total 1,423 certificates were issued by EIAs during 2021-22.

OTHER MAJOR ACTIVITIES

5.1. NEW DEVELOPMENTS AT EIC AND EIAs

5.1.1 New Office Cum laboratory Complex of EIA Chennai Sub Office Visakhapatnam

The New Office-cum- Laboratory Complex of Export Inspection Agency- Chennai, Sub Office- Visakhapatnam was inaugurated on 24th September 2021 by Shri B.V.R. Subrahmanyam, IAS, Commerce Secretary, Ministry of Commerce & Industry, Government of India, in presence of Shri

Diwakar Nath Misra, IAS, Joint Secretary, Ministry of Commerce & Industry and Director, EIC. The other dignitaries present were Shri K.S. Srinivas IAS, Chairman, MPEDA and Dr. M. Angamuthu, IAS, Chairman, APEDA. With the setting of this facility, the exporters in region will be able to get the samples tested at Visakhapatnam instead of sending samples to other distant places like Chennai. This shall save the time and cost of exporters and facilitate the export from region.



Shri B.V.R. Subrahmanyam, IAS, Commerce Secretary, MoC&I inaugurating the New Office-cum- Laboratory Complex of EIA-Chennai, Sub Office- Visakhapatnam

5.1.2 Accreditation of EIA Kochi as Proficiency Testing Provider (PTP) for Genetically Modified Organism (GMO) for food and agricultural commodities:

Export Inspection Agency- Kochi Laboratory has been accredited by NABL as the PT provider for Genetically Modified Organism (GMO) for Food and Agricultural commodities (Biological) in compliance with ISO/IEC 17043:2010. EIA-

Kochi, Proficiency Testing Provider (PTP) is the first and only accredited PT provider in India for Genetically Modified Organism (GMO) by National Accreditation Board for Testing and Calibration Laboratories (NABL) in compliance with ISO/IEC 17043:2010. Scope of accreditation covers Food and Agriculture Products with two GM elements CaMV 35S Promoter and NOS Terminator.



Export Inspection Agency (EIA)-Kochi, Proficiency Testing Provider (PTP) is the first and only accredited PT provider in India for Genetically Modified Organism (GMO) by National Accreditation Board for Testing and Calibration Laboratories (NABL) in compliance with ISO/IEC 17043:2010

Scope of accreditation in Food and Agriculture Products with two GM elements CaMV 35S Promoter and NOS Terminator



5.1.3 Digital Initiatives for Ease of Export: Common digital platform (CDP) for CoO

The Common Digital Platform for Issuance of Certificate of Origin (CoO) by DGFT was launched by Hon'ble Commerce Minister on 16 September 2019. The CDP provides a single point access to all the designated agencies authorized to issue

Certificate of Origin and ease of doing business for the exporters as there is no need to visit offices. As on 2021-22 all the preferential / non-preferential schemes of CoO have been made Live on this online platform and EIAs are issuing certificate of origin through this platform only.

Sr. No.	Name of Preferential scheme	Date on which made Live on CDP
1	India Chile PTA	25 September 2019
2	SAFTA & SAPTA(for Nepal Only)	18 December 2019
3	India Korea CEPA	6 March 2020
4	AIFTA	7 April 2020

5	SAFTA & SAPTA(for Bangladesh, Bhutan, Maldives, Pakistan and Sri Lanka)	7 April 2020
6	Asia Pacific Trade Agreement	7 April 2020
7	India Sri Lanka FTA	7 April 2020
8	GSP, GSTP, India-Malaysia CECA, India-Singa- pore CECA	15 October 2020
9	India-Mauritius Comprehensive Economic Co- operation & Partnership Agreement	1 April 2021

The EIC had been very instrumental in designing and development of CDP and provided inputs on processes to be followed for registration by exporters, application filing by the exporters, issuance of certificates by the officers, specific requirements and standard formats of CoO under various FTAs etc. The EIC/EIA offices actively participated in the beta testing of this platform and provided the inputs for further improvisation before its launch.


5.1.4 Inclusion of Table Egg and provisions to certify Egg and Egg products under CWI:

The EIC is working on revision of existing Order and Notifications for Notified Commodities. In this regard, new rules for export of Egg & Egg Products has been published vide S.O. 4368(E) and S.O. 4369

(E) dated 15th September, 2021. Now, the Fresh Eggs are also covered under the new rules and the provision of Consignment Wise Inspection (CWI) has been incorporated for export of Egg and Egg products to Non EU Countries which will help to facilitate the export of Table Eggs and Egg Products by small traders and Merchant Exporters as well.

5.1.5 EIC finds special mention in Economic Survey 2021-22:

The untiring efforts and work of EIC/EIAs in terms of trade facilitation have been recognized by special mention of EIC in Economic Survey 2021-22 for proactive work which aided growth of agricultural exports during COVID pandemic.



An excerpt from Economic Survey 2021-22

5.1.6 Minimizing/Reducing Regulatory **Compliance Burden on Citizens:**

As a part of Government of India initiative of Reducing Regulatory Compliance Burden on Citizens for ease of doing business, the EIC has taken several steps to facilitate the export trade. Some of these are highlighted below:

a) Extended the period of approval of export establishment:

The approval given to export establishment is now valid for three years, instead of one /two years earlier. This will reduce the regulatory burden by 33 to 50 per cent in terms of cost and time involved in visit of Inter-Departmental Panel of experts for assessment of establishment for export. More than 1,000 export establishments will derive benefit of this measure.

b) Reduced the frequency of inspection visits to export establishments:

The frequency of Inspection Visits (Monitoring, Supervisory) of the approved export establishments has been reduced by 33 to 50 per cent based on past performance of the export establishment. The periodical inspection and supervisory visits of approved establishments are scheduled to ensure compliance to food safety norms. However, the frequency of these visits has been altered based on past performance of establishment.

The Physical Verification visits related to issuance of Certificate of Origin under different Free Trade Agreements have been reduced. Instead of one visit to export establishment for every 100 consignments exported earlier, now one visit is scheduled for 150 consignments. This will save cost and time for exporters.

c) Frequency and mode of submission of **Certificate for Export (CFE):**

The frequency of submission of CFE by exporter has been reduced from once in fortnight to once in a month, thereby resulting in 50 per cent reduction in time for submission. Also a provision is made for electronic filing of CFE by exporters, thereby reduced overall regulatory burden on exporters.

5.2 LABORATORY ACTIVITIES & ACHIEVEMENTS

Laboratories are the backbone of EIC's Export Control Program and the EIC has a strong network of laboratories to carry out the testing of samples. There are eight food testing laboratories accredited by the National Accreditation Board for Testing and Calibration Laboratories (NABL), located at Bhubaneswar, Chennai, Kolkata, Kochi and Mumbai, which supports the respective Export Inspection Agency (EIA) in Certification of food products for export. The EIAs also have field laboratories attached to its Sub-offices for routine microbiological analysis. Further, a food grain testing laboratory is located at EIA-Delhi, which is also accredited as per ISO 17025:2017.

Besides EIA labs, as per the EIC's Integrated Lab Assessment Scheme (ILAS), approval is granted to external laboratories for the purpose of testing of commodities as per importing countries requirements. During 2021-22, a total of 85,185 food samples were analyzed in EIA Laboratories. The total number of NABL accredited approved external laboratories as on 31 March, 2021 are 64.

5.3 MAJOR ACTIVITIES/ACHIEVEMENTS OF EXPORT INSPEC-TION AGENCIES (EIAs) 2021-22

5.3.1 EIA Chennai

- EIA-Chennai laboratory continued it's accreditation in accordance to ISO/IEC 17025:2017 during 2021-22.
- Renewal of accreditation for EIA Chennai as per ISO/IEC 17043 as PTP is done on 11th and 12th December 2021.
- EIA Chennai S.O. Bhimavaram successfully completed the first NABL Audit as per ISO 17025:2017 Integrated Assessment as conducted from 24th to 26th April 2021. The

audit got successfully completed and got Accreditation of NABL 17025:2017 on 19.06.2021.

- EIA Chennai S.O. Bhimavaram Successfully participated three(03) PT/ILC Program in for testing of various microbiological and Chemical analysis in F & FP commodities and achieved 100% Satisfactory Z-score.
- Inauguration of New Office and Laboratory Complex of Export Inspection Agency-Chennai, Sub Office-Visakhapatnam on 24.09.2021 by Shri B.V.R. Subrahmanyam, IAS, Commerce Secretary, Ministry of Commerce & Industry Government of India, in presence of Shri Diwakar Nath Misra, IAS, Joint Secretary, Ministry of Commerce & Industry and Director, EIC..

5.3.2 EIA Delhi

- EIA Delhi Laboratory has been recommended for continuation of its NABL accreditation as per ISO /IEC 17025:2005 vide audit conducted during 29-30 January 2022 by NABL.
- The numbers of Basmati rice samples tested by EIA-Delhi Laboratory during 2021-22 were 719 in comparison to 660 in the year 2020-21.

5.3.3 EIA-Kochi

EIA-Kochi has been accredited as PT provider as per ISO 17043:2016 for Detection of GMO in food and Agricultural procedure during the year 2021-22.



Officers of EIA-Kochi laboratory has demonstrated virtually its technical competency in testing for virus intended for export to Thailand as a part of the audit by Thailand authorities.

5.3.4 EIA Kolkata

- Successfully completed Training on RMP (Reference Material Producer) as per ISO 17034:2016 [Online], organised by NABL during 19-21 May 2021, through virtual mode.
- Successfully represented Indian delegation at 40th Plenary meeting of ISO/TC34/SC9 "Food products Microbiology", organised by ISO Secretariat during 08-11 June 2021.
- Successfully organized & completed Training program on ISO17034:2016 QMS standard for Reference Material Producer & ISO Guide 35: 2017.
- completed Successfully PTP Renewal Assessment as per ISO 17043:2010-Renewal of Accreditation and certificate issued valid upto 17.01.2024.
- Lab has successfully carried out Validation for Nitrofuran metabolites and Chloramphenicol in Fish & Fishery products and Honey as per CIR: EU 2021/808.
- During 2021-22, EIA Kolkata Laboratory successfully participated in Proficiency Testing(PT) programs- a total of 16 no. of PTs participated for 54 number of testing parameters in Chemical and Biological field of testing, with satisfactory z-score > 95%.

5.3.5 EIA Mumbai

EIA Mumbai Laboratory developed and Validated for the analysis of 11 veterinary drugs in Animal Casing as per EIC-RMP 2021-22 and Analysis of Ethylene Oxide in Guar-gum and

- Spices and the same was recommended by NABL during the renewal assessment held during 12-16 March 2022.
- Participated in training on 01.03.2022 on Commission Implementing Regulation (EU) 2021/808 of 22 March 2021 on the performance of analytical methods for residues of pharmacologically, active substances used in food-producing animals and on the interpretation of results.
- During 2021-22, EIA-Mumbai Laboratory has developed testing Facility for the Tea Authenticity using NMR.

5.4 RECOGNITION OF INSPECTION AGENCIES

The Government of India recognises private inspection agencies on recommendation of EIC as per EIC Inspection Agency Recognition Scheme 2012, falling under "A" category with laboratory facilities, for carrying out pre-shipment inspection and certification of the notified minerals and ores under Section 7 (1) of the Export (Quality Control & Inspection) Act, 1963. This scheme is in line with the initiative of Government of India for ease of doing business and to facilitate export trade by providing appropriate infrastructure for inspection & testing at strategic locations.

5.5 E- HEALTH CERTIFICATION SYSTEMS

The EIC is authorized to issue Health certificate for notified food products. The health certificate for non-notified food commodities is also issued, wherever importing country authority require such certificate, under voluntary certification scheme. The numbers of certificates issued during 2021-22 through e-certification are 1, 03,926 as per breakup given in Table (g)

Table (g): Certificates issued under E- Health Certification System 2021-22

S.No.	Certificate Format	Certificate Issued	
1	Fishery General Format (Non-EU)	34,058	
2	Other-Products Voluntary	27,328	
3	Fishery China	12,644	
4	Fishery EU	12,176	
5	Other-Products Non-GMO	7,564	
6	Milk Non-EU	4,098	
7	Fishery Russia	1,315	
8	Egg & EggNon-EU	821	
9	Other-Products Turkey	953	
10	Peanut Products Malaysia	900	
11	Peanut Products EU	713	
12	Fishery EU Format-Non EU Country	740	
13	Fishery GCC Countries	505	
14	Fishery Israel	82	
15	Egg & EggEU	24	
16	Animal Casing EU	05	
	Total	1,03,926	

5.6 ISSUANCE OF NON-GMO CERTIFICATE

The Non GMO certificates for agricultural & food commodities are issued by the Export Inspection Agencies (EIAs). A total of 7,564 Non-GMO Certificates have been issued for different agricultural & food Commodities in the current year. The samples are tested for Non-GMO at EIA Kochi and EIA Mumbai.

5.7 ISSUANCE OF AUTHENTICITY CERTIFICATE

European Commission has recognized EIC/EIAs as Competent Authority for issuance of Certificate of Authenticity for export of Basmati Rice to EU as per Council Regulation (EC) No. 797/2006. Accordingly, EIAs are issuing Certificate of Authenticity for Basmati Rice exported to EU.

5.8 RESIDUE MONITORING PLAN

Residue Monitoring Plans (RMP), which guarantees the monitoring of the groups of residues and substances referred to in Regulation (EU) 2017/625 of the European Parliament and of the Council of 15 March 2017, is one of the pre-requisites for export of food of animal origin to the EU. Accordingly, EIC has been implementing various Residue Monitoring Plans in line with EC requirements for different foods of animal origin. As per EU Regulation, the EIC prepared and submitted the RMPs for Egg & Eggproducts, Honey, Milk products and Fresh poultry meat & poultry meat products for the year 2021-22.

During 2021-22 total 9,708 samples were tested against RMP and National Residue Control Plan (NRCP):

Table (h): Samples Tested under Residue Monitoring Plan 2021-22:


National Residue Control Plan(NRCP) / Residue Monitoring Plan(RMP) Data : 2021-22					
Product	Number of Samples tested under NRCP/ RMP for 2021-22				
Aquaculture Products	8,423				
Egg & Egg Products	200				
Honey	357				
Poultry Meat Products	423				
Animal Casing	05				
Milk Products	300				
Total	9,708				


5.9. OTHER ACTIVITIES:

5.9.1 Project on Monitoring of TBT Notifications issued by World Trade Organization (WTO) Member countries:

The EIC is implementing the "Project on System" for Monitoring TBT Notifications issued by WTO Member countries" as per direction of Department of Commerce. The EIC and APEDA jointly assigned the work to a new agency in December 2021 for handling work on Monitoring of TBT & SPS Notifications based on open tender.

Top 5 product sectors





As per the reports made available, total 875 notifications were issued by the various WTO-member countries during December 2021-February 2022, out of which 495 were the Regular Notifications and remaining were addendum/corrigendum/revision. Distribution of these notifications in terms of country-wise and product-wise is given in the above charts.

5.9.2 Implementation of Right to Information Act

The Export Inspection Council (EIC) and its field organizations, Export Inspection Agencies (EIAs) are committed to comply with the requirements of the RTI Act 2005. The summary of the applications and first appeals received at EIC/EIAs under RTI Act 2005 in the year 2021-22 along with the notices of hearing received from CIC has been outlined below:

Applications received under RTI Act 2005 in 2021–22

Number of RTI applications received	Number of RTI Application	Closing balance of	
including opening balance as on	replied	RTI Applications as on	
31.03.2021		31.03.2022	
88	79	09	

1st appeal received under RTI Act 2005 in 2021-22

Number of appeals received including opening balance as on 31.03.2021	Number of appeals replied	Closing balance of appeals as on 31.03.2022	
19	18	01	

2nd appeal received under RTI Act 2005 in 2021-22

Number of notices of hearing received from CIC	Number of appearance by CPIO/FAA , EIC
08	08

5.9.3. Vigilance Activities

Four (04) complaints received during the period were handled as per CVC guidelines. Disciplinary Proceedings were concluded in 04 cases with imposition of penalty by competent authority and four (04) disciplinary proceedings were instituted. Two (02) appeals filed against the decision of Disciplinary Authority was examined and disposed off. Total 95 proposals for vigilance clearance for various purposes were handled. Investigationscum-factual Reports on 03 issues were submitted to Department of Commerce. Agreed List and List of Officers with Doubtful Integrity (ODI) were prepared for the organization.

The Export Inspection Council (EIC) along with its Export Inspection Agencies (EIAs) observed the Vigilance Awareness Week 2021 during 26 October- 01 November 2021 as per directions given in Circular No.021/VGL/045 dated 01.09.2021 of Central Vigilance Commission. The key activities carried out during the Vigilance Awareness Week -2021 are as below:

The Integrity Pledge was administered by Shri G.C.Rai, Chief Vigilance Officer, EIC, New Delhi on 26th October, 2021 at 11.00 AM to all the officials/staff of EIC. The messages from Hon'ble President of India, Hon'ble Prime Minister and the CVC were also read. On similar

- lines, Pledge taking programs were organized at EIA Headquarters at Delhi, Mumbai, Chennai, Kochi, Kolkata and 24 sub-offices.
- Theme Banners and Posters on PIDPI Complaint were displayed at EIC and EIAs including their sub-offices.
- 36 participants Total attended Essay Competitions organized EIA-Kolkata, EIA-Chennai, EIA-Mumbai and EIC, New Delhi. In addition, EIA-Kolkata organized separate Essay Competition wherein 18 Technologists of Approved establishments participated. Quiz Competitions were organized by EIA-Mumbai and EIC, New Delhi.
- Sensitization Program for EIC employees was organized on 26.10.2021 wherein CVO, EIC made presentation on Preventive Vigilance and PIDPI Complaints. The EIA-Mumbai organized awareness program (virtual mode) on Preventive Vigilance on 26.10.2021 wherein guest speaker Shri Kallol Kumar Paul, Retired Scientist F and Vigilance Officer, BIS, Kolkata addressed the participants. The EIA-Kochi organized Online Sensitization Program on "Work Ethics, Preventive Vigilance & PIDPI" on 1st November 2021 wherein Shri Sanjay Kumar, Sub-Divisional Engineer & Vigilance Officer and Shri Ramachandra Kumar, Deputy General Manager (Vigilance) & Circle Vigilance Head, BSNL, Trivandrum, Kerala were invited as speaker.

- The EIA Organized Essay Competition and Quiz for Class X students in Sir M. Ct. MuthiahChettiyar High School, Chennai on 28.10.2021. Vigilance Officer, EIA-Mumbai visited DhulaeVidhyalaya, Government School, Ratnagiri and addressed about PIDPI.
- Viailance Officer EIA-Mumbai organized awareness/discussion with villagers in Village Jawahar Gram Panchayat, Porbandar, Gujarat on the mechanisms to prevent corruption in Panchayat activities while drawing benefits from Govt. Schemes.
- Total 05 (Five) Grievance Redressal-cum-Exporters Interaction Meets were organized during VAW-2021 @ one by each EIA. Around 300 exporters participated in these programs.
- Vigilance Officer, EIA-Mumbai developed a video on "Say No to Corruption" and it was made available on social media accounts of EIC and Youtube for awareness.
- Awareness Spot in the form of White Board displaying basic Vigilance terms/ concepts was prepared at the reception of Kochi office for awareness of all stakeholders.
- Activities conducted during VAW-2021 were given wide publicity through social media accounts i.e. Facebook and Twitter of FIC

A. Integrity Pledge Ceremony



CVO, EIC administered Integrity Pledge to employees of EIC, New Delhi on 26.10.2021





Pledge Ceremony at EIAs Kochi, Kolkata, Delhi and Mumbai on 26.10.2021

B. Display of Banners and Posters







Display of Banners and Posters in EIAs and their Sub-Offices during VAW-2021

C. Competitions at EIC/EIAs



Essay Competition at EIA-Mumbai on 27.10.2021



Essay Competition at EIC, New Delhi on 27.10.2021

Essay Competition at EIA-Chennai on 27.10.2021




Essay Competition at EIA-Kolkata on 28.10.2021

D: Exporters Interaction -cum-Grievance Redressal Meets at EIAs



Exporters Interaction -cum-Grievance Redressal Meet (virtual mode) by EIA-Delhi on 26.10.2021



Exporters Interaction -cum-Grievance Redressal Meet (virtual mode) by EIA-Kochi and Chennai on 28.10.2021 & 29.10.2021 respectively



Exporters Interaction -cum-Grievance Redressal Meet (virtual mode) by EIA-Kolkata on 29.10.2021

E. Activity at School



Pledge taken by students of Sir M. Ct. Muthiah Chettiyaar High School, Chennai, organized by EIA - Chennai on 28.10.2021 followed by distributing the e pledge pamphlets and carried out the MCQ & essay writing competition



Visit of EIA Sub-Office Ratnagiri to Dhamlae Vidyalaya, Government School at Ratnagiri to spread awareness to students and teachers regarding provisions under the PIPDI

F. Awareness Gram Sabhas




Awareness/discussion with villagers Jawar Village Gram Panchayat by EIA Sub-Office Porbandar on the mechanisms to prevent corruption in Panchayat activities while drawing benefits from Govt. Schemes.

G. Awareness Spot at EIA-Kochi






H. Awareness/Sensitization Workshops



Vigilance Awarness Programme (virtual mode) with a topic of "Preventive Vigilance" organized by EIA-Mumbai on 26.10.2021and Shri Kallol Kumar Paul, Retd. Scientist-F & Vigilance Officer, Bureau of Indian Standard (BIS), Kolkata was speaker.



Online session on "Work Ethics, Preventive Vigilance & PIDPI" on 01.11.2021 organized by EIA-Kochi which was delivered by Shri Sanjay Kumar, SDE & Vigilance Officer and Shri Ramachandra Kumar, DGM (Vig.) & Circle Vigilance Head, BSNL, Trivandrum, Kerala

I. Awareness Video developed by Vigilance Officer, EIA-Mumbai

https://twitter.com/i/status/1452951865025511431

5.10 EIC COUNCIL MEETINGS

118th Meeting of Council held virtually on 23rd December 2021 at 3.00 PM under the chairmanship of Shri S. Kishore, Additional Secretary, Department of Commerce and Chairman EIC.

5.11. ORIENTATION TRAINING PROGRAM CONDUCTED BY THE EIC FOR NEWLY RECRUITED OFFICERS OF EXPORT INSPECTION AGENCIES (EIA).

The Five (05) days Orientation Training Program for the newly recruited 38 officers of Group A and Group B cadre working in various EIAs was

conducted by the EIC. The newly recruits officials were put through centralized short Orientation Training Programs from 06-10 December, 2021 (Batch 1) and 13-17 December, 2021 (Batch 2) at New Delhi, to apprise them of the activities of EIC as well as the Indian and International scenario.



Snapshot from the Orientation Training Program

PROGRESSIVE USE OF HINDI, THE OFFICIAL LANGUAGE

Export Inspection Council is successfully and effectively using the Hindiin official communication. The key highlights of the year are summarized below:

- All documents were issued in bilingual under The Official Languages Act Section 3 (3)
- Provisions issued by the Department of official language, Ministry of Home Affairs, Government of India in the annual program were properly followed
- Export Inspection Council and Agencies organized Hindi Workshops/Departmental Official Language implementation Committee meetings every quarter under the Rules of Official Language
- The incentive plans applicable to the original work in Hindi to Officers/employees were implemented.
- EIC and EIAs progressive use of Hindi reports in all quarter were transmitted on-line to Department of Official Language.

- At the entrance of EIC and EIAs a novel word in Hindi is written daily on the sign board
- During 14-28 September, 2021, Hindi Pakhawada was organized at EIC and EIAs. On the occasion, various competitions like Shabdawali Pratiyogita, Vaad-Vivaad Pratiyogita, Hindi Tippadi & Nibandh Pratiyogita were organized for employees and prizes were awarded to winners.
- Majority of offices are notified by the Ministry of Commerce and Industry, Government of India under Official Rules, 1976, sub-rule 10 (4) and efforts are being made to notify the rest of offices at Ministry level.
- The Export Inspection Council bi-annually published Hindi Magazine "Manthan" to spread the awareness of official language.

COMPUTERISATION AND MODERNISATION

- The use of information technology has enabled EIC to achieve greater transparency in its operations and reducing transaction time and manpower costs. Extensive application of IT in the organisation has been credited to the accurate financial reporting and has been linked to the benefits of use of computer systems while generating financial reports e.g. MIS report.
- Computerisation and Networking of all the offices is periodically updated based on the needs.
- e EIC maintains its own website www.eicindia. gov.in, on which information relating to its policy and procedures is available. The website is both informative and interactive and on-line filing of applications can be made through the website. Online services, like, Certificate of Origin and e-health certificate are offered through the website. There is a Knowledge Repository section on the website which

- gives the details of all the legal framework and information about various Certification schemes of EIC.
- The EIC has been extending the support in development of common platform for issuance of CoO (both preferential and nonpreferential) for all the Issuing Authorities in India.
- The e-Health certification system is maintained by EIC for application and processing of health certificates.
- All the regulations related to EIC are made available at India code portal (website https:// indiacode.nic.in).
- The e-office has been implemented at the EIC with effect from 01st January, 2022. Movement of the physical files has been discontinued and the training on the e-office implementation has been imparted to all the EIAs for smooth implementation.

STRENGTHENING MANPOWER

Ever since it's inception, EIC has laid stress on capacity building of its manpower to keep them updated on the dynamics in the food safety across the globe and other key aspects related to the organization's mandate.

Training allows employees to acquire new skills, sharpen existing ones, perform better, increase

productivity and be better leaders. EIC understands that since an organization is the sum total of what employees achieve individually, organizations should do everything in their power to ensure that employees perform at their peak. Keeping this view, year 2021-22 saw EIC nominating officials for National and International trainings, following all COVID-19 protocols.

Table (i): Officers Deputed for International Conference, Meeting and Training

S.No.	Number of the Officers	Topic / Theme	Venue	Organizers	Duration
1	50	Guidance on Risk Based Inspection System and Inspection Skills-Animal based products	Online training	EC & British Standards Institution (BSI), UK	21.03.2022
2	50	Guidance on Risk Based Inspection System and Inspection Skills-Plant based products	Online training	EIC & British Standards Institution (BSI), UK	28.03.2022
3	3	Workshop on the Internet of Things (IoT) in Agriculture and Food Supply Chain Management	Virtual Mode	Asian Productivity Organization (APO), a Tokyo-based Inter- Governmental Body	09-11 March, 2022
4	3	Virtual International Laboratory Training on Detection of Genetically Modified Organisms/Living Modified Organisms	Virtually	EIA-Kochi, EIC, BCIL	04-08 October 2021
5	1	Working group WG13 - RMs for qualitative analysis - Testing of nominal properties	Virtually	ISO	18.02.2022

6	1	40th Plenary meeting of ISO/TC34/SC9 "Food products Microbiology", organised by ISO Secretaria	Virtual	ISO	08-11 June 2021
7	1	52nd session for Codex committee on Pesticide Residues (Joint FAO/ WHO Food Standards Program) organised by Codex Alimenterius	Virtual	Codex Alimenterius Codex Secretariat, Joint FAO/ WHO Food Standards Program, Rome Italy	26-31 July 2021; 03 August 2021
8	1	Working group meeting of WG18 on Method Development of Escherichia coli, organised by ISO Working Group 18	Virtual	ISO/TC34/SC9/WG18	20.09.2021
9	1	Working group meeting on Preparation of statistical tool for ISO methods, organised by ISO Working Group 2	Virtual	ISO/TC34/SC9/WG02	10-11 November 2021
10	1	Working group meeting on Method Development of Yeast & Mold, organised by ISO Working Group 16	Virtual	ISO/TC34/SC9/WG16	16.11.2021
11	1	Working group meeting -WG3 on Method Validation for Larger Test Portion, ISO Technical Committee 34/Subcommittee 9- Food Microbiology	Virtual	ISO/TC34/SC9/WG03	20.01.2022
12	1	Working group meeting -WG23 on - Revision & validation work of ISO 15213-1 - Enumeration of Sulfite Reducing Clostridia, SO Technical Committee 34/ Subcommittee 9- Food Microbiology	Virtual	ISO/TC34/SC9/WG23	22.02.2022
13	1	14th Session of the Codex Committee on Contaminants in Foods (CCCF 14)	Online Virtual Mode	Codex Alimentarius Commission, Rome, Italy	03.05.2021 to 07.05.2021 and 13.05.2021

14	20	New Establishment Listing Procedure through Traces for Export of Certain Products to EU	Online Virtual	Export Inspection Council	08.02.2022
----	----	---	----------------	---------------------------	------------

Table (j): Officers Deputed for National Conference, Meeting and Trainings

	Officers Deputed for National Conference and Training: 2021-22						
S.No.	Number Of Officers	Topic / Theme	Venue	Organizers	Duration		
			EIA Chennai				
1	2	Webinar on ISO 17020 accreditation process	Virtual Mode	NABCB	21.05.2021		
2	1	Webinar on Advance Course on Procurement Policy and Procedures	Virtual Mode	National Productivity Council	23.06.2021 & 24.06.2021		
3	1	Webinar on ISO 17020 accreditation process	Virtual Mode	NABCB	25.06.2021		
4	1	National level workshop on "Codex Activities and Standard setting Process"	Virtual Mode	National Codex Contact Point and FSSAI	31.08.2021		
5	8	ISO/IEC 17020:2012 Training Course on Inspection	Virtual Mode	TCB/ Quality Coun- cil of India	26-27 July 2021		
6	6	Online training on Sampling and analysis of Fish and Fishery Products for Export Trade	ITC-FSAN @ PTH Mumbai (Virtual training)	ITCFSAN	22-23 July 2021		
7	1	Quality Issues in Indian Seafood at International Level	ITC-FSAN @ PTH Mumbai (Virtual training)	NFDB sponsored one day non-residential physical training on "Quality Control on Fish Processing Plants Organized by Dept. of Fish Quality Assurance& Management, Fisheries College & Research Institute, Thoothukudi, Tamil Nadu	26.08.2021		
8	2	Online Training on analysis of Rice for Export Trade	ITC-FSAN @ PTH Mumbai (Virtual training)	ITCFSAN	25.08.2021		

9	4	(1)Virtual Training on INFoLNeT 2.0 (2) Choosing the right Certified Reference Materials (CRM) for food safety, testing and analysis(3)Online training programme on FSQMS (4) Invitation for First National Symposium on: NUTRICS	Virtual Mode	(1)FSSAI(2)FSSAI and Antylia Scientific(3) FSSAI(4)FSSAI	(1)23.02.2022 (2)17.02.2022(3) 27.01.2022 to 08.02.2022(4)24.02.2022
10	1	Attended Webinar on NABCB Accreditation for Inspection Bodies	Madurai, TamilNadu	NABCB	29.03.2022
			EIA Delhi		
1	3	Online demonstration of sample preparation strategies and method used for aflatoxin analysis in rice	Online Virtual Mode	EIC/ITC-FSAN	25.06.2021
2	2	Training on requirements of ISO/IEC 17020:2012 for inspection bodies	Online Virtual Mode	Quality Council Of India	26-27 July, 2021
3	1	laboratory system and internal audit programme as per ISO/ IEC 17025:2017	Online Virtual Mode	Quality Council Of India	29-30 July,2021
4	1	Training program on Laboratory Quality Management System & Internal audit as per IS/ISO/IEC 17025: 2017	NITS, Sector 62,Noida	NITS, BIS	22-25 March 2022
			EIA Kochi		
1	1	Online Demonstration on Sample Preparation Strategies & Methods Used for the Analysis of Aflatoxins in Rice	Online Virtual Mode	ITC-FSAN, Mumbai	25.06.2021
2	2	Meeting with labs attached in FICS to discuss testing of imported food samples	Online Virtual Mode	FSSAI	22.06.2021

3	1	Advance Course on Procurement Policy and Procedures	Online Virtual Mode	National Productivity Council, New Delhi	23.06.2021 to 24.06.2021
4	7	Uncertainty of Measurement and Decision Rule as per ISO/ IEC 17025:2017	Online Virtual Mode	Quality Council of India	13.07.2021
5	7	training on Sampling and analysis of Fish and Fishery Products for Export Trade	Online Virtual Mode	ITC-FSAN, Mumbai	22.07.2021 & 23.07.2021
6	1	Hindi Prabodh Class	Virtual		26.07.2021 to 28.07.2021
7	10	PM Interaction with India Missions and Stakeholders on Trade	Video Conference	РМО	06.08.2021
8	1	Analysis and method validation of Pesticide residue as per importing country requirements in rice	Online Virtual Mode	ITC-FSAN, Mumbai	25.08.2021
9	3	Online Training on Analysis of Rice for Export Trade	Online Virtual Mode	ITC-FSAN, Mumbai	25.08.2021
10	1	Awareness workshop on Codex activities and Standard setting process	Online Virtual Mode	FSSAI, New Delhi	31.08.2021
11	1	5th PTP / RMP Conclave	Online Virtual Mode	NABL	30.08.2021
12	2	Webinar on Implementing commission regulation EU 808/2021 on performance of analytical methods for residues of Pharmacologically active substances -Food of Animal Origin	Online Virtual Mode	ITC-FSAN, Mumbai	01.09.2021
13	3	Program Workshop on Structured Surveillance of milk and milk product quality in India	Online Virtual Mode	ITC-FSAN, Mumbai	15.09.2021
14	2	NABL LAB FORUM for Testing & Calibration Laboratories	Online Virtual Mode	NABL	16.09.2021

15	2	The Launch event of Prof. S.K. Joshi Laboratory Excellence Award	Online Virtual Mode	Quality Council of India	16.09.2021
16	4	Information session WG57 (CD 2 ISO/IEC 17043)	Online Virtual Mode	CASCO Secretary	17.09.2021
17	5	Celebrating Azadi Ka Amrit Mahotsav- VANIJYA UTSAV: Webinar on Heavy Metal Contamination in Sea Food-Way to avoid it // Use of Veterinary Medical Products in food animal production.	Online Virtual Mode	EIC, New Delhi	23.09.2021
18	5	Celebrating Azadi Ka Amrit Mahotsav- VANIJYA UTSAV: Webinar on Milk Products// Basmati Rice // Spices	Online Virtual Mode	EIC, New Delhi	24.09.2021
19	5	Celebrating Azadi Ka Amrit Mahotsav- VANIJYA UTSAV: Webinar on India's Trade Agreements & EU GSP Self Certification	Online Virtual Mode	EIC, New Delhi	25.09.2021
20	5	The 16th Virtual Quality Conclave(VQC)	Online Virtual Mode	Quality Council of India	27.10.2021
21	4	Commission Implementing Regulation (EU) 2021/808	Online Virtual Mode	ITC-FSAN, Mumbai	18.01.2022 & 19.01.2022
22	1	28th Indian Convention of Food Scientists & Technologists (28th ICFoST) - Food Authentication, Safety, Quality and Regulation	Online Virtual Mode	AFSTI	22.01.2022
23	1	Awareness Program On Reference Material Producers	Online Virtual Mode	NABL	27.01.2022

2	1	CODEX activity and standard setting process	Online Virtual Mode	FSSAI	31.08.2021
1	1	Meeting and Training regarding ICICI Easy pay portal	Virtual Mode	EIC	23.08.2021
			EIA Kolkata		
30	9	Training on ISOC 17034 QMS standard for Reference Material Producer (RMP) & ISO Guide 35	EIA-Kochi, HO (onsite)	Jointly by CIFT- Cochin and EIA- Kochi	20.04.2022 to 22.04.2022
29	1	Requirements of integrated assessment - Molecular Analysis (GMO, Viruses and basmati rice authenticity)-Importing country requirements, Method Verification and Validation	Online Virtual Mode	EIC, New Delhi	28.03.2022
28	8	Sampling of Peanut and Peanut Products	Virtual	EIC, New Delhi	12.03.2022
27	1	NABL PTP Assessor Training Program on ISO/IEC 17043: 2010	Chennai	NABL	21.02.2022 to 25.02.2022
26	1	WG13 - RMs for qualitative analysis - Testing of nominal properties	Online Virtual Mode	ISO	18.02.2022
25	2	14th annual Workshop of MPRNL scheme	Online Virtual Mode	All India Network Project on Pesticide Residues, Indian Agricultural Research Institute, New Delhi	18.02.2022
24	2	"Obtaining globally recognized certifications for ensuring quality and safety of milk, meat, poultry and fish and establishing food testing laboratory" - Requirements for establishing chemical residues laboratory	Online Virtual Mode	ICAR - National Research Centre on Meat, Hyderabad	17.02.2022

3	1	Training programm on ISO 17034:2016 QMS Standard for Raference Material Producer (RMP) & ISO Guide 35:2017	EIA-Kolkata, Laboratory	EIA-Kolkata, Laboratory	08.10.2021- 10.10.2021
4	1	Online training on commission implementing regulation (EU) 2021/808	Online Virtual Mode	ITC FSAN	18.01.2022-19.01.2022
5	1	Seafood HACCP Segment-1 online course	Online Virtual Mode	US FDA	10.03.2022
6	1	Online training on sampling and analysis of fish & fishery product for export trade	Online Virtual Mode	ITC FSAN	22 - 23 July 2021
7	1	Online Training on Analysis of Rice for Export Trade	Online Virtual Mode	ITC FSAN	25.08.2021
8	1	Online training on sampling and analysis of fish & fishery product for export trade	Online Virtual Mode	ITC FSAN	22 - 23 July 2021
9	1	Online Training on Analysis of Rice for Export Trade	Online Virtual Mode	ITC FSAN	25.08.2021
10	1	Online training on commission implementing regulation (EU) 2021/808	Online Virtual Mode	ITC FSAN	18-19 January.2022
11	1	Online training on sampling and analysis of fish & fishery product for export trade	Online Virtual Mode	ITC FSAN	22 - 23 July 2021
12	1	Online Training on Analysis of Rice for Export Trade	Online Virtual Mode	ITC FSAN	25.08.2021
13	9	ISO IC 17020 2012 for Inspection Body	Online Virtual Mode	QCI	27.05.2021 to 28.05.2021
14	2	Advance Course on Procuremnet Policy and Procedures	Online Virtual Mode	National Productivity Council, New Delhi	23.06.2021 to 24.06.2021
15	4	Sample Preparation Strategies and method used for the analysis of aflatoxin in rice	Online Virtual Mode	ITCFSAN	25.06.2021
16	4	Food Safety And Hygiene In Food Industry-Role of Indian Standards	Online Virtual Mode	Food and Agricultural Department, Bureau of Indian Standards	22.07.2021

17	5	Online training on sampling and analysis of Fish and Fishery products for export trade	Online Virtual Mode	ITCFSAN	22.07.2021 to 23.07.2021
18	1	Online training on sampling and analysis of Fish and Fishery products for export trade	Online Virtual Mode	ITCFSAN	22.07.2021
19	4	LGC AXIO Proficiency Testing- Utilizing Proficiency Testing to Optimize performance	Online Virtual Mode	Chromatoph/LGC standards UK	25.06.2021
20	2	Public Procurement through GeM Portal	Online Virtual Mode	National Productivity Council, New Delhi	05.08.2021 to 06.08.2021
21	3	Webniar on-How spices help boosting the immunity	Online Virtual Mode	Spice Board of India	14.08.2021
22	6	Online training on sampling and analysis of Rice for Export Trade	Online Virtual Mode	ITCFSAN	25.08.2021
23	4	Meeting and training regarding ICICI Easy pay portal	Online Virtual Mode	EIC	23.08.2021
24	1	CODEX activity and standard setting process	Online Virtua Mode	FSSAI	31.08.2021
25	1	Awarness workshop on "Codex Actiities and standard-setting process	Online Virtual Mode	Codex India	31.08.2021
26	6	Commission Implementing regulation (EU2021/808)	Online Virtual Mode	ITCFSAN	01.09.2021
27	4	Basics & Advanced in ICP-MS & Food safety solution	Online Virtual Mode	FSSAI	29.09.2021 to 31.09.2021
28	5	75th Azadi Ka Amrit Mahotsav webinar on EU GSP FTAS	Online Virtual Mode	DoC/EIC	25.09.2021
29	10	Training program on ISO17034:2016 QMS standard for reference Material Producer & ISO Guide 35:2017	EIA-Kolkata Laboratory	EIA-Kolkata laboratory	08.10.2021 to 10.10.2021
30	1	PT Conclave	Virtual	NABL	22.11.2021
31	1	" Made in India for the world'-BIS contribution to International Standardization "-Workshop	Virtual	BIS	
32	5	Orientation Training Programm	NCUI, New Delhi	EIA-Kolkata laboratory/HO	06.12.2021 to 17.12.2021
33	1	Orientation Training Programm on Preventive Vigilance	ISTM	EIA-Kolkata HO	27.12.2021

34	6	Online training on commission implementing regulation (EU) 2021/808 Programme	Online Virtual Mode	ITC-FSAN	18.01.2022 to 19.01.2022
35	1	Working Group meeting on Revision of IS 5404:1984-Methods for drawing & handling of food samples for microbiological analysis	Online Virtual Mode	BIS/FAD 15 Panel 1	07.02.2022
36	2	14th Annual workshop on MPRNL project	Online Virtual Mode	ICAR-Indian Agricultural Research Institute, New Delhi-110012	18.02.2022
37	4	Usage of Inflonet software version 2.0	Online Virtual Mode	FSSAI	23.02.2022
38	5	One day online training programme on sampling of Penut and Penut Product	Online Virtual Mode	EIC	12.03.2022
39	2	Two days online training program for laboratories on the requirement of integrated assessment as per ISO 17025:2017	Online Virtual Mode	NABL	29.03.2022
			EIA Mumbai		
1	1	First Codex Coordination (CCG1-Chemical) Meeting for CCF14	Online Virtual Mode	Secretariat, National Codex Contact Point, FSSAI	09.04.2021 (One Day)
2	4	Awareness programme Webinar on NABCB Accreditation for Inspection Bodies, and its Benefits to Industry & Government Bodies	Online Virtual Mode	National Accreditation Board for Certification Bodies, Quality Council of India	21.05.2021 (One Day)
3	1	Advance Course on Disciplinary Proceedings	Online Virtual Mode	National Productivity Council, New Delhi	27.05.2021 & 28.05.2021 (Two Days)
4	1	Two Days Online Training on "Advance Course on Procurement Policy and Procedures" from 23rd - 24th June, 2021	Online Virtual Mode	National Productivity Council, New Delhi	23.06.2021 & 24.06.2021 (Two Days)
5	1	Webinar on Accreditation for Inspection bodies and its Benefits to Industry and Govt bodies	Online Virtual Mode	NABCB	25.06.2021 (One Days)

6	1	Boost Immunity	Online Virtual Mode	Spices Board of India and Time of India	14.08.2021 (One Days)
7	1	2nd Meeting of FDA 28: FAD 28-Panel 3: Test methods for Food Products Sectional Committee-Panel 3,	Online Virtual Mode	Bureau of Indian Standards (BIS), New Delhi	13.08.2021 (One Day)
8	1	7th Meeting of Test Methods for Food Products Sectional Committee, FAD 28	Online Virtual Mode	Bureau of Indian Standards (BIS), New Delhi	25.08.2021 (One Days)
9	1	Vigilance course" for Junior & Middle-Level Vigilance Officer of Central Govt Ministries, departments Public Sector Undertakings & Banks	Online Virtual Mode	Central Bureau of Investigation Academy, Ghaziabad	06.09.2021 to 10.09.2021 (Five Days)
10	5	Orientation Training Programme	National Co-operative Union of India, Delhi	Export Inspection Council	06.12.2021 to 10.12.2021 (Five Days); 13.12.2021 to 17.12.2021 (Five Days)
11	1	Orientation Training Programme on Preventive Vigilance	Online Virtual Mode	Institute of Secretariat Training and Management (ISTM), New Delhi	27.12.2021 (One Day)
12	2	14th Annual Workshop of MRPNL Scheme	Online Virtual Mode	All India Network Project on Pesticide Residues Indian Agricultural Research Institute New Delhi-110 012	18.02.2022 (One Day)
13	4	One day Training Program on Sampling of Peanut and Peanut Products	Online Virtual Mode	Export Inspection Council	12.03.2022 (One Day)

Table (k): Outreach programs for Exporters

Outreach Programmes for Exporters during 2021-22					
S.No.	Program Name	Date	Location		
1	GACC- Review & Discussion On Self Assessment Reports	20.04.2021, 21.04.2021 & 26.04.2021	EIA-Chennai, Sub-Office Visakhapatnam		
2	Analysis Of Antibiotics By ELISA Screening Techniques	29.07.2021	EIA Chennai HO & EIA Chennai SO Nellore		
3	NFDB Sponsored One-Day Non Residential Physical Training On "Quality Issues In Indian Seafoods At International Level"	26.08.2021	Fisheries College (Tuticorin)		

4	Training On Screening Of Antibiotics In Aquaculture Shrimps Using ELISA Test Kits.	16.09.2021 & 17.09.2021	EIA-Chennai H.O. & EIA-Chennai SO: Bheemavaram
5	Virtual Training Programme For Technologist On Screening Of Antibiotics Residues In Fish And Fishery Products By ELISA Technique	16.09.2021 & 17.09.2021	EIA-Chennai, Sub- Office Visakhapatnam, Laboratory
6	Azadi Ka Amrut Mahotsav: "Journey Of Milk In Last 75 Years & Challenges Ahead//Requirements Of Establishment For Export Of Milk & Milk Products"	23.09.2021- 25.09.2021	EIA-Chennai
7	Training On Food Safety Management System Requirement	29.10.2021	EIA-Chennai,S.O. Bhimavaram
8	Training On "Requirements For Approval Of Primary Production (Aquaculture Farm, Hatchery, Feed Mill, Supplier, Landing Site & Fishing Vessel) To The Stake Holders Of Hatchery, Feed Mill, Sea Food Supplier, Aqua Farmer"	21.12.2021	Kakinada
9	Awareness Programs For The Exporters/Approved Technologists In Fishery Establishments	17.12.2021	eia-chennai (h.o)
10	Training Programme For Technologists On ELISA Technique Conducted Under Outreach Programmes Schedule 2021-22	21.01.2022	EIA-Chennai, HO. Conducted Virtually
11	Regulatory Requirements For Export Of Fish And Fishery Products (Training For Technologist In F&FP Establishments)	28.01.2022	EIA Chennai SO Nellore Conducted Virtual Training
12	Antibiotic Determination Using Various Techniques With A Special Emphasis To Elisa Screening And Validation	17.02.2022	SO:Tuticorin
13	Technologists Training Programme For Microbiological Testing For Seafood Industry,	21.02.2022 To 25.02.2022	EIA- Chennai Laboratory And FFP
14	An Interactive Session With Shri. Diwakar Nath Misra, (IAS), Joint Secretary, Department Of Commerce And Director, Export Inspection Council (EIC)	10.03.2022	EIA-Chennai H.O., MPEDA-Chennai & APEDA Chennai
15	Discussion On GACC Registration Of F&FP Establishments	18.02.2022	EIA-Chennai, Sub-Office Visakhapatnam
16	E-Office Module	31.03.2022	Sub-Office Visakhapatnam (Virtual)
17	Interaction Programme With Rice Exporters For Better Trade Facilitation Under Jurisdiction Of EIA, Delhi & Its Sub Offices	07.07.2021	EIA-Delhi Virtual Mode
18	Interaction Program With Honey Exporter For Better Trade Facilitation On 12.08.2021	12.08.2021	EIA-Delhi Virtual Mode
19	Training On Issuance Of Coo & REX On CDP Portal For Exporters Of GSP Using Common Digital Portal	18.02.2022	EIA-Delhi Virtual Mode
20	Awareness Programme On Executive Instruction For Approved Establishment For Animal Origin Products For Export	14.03.2022	EIA-Delhi Virtual Mode

21	Awareness Programme On Executive Instruction For Approved Establishment For Food & Food Products Under Plant Origin Products For Export	30.03.2022	EIA-Delhi Virtual Mode
22	Awareness Programme On Laboratory Practice Of Basmati Rice	30.03.2022	EIA-Delhi Virtual Mode
23	Importing Countries Requirements And Listing	30.03.2022	Virtual
24	Interaction With Seafood Trade Organized By F&FP Section Of EIA-Kochi	14.07.2021	Virtual
25	Interaction With Seafood Trade Organized By F&FP Section Of EIA-Kochi	12.08.2021	Virtual
26	Spices Board India In Association With The Times Of India - Interactions On "How Spices Help Boosting The Immunity"	14.08.2021	Live Webinar Through Zoom Platform
27	Interaction With Seafood Trade Organized By F&FP Section Of EIA-Kochi	30.09.2021	Virtual
28	Interaction With Seafood Trade Organized By F&FP Section Of EIA-Kochi	28.10.2021	Virtual
29	Interaction With Seafood Trade Organized By F&FP Section Of EIA-Kochi	26.11.2021	Virtual
30	Interaction With Seafood Trade Organized By F&FP Section Of EIA-Kochi	28.12.2021	Virtual
31	Awareness Programme For Technologists Regarding HAACP, Importing Country Requirements And Microbiological Analysis.	29.12.2021	Conference Room, EIA- Kochi
32	Interaction With Seafood Trade Organized By F&FP Section Of EIA-Kochi	31.01.2022	Virtual
33	Interaction With Seafood Trade Organized By F&FP Section Of EIA-Kochi	28.02.2022	Virtual
34	TWO DAYS TRAINING PROGRAMME ON SEAFOOD HACCP, REGULATORY REQUIREMENTS AND SAMPLING	29.03.2022 & 30.03.2022	EIA-Kolkata , HO (Virtual)
35	Training Programme For Technologists On Screening Of Antibiotic Residues In Fish & Fishery Products By ELISA Technique	28.03.2022	Sea Food Establishment
36	Five(5) Days Training Programme For Technologist On Microbiological Analysis Of Marine Products	31.03.2022 To 04.03.2022	EIA-Kolkata Lab
37	One Days Training Programme On REX & GSP Registration	11.03.2022	EIA-Kolkata , HO (Virtual)
38	Imparted Training On Analysis Of Banned Substances In Fish And Fishery Products By Elisa	22.07.2021	Online Virtual Mode
39	Procedure Of Approval Of Establishment Under CSFP & Issuance Of HC	Jul-21	Mumbai
40	Responsibilities Of Approved Establishments & Regulatory Requirement For Export Of Fish & Fishery Products(One Day)	06.09.2021	Mumbai

41	Training On Safety Of F&FP And Export Requirements (One Day)	Sep-21	Veraval
42	Responsibilities Of Approved Establishments & Regulatory Requirement For Export Of Milk & Milk Product	Sep-21	Mumbai
43	Analysis And Quality Assurance For Inhouse Lab In F&FP Establishments(One Day)	Oct-21	Veraval
44	Certificate Of Origin/Common Digital Platform/REX	21.10.2021	Mumbai
45	Meeting With EIA-Officers, Sea Food Exporter, APEDA Exporters & IOPEPC Exporters With Shri Diwakar Nath Misra, Joint Secretary, Goi.	01.11.2021	Mumbai
46	One Day Technologists Training On Microbiological Analysis Including Virus Testing With Respect To Importing Country Requirements	Nov-21	Online Virtual Mode
47	Requirements Of Primary Production Facilities (One Day)	16.12.2022	Online Virtual Mode
48	In-House Antibiotic Testing By ELISA	Dec-21	Ratnagiri
49	Issuance Of Health Certificates Under VCS & CWI And It's Regulatory Requirement	Dec-21	Mumbai
50	One Day Technologists Training On Microbiological Analysis Including Virus Testing With Respect To Importing Country Requirements	Jan-22	EIA-Mumbai Lab Through Online Virtual Mode
51	Requirements For Approval Of Primary Production (One Day)	01.02.2022	Mumbai
52	Requirements For Approval Of Primary Production (Good Veterinary Practices (GVP) For Milk Establishments)	Feb-22	Mumbai
53	One Day Technologists Training Programe On Importing Country Regulatory Requirements And ELISA Analysis For Testing Of Antibiotics In Shrimps	Feb-22	EIA-Mumbai Lab Through Online Virtual Mode
54	Imparted Technologists Training On Microbiological Analysis Including Virus Testing With Respect To Importing Country Requirements	24.03.2022	Online Virtual Mode
55	Imparted Technologists Training On Antibiotic Analysis And Vertinary Drug Residues Testing With Respect To Importing Country Requirements	25.03.2022	Online Virtual Mode
56	Awareness Training Program On REX System And Preferential Certification Of Origin Under Various FTA's And Applications Under Coo,S On CDP	25.03.2022	Mumbai

NETWORK OF EIAS, THE FIELD ORGANIZATIONS OF EIC

Chapter 9

The work of quality control, inspection, monitoring, testing and certification of commodities for export is carried out by Export Inspection Agency (EIA) located at Delhi, Mumbai, Chennai, Kolkata and Kochi which operates under technical & administrative control of Export Inspection Council, New Delhi. The EIAs have a network of 24 Sub Offices including laboratories at important ports and industrial centres of India. The EIAs are playing a vital role to facilitate the country's export from last five decades through its qualified and experienced, personnel.

9.1 EXPORT INSPECTION AGENCY-CHENNAL

The Export Inspection Agency- Chennai operates within the jurisdiction of Tamil Nadu, Andhra Pradesh, Telangana and Puducherry having a network of 7 sub offices at Bhimavaram, Coimbatore, Hyderabad, Nagercoil, Nellore, Tuticorin and Visakhapatnam.

Export Inspection Agency- Chennai is handling major activities like –

- Official control of establishments approved under Fish & Fishery products, Poultry meat & Poultry meat products, Egg & Egg products, milk products, Fruit products, Black pepper, feed additives & pre- mixtures, etc.
- Consignment wise inspection for export of dried fish, Honey, black pepper, Peanut & Peanut products etc.
- Certification of units under voluntary scheme, as well as under Turkey Scheme.

- Provision of issuance of CoO under REX and different FTAs like GSP, SAPTA, ISFTA, ITFTA, etc.
- Testing of different commodities in EIA laboratories at Chennai and at Sub-Offices.
- Testing of imported food products as nodal laboratory recognized by FSSAI.

The Coastal Aquaculture Authority (CAA) has recognized EIA-Chennai laboratory for testing of various Aquaculture input products for detecting prohibited substances before registration of the aqua inputs. Drug Control Administration, Government of Andhra Pradesh has recommended EIA-Chennai laboratory as Notified laboratory for testing of various aquaculture inputs used in fish and fishery sector, especially to test for prohibited substances as required under Section 20(1) & Section 20(3) of Drugs and Cosmetics Act 1940.

9.2 EXPORT INSPECTION AGENCY-DELHI

Export Inspection Agency-Delhi exercises its jurisdiction over the entire Northern and Central Region of the country covering the states of J&K, Punjab, Rajasthan, Himachal Pradesh, Uttar Pradesh, Uttarakhand, Haryana and Madhya Pradesh and has its offices in Jalandhar, Ludhiana, in the northern region; Kanpur in the North Central Region; Jaipur in North Western region; Indore in Central Region. The EIA is involved in regulatory control over approved units of Basmati Rice, Milk Products, Honey, Animal Casings apart from Feed Additives and Premixtures. The Laboratory of EIA Delhi for Basmati Rice testing is ISO 17025:2017 Certified.

9.3 EXPORT INSPECTION AGENCY - KOCHI

The major products handled by EIA Kochi include Fish & Fishery Products (F&FP) and black pepper. EIA Kochi is providing its services of approval and monitoring of the F & FP, black pepper, and other food products like spices, etc. under voluntary certification scheme. EIA Kochi is having the NABL accredited laboratory facility for Non-GMO on the basis of which Non GMO certificates are issued by all EIAs.

9.4 EXPORT INSPECTION AGENCY-KOLKATA

Export Inspection Agency-Kolkata provides export certification for notified products and food products under voluntary scheme. It also issues preferential certificates of origin as per the Preferential and free trade agreements.

9.5 EXPORT INSPECTION AGENCY-MUMBAI

EIA Mumbai is having jurisdiction over Maharashtra, Gujarat and Goa with Sub Offices located at Mumbai, Ratnagiri, Goa, Ahmedabad, Rajkot, Gandhidham, Porabandar and Veraval.

Besides issuance of certificate of origin under various preferential tariff schemes, EIA-Mumbai also issues Health certificates for different export commodities including processed fruit products, Milk products, Fish and Fishery Products, Crushed Bones, Ossein and gelatine, Animal Casings, Black Pepper, Feed additives and Pre-mixtures, and other food products etc. Online submission of details for issuance of Certificate of Origin is emphasized to exporters.

EIC & EIA ADDRESSES AND CONTACT NUMBERS

I. Export Inspection Council

(Department of Commerce, Ministry Commerce & Industry, Government of India) Ministry of Commerce & Industry, Govt. of India,

2nd Floor, B-Plate, Block-1, Commercial Complex, East Kidwai Nagar, New Delhi -110023 Tel: +91 - 11 - 20815386/87/88 E - Mail: eic@eicindia. gov.in

II. Export Inspection Agencies and their Sub

Export Inspection Agency- MUMBAI (Head Office)

E - 3, M.I.D.C., Andheri (East), Mumbai, Pin: 400093, Maharashtra, Tel: +91-22-2363 0311 / 2363 0312 / 2363 0113 Fax: +91-22-23683927, E-Mail: eia-mumbai@eicindia.gov.in

Sub-offices

Export Inspection Agency- Mumbai Sub Office: AHMEDABAD

305, Multi Purpose Sports Complex (opp-New Cloth Market) Raipur, Ahmedabad, Pin: 380002, Gujarat, Tel: +91-79-2216 2398 Fax: +91-79-2216 2398, E - Mail: eia-ahmedabad@eicindia.gov.in

Export Inspection Agency- MUMBAI Sub Office: GANDHIDHAM

Room No. F-01, F-02, Old Administrative Office, Kandla Special Economic Zone, GANDHIDHAM, Pin: 370230, Gujarat, Tel: +91-2836-253036. Fax: +91-2836-220836 E - Mail: eia-gandhidham@eicindia.gov.in

Export Inspection Agency- MUMBAI Sub Office: GOA

Y-15, 5th Floor, Building A-1, Jairam Complex, Rua De Ourem, Mala Panaji, Pin: 403001, GOA, Tel: +91- 832-2222380 Fax: +91-832-2222 380 E - Mail: eia-goa@eicindia.gov.in

Export Inspection Agency- MUMBAI Sub Office: PORBANDAR

4, Bhojeswar Plot, Porbandar, Porbandar, Pin: 360575, Gujarat, Tel: +91-286-2246376, Fax: +91-286-2246376 E - Mail: eia-porbandar@eicindia.gov.in

Export Inspection Agency- MUMBAI Sub Office: RAJKOT

SharadVilla, 25, New Jagnath Plot, RAJKOT, Pin: 360001, Gujarat, Tel: +91-281-2463 620 Fax: +91-281-2463 620 E - Mail: eia-rajkot@eicindia.gov.in

Export Inspection Agency- MUMBAI Sub Office: RATNAGIRI

Sahil Mansion, Shivaji Nagar, Maruthi Mandir, RATNAGIRI, Pin: 415612, Maharashtra, Tel: +91-235-222589 Fax: +91-235-222589 E - Mail: eia-ratnagiri@eicindia.gov.in

Export Inspection Agency- MUMBAI Sub Office: VERAVAL

1st Floor, Jaikishan Complex, 80 Feet Road, New Chandramauleshwar Temple, VERAVAL, Pin: 362265, Gujarat, Tel: +91-2876-220610 Fax: +91-2876-220610 E - Mail: eia-veraval@eicindia.gov.in

Export Inspection Agency- MUMBAI Sub Office: BARODA

Kuber Bhavan, Rook No.-824, 'I' Block, 8th Floor, Near Kothi, BARODA, Pin: 390001, Gujarat Tel: +91-265-2415706 Fax: +91-265-2415706, E-Mail: eiabaroda@eicindia.gov.in

Export Inspection Agency-Kolkata Export Inspection Agency- KOLKATA (Head Office)

World Trade Centre, 14 / 1B Ezra Street, KOLKATA, Pin: 700001, West Bengal, Tel: +91-33-22355004/ 22352651 / 22352652 Fax: +91-33-22354562, E - Mail: eia-kolkata@eicindia.gov.in

Export Inspection Agency- KOLKATA- Lab

Space 101, (First Floor), Southend Conclave, 1581, Rajdanga Main Road, Kolkata-700107 E-mail: eiakolkatalab@eicindia.gov.in

Sub-offices

Export Inspection Agency- KOLKATA Sub Office: BHUBANESWAR

IDCO Plot No. 45/A/1, Chandaka Industrial Estate-Patia BHUBANESWAR, Pin: 751 024, Odisha, Tel: + 91-674-2975868, E-Mail: eia-bhubaneswar@ eicindia.gov.in

Export Inspection Agency-Kochi Export Inspection Agency - KOCHI (Head Office)

27/1767 A, Shipyard Quarters Road, Panampilly Nagar (South), KOCHI, Pin: 682036, Kerala Tel: + 91-484 -2314645 / 2316946 / 2316949, Fax: + 91-484-2316948, E - Mail: eia-kochi@eicindia.gov.in

Sub-offices

Export Inspection Agency- KOCHI Sub Office: **BANGALURU**

2nd Floor, JEEVAN SAMPIGE, Building, No.1/1, 2nd Main, Sampige, Road, Malleswaram, BANGALORE, Pin: 560003, Karnataka, Tel: + 91-80-23444931 / 23567556, E - Mail: eia-bangalore@eicindia.gov.in

Export Inspection Agency- KOCHI Sub Office: **KOLLAM**

First Floor of Coaxial Building (Building No XLIII/948 Chinnakada, Kollam -690 001, Kerala, +91-474-2749087 Fax: +91-474-2749087, E - Mail: eia-quilon@eicindia.gov.in

Export Inspection Agency- KOCHI Sub Office: MANGALORE

School Book Building-3rd floor, temple, Square, Car Street, MANGALORE, Pin: 575001, Karnataka Tel: +91-824-2496813 Fax: +91-824-2496 813 E - Mail: eia-mangalore@eicindia.gov.in

Export Inspection Agency-Delhi Export Inspection Agency-DELHI (Head Office),

Thakkar Bapa Smarak Sadan, 2nd floor, DR. Ambedkar Marg, (Link Road) (Behind Jhandewalan Metro Station), Pin: 110055, Delhi, Tel: +91-11-23626320/21/22/23/24/25/26/27 Fax: +91-11-23626328, E - Mail: eia-delhi@eicindia.gov.in

Sub-offices:

Export Inspection Agency- DELHI Sub Office: INDORE

303, Capt. C.S. Nayudu Arcade 10 /2, Old Palasia, Indore, INDORE, Pin: 452 001, Madhya Pradesh, Tel: +91-731-2566057, E-Mail: eia-indore@eicindia.gov.in

Export Inspection Agency- DELHI Sub Office: JAIPUR

201-202, Tirupati Trade Centre, 4, Sansar Chandra Road, Jaipur, JAIPUR, Pin: 302 001, Rajasthan Tel: +91-141-2366 973 Fax: +91-141 - 2366 973 E - Mail: eia-jaipur@eicindia.gov.in

Export Inspection Agency- DELHI Sub Office: JALANDHAR

320, W. G. T. Road, Basti Adda Jalandhar, Jalandhar, Pin: 144 001, Punjab, Tel: +91-181-2403424 Fax: +91-181-2403 424, E - Mail: eia-jalandhar@eicindia.gov.in

Export Inspection Agency- DELHI Sub Office: KANPUR

MD Plaza, 38 / 105, Meston Road (2nd floor), Near Bada Chuwraha, Kanpur, KANPUR, Pin: 208 001, Uttar Pradesh, Tel: +91-512-2369 927 Fax: +91-512-2369 927, E - Mail: eia-kanpur@eicindia.gov.in

Export Inspection Agency- DELHI Sub Office: LUDHIANA

First floor, SCO 17 (Near NRI police station) sector 39, Chandigarh road, LUDHIANA, Punjab Pin: 141010, Tel: 0161 - 2410 083, Fax: 0161 - 2410 083 E - mail: eia-ludhiana@eicindia.gov.in

Export Inspection Agency-Chennai Export Inspection Agency- CHENNAI (Head Office)

6th. Floor CMDA Tower II, No. : 1 Gandhi Irwin Road, Egmore, CHENNAI, Pin: 600008, Tamil Nadu Tel: +91-44-28552841 / 42 Fax: +91-44-28552840 E - Mail: eia-chennai@eicindia.gov.in

Sub-offices:

Export Inspection Agency- CHENNAI Sub Office: BHIMAVARAM

Door No: 7-150, Second Floor Venkataraju Nagar Chinnamiram Juvallapalem Road, West Godavari District, Bhimavaram, Pin: 534204, Andhra Pradesh +91-8816-229075 Fax: +91-8816-229075, E- mail:- eia-bheemavaram@eicindia.gov.in

Export Inspection Agency- CHENNAI Sub Office: COIMBATORE

1sr Floor, North Wing, Jawan Bhavan, No.27, Travellers Bunglow Road, Coimbatore, Pin: 641018, Tamil Nadu Tel: +91-422-2393365 Fax: +91-422-2233365 E - Mail: eia-coimbatore@eicindia.gov.in

Export Inspection Agency- CHENNAI Sub Office: HYDERABAD

No. 903, 9th floor, Raghava Ratna Towers, Chirag, Ali Lane, Hyderabad, Pin: 500018, Andhra Pradesh +91-40-23712224 Fax: +91-40-23202224 E - Mail: eia-hyderabad@eicindia.gov.in

Export Inspection Agency- CHENNAI Sub Office: NAGERCOIL

75-A, Court Road, Sankar Building, Nagercoil, Pin: 629001, Tamil Nadu Tel: +91-465-232704 Fax: +91-4652-2327 04 E - Mail: eia-nagercoil@eicindia.gov.in

Export Inspection Agency- CHENNAI Sub Office: TUTICORIN

No. 271, Aishwariya Towers, Sivanthakulam Road, TUTICORIN, Pin: 628003, Tamil Nadu +91-461-232061 Fax: +91-461 -2339182 E - Mail: eia-tuticorin@eicindia.gov.in

Export Inspection Agency- CHENNAI Sub Office: VISAKHAPATNAM

D.No. 43-18-10/4, T.S.N. Colony, 3rd Floor, Hero Honda Show Room, Visakhapatnam, Pin: 530016, Andhra Pradesh Tel: +91-891-2747141 Fax: +91-891 - 2747141 E - Mail: eia-vizag@eicindia.gov.in

Export Inspection Agency- CHENNAI Sub Office: NELLORE

3rd Floor, South Wing, G.K.Imperial Towers, Door No. 23, Plot No. 468, Kings Court, Magunta Layout, Nellore, Pin: 524003, Andhra Pradesh Tel: +91-861-359900 / +91-861-2354400 E - Mail: eia-nellore@eicindia.gov.in



निर्यात निरीक्षण परिषद्

(वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय, भारत सरकार)

दूसरी मंजिल, बी-प्लेट, ब्लॉक-1, वाणिज्यिक परिसर, पूर्वी किदवई नगर, नई दिल्ली-110023, भारत

दूरभाष : 011-20815386/87/88

वेबसाई : www.eicindia.gov.in ई-मेल : eic@eicindia.gov.in

EXPORT INSPECTION COUNCIL

(Ministry of Commerce & Industry, Govt. of India)

2nd Floor, B-Plate, Block-1, Commercial Complex, East Kidwai Nagar, New Delhi - 110023, India

Phone: +91-11-20815386 / 87 / 88

E-mail: eic@eicindia.gov.in, Website: www.eicindia.gov.in